# **CONTENTS**

Fifteenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2010/1932 (Saka) No. 25, Wednesday, April 28, 2010/ Vaisakha 08, 1932 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCE	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 461 to 464	5-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 465 to 480	35-118
Unstarred Question Nos. 5255 to 5484	119-443

 $<sup>^{*}</sup>$  The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAP	ERS LAID ON THE TABLE	444-458
	LIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN ANCIAL & DRSCs) Summary of Work	459
STA	NDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 7th Report	459
	NDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY LFARE 39th to 42nd Reports	459
Re: con	Status of implementation of the recommendations tained in the 1st Report of the Standing Committee External Affairs on Demands for Grants (2009-10) taining to the Ministry of Overseas Indian Affairs Shri Vayalar Ravi	
	TION RE: FIFTEENTH REPORT OF BUSINESS ISORY COMMITTEE	461
MAT	TTERS UNDER RULE 377	467-481
(i)	Need to ensure implementation of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 by all the States in a time bound manner	
	Shri R. Dhruvanarayana	467
(ii)	Need to provide financial relief to the people affected due to heavy storm and rain in Kerala	
	Shri Kodikunnil Suresh	468
(iii)	Need to release funds for early completion of Multi Model Transport System, Phase-2 projects in Andhra Pradesh	
	Shri Suresh Kumar Shetkar	469

(iv)	Need to expedite the construction of the railway bridge across river Bhagirathi between Nashipur and Azimganj in Murshidabad Parliamentary Constituency, West Bengal	
	Shri Adhir Chowdhury	470
(v)	Need to implement welfare schemes for the benefit of weavers in Ambedkar Nagar district, Uttar Pradesh	
	Dr. Nirmal Khatri	471
(vi)	Need to allocate LPG Agencies under Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitrak Yojana to all the States as per their population	
	Shri Naranbhai Kachhadia	472
(vii)	Need to construct a dam on Dhadar and Tilaiya rivers in Nawada district, Bihar with a view to provide irrigational facilities in the region.  Dr. Bhola Singh	472
(viii)	Need to trace the whereabouts of Captain Kalyan Singh Hari Singh Rathod of Assam Regiment missing since Indo-Pak war of 1971	.,,_
	Shri Mahendrasinh P. Chauhan	473
(ix)	Need to re-introduce Jodhpur mail connecting Jodhpur and Delhi via Churu and extend express train between Sarai Rohilla (Delhi) and Sadulpur upto Ratangarh	
	Shri Ram Singh Kaswan	474
(x)	Need to provide necessary funds under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana for electrification works in Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Shailendra Kumar	475

(xi)	Need to speed up electrification works under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Deoria and Kushinagar districts in Uttar Pradesh	
	Shri Gorakh Prasad Jaiswal	475
(xii)	Need to accord special status to the State of Bihar and provide adequate funds for its overall development	
	Shri Arjun Roy	476
(xiii)	Need to take steps to revive 'Krishi Vikash Shilpa Kendra' – an organization serving common people in West Bengal	
	Shri Gobinda Chandra Naskar	477
(xiv)	Need to exempt the match industry from excise duty	
	Shri S.R. Jeyadurai	478
(xv)	Need to issue commemorative stamp honouring the Birth Centenary of 'Kerala Kaumudi' – a popular Malayalam newspaper	
	Shri A. Sampath	479
(xvi)	Need to open new LPG Agencies at Balurghat in Dakshin Dinajpur district, West Bengal	
	Shri Prasanta Kumar Majumdar	480
(xvii)	Need to undertake renovation work in Ernakulum Railway Station, Kerala	
	Shri Charles Dias	481

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2007-08	482-483
Shri Pranab Mukherjee	482-483
APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2010	484-487
SUBMISSION BY MEMBERS  Re: Demand for constitution of JPC to examine the irregularities and malpractices in Indian Premier League (IPL) and alleged phone tapping of political leaders	486-490
FINANCE BILL, 2010	491-564
Motion to Consider	491-564
Shri Pranab Mukherjee	491-496
Shri Harin Pathak	497-505
Shri Sanjay Nirupam	506-517
Shri Shailendra Kumar	518-521
Shri Bansa Gopal Chowdhury	522-526
Shri B. Mahtab	529-534
Shri S. Semmalai	535-537
Shri Prabodh Panda	538-540
Shri Nishikant Dubey	541-503
Shri Bhakta Charan Das	554-557
Shri Narhari Mahato	558-560
Shri Ariun Ram Meghwal	561-564

# ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	579
Member-wise Index to Unstarred Questions	580-585
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	580
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	587

# **OFFICERS OF LOK SABHA**

## THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

## THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

## PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Shri Beni Prasad Verma
Dr. Girija Vyas

# **SECRETARY-GENERAL**

Shri P.D.T. Achary

# LOK SABHA DEBATES

# LOK SABHA

-----

Wednesday, April 28, 2010/ Vaisakha 08, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

#### ... (*Interruptions*)

#### **OBTIUARY REFERENCE**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Satyendra Chandra Guria.

Shri Satyendra Chandra Guria was a Member of the Eighth Lok Sabha from 1984 to 1989, representing the Nainital Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, now in Uttarakhand.

Earlier, Shri Guria was a Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 1980 to1984. Shri Guria served as a Deputy Minister for Sugarcane, Irrigation and Industry in the Government of Uttar Pradesh during 1984

A journalist by profession, Shri Guria served as the President of the District Journalists Association, Kashipur for a period of four years. He served as the Director, Kumaon Vikas Nigam, Nainital and as a Member of the Administrative Board, Govindballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar; Uttar Pradesh Hindi Sansthan; Management Board, Kumaon University, Nainital; Managing Committee, Udayraj Hindu Inter College, Kashipur, Nainital and the Shri Hindi Prem Sabha, Kashipur, Nainital.

A man of letters, Shri Guria was the Editor of the *Loktantra*, a Hindi weekly for more than three decades.

Shri Satyendra Chandra Guria passed away on 24<sup>th</sup> April, 2010 in Delhi at the age of 77.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure, the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

#### 11.01 hrs

*The Members then stood in silence for a short while.* 

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Question Hour.

Q. No. 461 – Shri Mahendra Kumar Roy.

... (*Interruptions*)

## 11.03 hrs.

At this stage, Shri C. Sivasami and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats. Please do not show the papers.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You can raise it in the 'Zero Hour'. But no allegations against anybody, it is against the rules and will not be allowed.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: So, I would allow you to raise it in the 'Zero Hour'. Please let the Question Hour go on

... (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: Madam, there are serious allegations against one of the Ministers... (*Interruptions*) It has come in the paper as "Tapped and Trapped." There is a loss of Rs. 1 lakh crore to the Exchequer. That is why we are raising it... (*Interruptions*) The other day, the CBI inquiry was ordered. The CBI inquiry is going on but in the meanwhile the officer has been transferred. That is why we want to know from the Prime Minister as to what is going on in this matter; what is the outcome of the CBI. Why has the officer been transferred? This is a serious matter... (*Interruptions*) That is why I am asking you to please allow us to raise this matter to see that necessary action is taken against the Minister. Why is the Minister continuing? What is the sanctity?... (*Interruptions*) There is a loss of

nearly Rs. 1 lakh crore to the Exchequer. Tapping news has come in all the newspapers... (*Interruptions*) How were the allocations made?

MADAM SPEAKER: I would call you in the 'Zero Hour'. Let the Question Hour go on.

... (*Interruptions*)

SHRI S. SEMMALAI: The CBI has got the clinching evidence. But the Government has not allowed it to probe the matter in detail... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Anyhow, Madam, please allow me to raise this matter in the 'Zero Hour'.

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Let the Question Hour go on.

# 11.05 hrs.

At this stage, Shri C. Sivasami and some other hon. Members went back to their seats.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसे प्रश्नकाल के बाद शून्य प्रहर में लेंगे।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. 461 - Shri Mahendra Kumar Roy.



#### (Q. No. 461)

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY: We are all aware that the whole country is suffering from environmental and ecological degradation. As a result, the country is suffering from recurrent flood and drought. Moreover, the workers, who work in these mines, are suffering from various occupational diseases. Taking together the loss incurred by the nation and also rampant and indiscriminate illegal mining, particularly of iron, and mining in different States is causing environment pollution and large scale displacement of people, particularly, Tribal people, there is a need for legislation.

MADAM SPEAKER: Please put the question.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY: May I know from the Minister whether the Government will bring a legislation in this regard?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, our Government has taken very strict action in the matter of illegal mining, not only in the matter of illegal mining but in the case of mining which exceeds the carrying capacity of the ecosystem as well. For example, a moratorium has been placed on all further mining activities in the State of Goa till a Comprehensive Environmental Impact Assessment is prepared on the environmental impact of mining.

I have personally written to the Chief Ministers of Orissa, Karnataka, Jharkhand and Madhya Pradesh where reports of illegal mining have come in. I can assure the hon. Member, through you, Madam, that wherever instances of illegal mining have come to our notice, we have taken immediate action where action is possible at our end if it is an illegal mining in contravention of the Forest Conservation Act. In many cases, the problem arises because it is illegal as far as minor minerals are concerned. The responsibility of monitoring mining as far as minor minerals is concerned, lies with the State Government, as for example in the Aravalis. There, unless the State Government takes tough action, the Centre cannot really move in this regard.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY: I want to know whether the Government is aware of the fact that there is a large scale violation of the Supreme Court order by some influential people. If so, what action is taken by the Government against the victims?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I do not know which specific case that the hon. Member is referring to. But I can assure the hon. Member that whenever the Supreme Court has passed any order, we have faithfully implemented it but we have not waited for the Supreme Court to pass orders. We have taken *suo motu* action wherever illegal mining has come to our notice. As I said, it is not just against illegal mining but mining which also exceeds the carrying capacity of the local ecosystem.

श्री राम सिंह करवां: महोदया, अवैध खनन का कारोबार पूरे देश में बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत भारी क्षिति पहुंच रही है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए कई बार निर्देश जारी किए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र के मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद जिलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। राजस्थान की 153 खानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मैं सम्मानित मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन आदेशों का पालन कहां तक हुआ है और राज्य सरकारों ने क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट पेश की है?

SHRI JAIRAM RAMESH: I share the hon. Member's concern. We have repeatedly impressed upon the State Governments of Haryana and Rajasthan to whom we have delegated all the powers for monitoring the stoppage of the mining activity in the Aravali range following a Supreme Court directive. The State of Haryana has reassured me that as far as Haryana is concerned, they are going to put a stop. They have put a stop on all mining activity and they are going to change the system of allocation of mining leases.

I have also been in touch with the Chief Minister of Rajasthan. He has also assured me that as far as the district of Alwar is concerned, he will take strict action if there is any contravention of the Supreme Court Order.

I would like the hon. Member to please bear with me in this regard that the responsibility is that of the two State Governments. The Central Government has delegated the powers of monitoring to the State Governments because the mining leases are very small and it is not practical for the Central Government to take the responsibility for monitoring the implementation of the Supreme Court order.

DR. JYOTI MIRDHA: We measure our growth primarily in terms of GDP. But the GDP does not take into account the climate change, ozone layer depression, water and air pollution, soil degradation, etc. Technically speaking, it does not take into account the deterioration of Eco System Services. Do we have a means to quantify the environment and switch to a more comprehensive measure of growth like the GPI or ISEW index? Since we now have the empirical evidence that poverty and environment are inter-dependent and degradation of environment leads to poverty, it has become critical and even imperative for poverty centered policy framework of India to adopt a sustainable development index. The role of Environment Ministry has to be mainstream in economic system and not marginal and should start with the adoption of sustainable growth index. So, the measure of growth has to be a joint enterprise between the Finance Ministry and Environment Ministry.

SHRI JAIRAM RAMESH: I have repeatedly said that the concept of GDP, Gross Domestic Product, should be changed to the concept of Green Domestic Product. I am in touch with the Finance Ministry, the Planning Commission and the Ministry of Statistics in the matter. We hope that by the year 2015 this nation will be in a position to report GDP statistics – Green Domestic Product, not just Gross Domestic Product. This is not an easy task. No country does this. We are getting the best experts in the world to advise us on how we incorporate environmental factors in national income accounting. I want to assure the hon. Member that by the year 2015 we hope to have greater clarity in this regard.

DR. RATNA DE: Damage to environment and ecology is continuing unabated for many years. This has become more rampant in recent years. It appears that the Government is not in a position to control the damage. I firmly believe that penalty would be a deterrent to a great extent if we have to stop the degradation of environment before our eyes. Has the Minister undertaken any assessment to know the impact of old and new projects in the last five years?

SHRI JAIRAM RAMESH: This is a very comprehensive question. She wants to know whether we have carried out a very comprehensive environmental assessment of all the projects that we have undertaken. I am afraid, I am not in a position to give a direct answer to this except to say that wherever we have evidence of local areas being badly affected by a preponderance of projects, the Ministry of Environment has stepped in. For example, in the case of river valley projects in North Tiesta we have put a stop on projects in order to ensure that the carrying capacity of the region is not exceeded. We are reviewing the case of hydel projects in the river Bhagirathi. I have already given you the example of Goa. So, we are taking it on a case by case basis. But, I want to reassure the hon. Member that while we are sensitive to environmental concerns, we also have growth concerns to keep in mind. This is a balance between environment and growth. It is very easy for me to say no to every project. But we have to maintain a balance between environment and growth as well.

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरा मूल प्रश्न "ग"से है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यमुना नदी के बालू का खनन होता है। इससे पहले नदियों के किनारे बसने वाली बिन्द मल्लाह आदि, इस प्रकार की जो जातियां हैं, जिनका अपना पुश्तैनी धंधा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इसे गजट करके भी कहा था कि अपने पुश्तैनी धंघे से जोड़ने के लिए खनन में केवल उन्हों को पट्टा मिलेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खनन माफिया हैं, जब कि खनन मानव द्वारा होना चाहिए, लेकिन वह जे.बी.सी. मशीनों से होता है।...(व्यवधान) आप बैठिए, जब आपका प्रश्न पूछने का नम्बर आएगा तब आप बोलिए।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: शैलेन्द्र जी का यह आरोप गलत है।...(व्यवधान) माफिया आपकी सरकार में थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी, आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: ये लीडर हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप उसकी भूमिका में मत जाइए, प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, बड़े पैमाने पर, वहां माफिया लोग जे.बी.सी. मशीन से खनन कर रहे हैं स्थिति यहां तक देखी गई है कि वे माफिया, चाहे स्थानीय कोर्ट हो या उच्च कोर्ट हो, उसे भी प्रभावित किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या वे प्रदेश शासन से कोई वार्ता करेंगे, कोई बात करेंगे, क्योंकि यह कार्यों शासन और माफिया की मिलीभगत से हो रहा है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, many Chief Ministers have approached me to allow the 'khanan' activity to continue because it is a source of income as far as the State is concerned and also a matter of employment for locals. I am not in a position to give a straightforward and direct answer to the hon. Member's question except to assure him that I will take this matter up with the State Government immediately revert to him once I have heard from the State Government.

#### (Q. No. 462)

SHRI S.S. RAMASUBBU: Madam Speaker, nowadays the plastic waste is threatening our health and also causing environmental pollution. It is a very important question. The three major railway stations in Delhi along with the IGI Airport produce almost 11,000 kilograms of plastic waste per day of which only about 5,200 kilograms is picked up regularly for re-use or recycling. The rest of it includes metallic pouches and thin plastic bags etc. This was revealed in a study carried out by the Central Pollution Control Board. It means that more than 50 per cent of the plastic waste generated at the railway stations and the airports are never picked up. The discarded plastic bags pose a threat to human health and are causing environmental pollution. This is not only the situation that is prevailing in Delhi but in almost all the railway stations of the entire country.

In this regard I would like to ask one question to the hon. Minister. I want to know whether the Government has issued any directions to the airports, railways, restaurants and shopping malls etc. to have a separate storage facility for the plastic wastes for safe disposal of the same.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, this question has come up before in this House and I have drawn the House's attention to the fact that while indeed plastics is a matter of concern, we should be somewhat careful in our response to it because plastic bags were introduced in this country in order to stop deforestation, in order to ensure that paper bags were not used. Now there is a movement gaining that we should ban plastic bags. We should be somewhat careful; we should not throw the baby out with the bathwater. We should be concerned about the fact that plastic bags are not being collected. Because our municipal solid waste management system has failed, it does not mean that we should put a blanket ban on all plastic bags.

Some State Governments have indeed put this ban – the States of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir etc. The State of West Bengal has banned it in Sundarbans and in many pilgrimage centres, like Tirupati, plastic bags are banned.

I think what the Central Government has done is that it formulated rules for specifying the minimum size, the minimum thickness etc. But the enforcement of these rules is very very difficult. We are a very large country. We are also trying to popularise the use of biodegradable bags. The real challenge for us is to ensure for municipalities particularly, for airports, for railway stations to ensure that the plastic waste is properly collected and sent to the proper disposal facilities. This is really the approach that we should be taking.

SHRI S.S. RAMASUBBU: Many of the States have banned the use of substandard plastic bags. Many of them have not come up with the proposal. Some others are following it. Though the ban is imposed in some States, it has not been implemented strictly. They are not following it properly as far as the use of this kind of sub-standard plastic bags is concerned.

I want to know whether the Union Government or the hon. Minister has any proposal to bring in a comprehensive law to ban the use of plastic bags with less microns in the country.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, as I have already stated, I am not in favour of a blanket ban throughout the country. However, we have rules which we have formulated and which we have put on our website – they are available for public comments – which we hope to notify very soon. These rules specify the minimum thickness and the minimum size, and also prohibit the use of coloured or recycled plastic, but ultimately the Central Government can formulate and promulgate the rules, but the implementation and monitoring is that of the State and local authorities.

Let me tell the hon. Member that very often State and local authorities do not want to take action in this regard simply because of the massive employment that is provided in the down-stream plastic processing industry. This is not to say that we should not take action; we should certainly take action, but the rules that we specify are only as good as they are implemented.

I can assure the hon. Member that very soon, in the next couple of months, these rules that are available for public comments and discussion on our website, will actually be notified. These rules are very strict, but we will depend on the cooperation of the local authorities to ensure their full implementation.

श्री नीरज शेखर: अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 15,722 टन प्लास्टिक का हर रोज़ इस देश में उत्पादन होता है। मैं नहीं चाहता कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस पर बैन लगा दिया जाये, क्योंकि आपने सही बोला कि उससे बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, अभी रेलवे की बात हो रही थी, उसमें न केवल स्टेशन पर, बल्कि अगर आप शहरों में रेलवे लाइन के बगल में देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट आपको दिखाई देगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, क्या उनको इसके बारे में शिक्षित करने का आपका कोई विचार है? उनको बताया जाये कि ज्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से क्या होगा और किस तरह का प्लास्टिक उनको यूज़ करना चाहिए। क्या उनको शिक्षित करने का आपका कोई विचार है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, this is a good suggestion, but ultimately, as I said, it is the collection system that we put in place for plastic waste, which is going to be crucial to our success. I will certainly follow up on the hon. Member's suggestion about creating mass awareness. Already many State Governments have taken this up and they are propagating how people should respond to the use of plastic material, but the hon. Member's questions concerns specifically the use of plastics in rural areas.

I will certainly take his suggestion up, but I would like to re-assure him that as far as we are concerned, we have been impressing upon the local authorities, the State Governments to improve their municipal solid waste collection system so that plastic does not get littered all over the place and becomes a public health hazard.

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, मैंने मंत्री महोदय को बहुत ध्यान से सुना है। इसके पहले भी इसी सदन में इन्होंने इस विषय पर बयान दिया था, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आज भी उन्होंने लगभग इसी बात को दोहराया है। इससे जो

खतरे जलवायु के लिए, वातावरण के लिए पैदा हो रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा शायद मंत्री महोदय वाकिफ हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि नीतियां बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका क्रियान्वयन कहां तक सम्भव होगा और अपने अनुभव से भी हमें लाभ उठाना चाहिए। ये जो नियम 1999 बने थे और 2003 में उनका एमेंडमेंट हुआ था, उन नियमों के आधार पर हमारा इतने वर्षों में कुछ अनुभव आया है। अनुभव क्या आया है कि यह जो 20 माइक्रोन थिकनैस का प्लास्टिक बैग बनना चाहिए, एक सरटेन साइज़ का बनना चाहिए, वह नहीं बन रहा है, उससे कम थिकनेस का बन रहा है या उससे कम साइज का बन रहा है। प्लास्टिक बैग में सबसे आसान बात यह होती है कि उसको यूज करो और फेंक दो। उसे फेंकने का ही नतीजा है कि चारों तरफ हम लोग प्लास्टिक बैग्स के अंबार देख रहे हैं। कोई भी इस देश में आता होगा तो यही देखकर उसको सबसे ज्यादा शॉक लगता होगा कि इस देश में क्या हो रहा है? म्युनिसिपेलिटीज अपना काम नहीं कर रही हैं।

मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि कहीं हुई राज्य सरकारें भी अपना काम नहीं कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही हैं। ऐसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे? जहां तक इंप्लायमेंट का सवाल है, इसके पहले के सवाल में इल्लीगल माइनिंग की बात हो रही थी, उसमें भी लोगों इंप्लायमेंट मिलता है। इंप्लायमेंट सही हो, गलत स्रोत से इंप्लायमेंट न मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और पुरजोर सिफारिश करूंगा कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैग्स के ऊपर बैन लगाने के बारे में सरकार सोच-विचार करे।

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, I am grateful to the senior Member for raising this question and giving me an opportunity of once again saying that inherently plastics are not dangerous for public life.

श्री यशवंत सिन्हा: आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। ..(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: Inherently, plastics, which are chemically inert substances, are not a public health hazard. It is our inability to collect the plastic waste. Second, I agree with the hon. Member that the use of recycled plastic material which is against the law, the use of substandard plastic which is against the law, that leads to all sorts of public hazards, as far as human beings and cattle are concerned.

Madam, as I said, I would like to say once again, that a blanket ban by the Central Government would not be advisable because 20 years ago, the Central

Government took up the task of propagating plastic use in order to stop deforestation, and now we are saying that we are going to go back to square one. I would urge a little caution. I would leave this to the State Governments. The State Government of Himachal Pradesh has banned the use of plastic bags throughout the State. The State of Sikkim has banned it; the State of Jammu and Kashmir has banned it; many States have banned the use of plastic in pilgrimage centres. That is the way to go. The ultimate responsibility is that of the State and local authorities. The Central Government will promulgate appropriate rules.

Since the hon. Member has been the Finance Minister, he will be interested to know that we are also looking at economic incentives in order to discourage the use of plastic bags. For example, we have done some studies to show that if you add a small cost to the plastic bag, people can be dissuaded from using plastic bags. I think economic incentives are a better way of enforcing our rules than during the administrative machinery. I am quite sympathetic with the sentiment of the hon. Member's thrust of his question, but I am afraid I will not be able to respond positively to his suggestion that we should put a blanket ban on the use of plastics. That would be an extreme step at this point of time.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर पूर्णरूप से कहीं-कहीं प्रतिबंध लगा है। जबिक तिरूपित बाला जी, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, वहां भी प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि वहां जाने के बाद ऐसा देखने को भी मिला और उसका प्रयोग भी मिला। एक ओर जहां रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों की बात हो रही है, उसके साथ-साथ शहरों में जो छुट्टा पशु घूमते रहते हैं, वे उस प्लास्टिक को खा लेते हैं और उनके पेट से 10 से 15 किलो के बड़े-बड़े ट्यूमर आपरेशन के माध्यम से निकाले गए हैं। इसके साथ ही साथ गांव में, कृषि जो इस देश की अर्थव्यवस्था की मेरूदंड है, वहां भी इसका प्रयोग इतने धड़ल्ले से बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है कि जो उपज है, वह उससे प्रभावित हो रही है। जो बीज अंकुरित होने चाहिए, प्लास्टिक के बैग की वजह से वे उग नहीं पाते है और उपज भी प्रभावित हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई कानन बनाकर उन जीवों का, गाय-भैंस आदि जो इसे खाकर मर रही हैं और

जिनके अंदर से ट्यूमर निकल रहे हैं और गांवों में इसका जो धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, उस संदर्भ में कोई नियम कठोरतापूर्वक कानून बनाकर इसके लिए लागू करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, according to the information that we have, pilgrimage centres like Tirupati, Dwarka, Vaishno Devi have, in fact, put a ban on the use of plastic packaging material. If the hon. Member feels that this is not true, I will certainly get in touch with the authorities and seek a clarification. But to the best of my knowledge, that is available to me as of yesterday, Tirupati, Dwarka, Vaishno Devi, the three very important pilgrimage centres where the ban has been put on the use of plastic material.

SOME HON. MEMBERS: Sabarimala also.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sabarimala also.

As far as cattle is concerned, I hope, the hon. Member will not mind when I say, that cattle have no business straying in cities. We cannot put a ban on plastic because cattle are straying in cities. In fact, we should have a system. ... (*Interruptions*) Next people will say we should have ban on cattle. We should not get into that. I would suggest that the remedy lies in having a better system of managing our cattle in our urban areas and making sure that we do not allow free movement of cattle in our towns and cities. As far as cattle in rural areas are concerned, it is definitely true that there is a possibility of plastics reaching, entering the food chain of live stocks. We have to be careful in this regard. But let me say that so far all reports that we have received relates to municipal waste and not waste in rural areas.

## (Q. No. 463)

श्री गोपीनाथ मुंडे: अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली की कमी के कारण प्रदेशों के बिजली कार्पोरेशन के बजाए हमने निजी क्षेत्रों को भी कैप्टिव कोल ब्लॉक दिए हैं। लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे उत्पादन नहीं कर रहे हैं और उत्कलन नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने कैप्टिव ब्लॉक हैं जिन्हें ऐलॉट करने के बाद भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है? वे समयबद्ध सीमा में कैप्टिव कोल ब्लॉक का उपयोग करें अन्यथा उनका एलोकेशन कैंसिल करके क्या सरकार राज्य के बिजली कार्पोरेशन को कोल ब्लॉक ऐलॉट करने के बारे में सोचेगी?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जैसे-जैसे औद्योगीकरण हो रहा है, वैसे-वैसे ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। ऊर्जा की आवश्यकताओं के साथ-साथ कोल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह तय किया था कि हम कोल ब्लॉक्स सरकारी क्षेत्र को तो देंगे, साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी देंगे जिससे कोयले का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ सके और हमने निजी क्षेत्र को भी कोयले के ब्लॉक का आवंटन किया। इन कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन का हमारी मिनिस्ट्री में बाकायदा रिव्यू होता है कि ऐसी कौन सी कम्पनियां हैं जिन्होंने कोल ब्लॉक लिए हैं और उसके बाद भी वे उत्पादन नहीं कर रही हैं। हाल में ही एक कमेटी बैठी थी और उसने यह रिव्यू किया कि लगभग 40 कोल ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बिना कारण उत्पादन नहीं कर रहे हैं। उन्हें नोटिसेज़ दिए गए हैं। पांच कोल ब्लॉक्स का आवंटन रह भी किया गया है और कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्रों को जो कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनसे जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू हो। सच्चाई यह है कि केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी जो कोल ब्लॉक्स स्टेट गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट के पीएसयूज़ को आवंटित किए गए हैं, उनमें भी कोयले का उत्पादन उतनी तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी के साथ हमने अपेक्षा की थी। हमारी मिनिस्ट्री का यह प्रयास है कि आने वाले समय में तेजी के साथ कोयले का उत्पादन हो। उसके लिए अगर जरूरी होगा, तो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, हम कोल ब्लॉक्स का आवंटन रह कर सकते हैं और किये भी हैं।

श्री गोपीनाथ मुंडे: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र राज्य बिजली कार्पोरेशन के सारे कोल ब्लॉक्स वेस्टर्न कोल फील्ड में आते हैं। आज उनके जो प्रौजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है। महाराष्ट्र बिजली कार्पोरेशन ने वहां की सरकार द्वारा आपसे महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के लिए ब्लॉक्स की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ है। विदर्भ क्षेत्र में गये पांच सामा लेकियों लगभग छः निजी क्षेत्रों को क्या ब्लॉक्स अलॉट किये गये हैं? जब भी निजी क्षेत्र और सरकार के बिजली कार्पोरेशन से मांग आती है, तो क्या सरकार स्टेट

के बिजली कार्पोरेशन को प्राथमिकता देगी, अग्रक्रम देगी? आज उनके जो प्रौजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है, ऐसा होते हुए भी निजी क्षेत्रों को एलोकेशन मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की मांग को क्या आप मान्यता देंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और उसी मांग के साथ-साथ कोयले की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के विषय में बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस कारण वहां कोयले की मांग बढ़ रही है। हमने महाराष्ट्र सरकार को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं और वहां पर निजी क्षेत्रों को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं। उनका उत्पादन भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र सरकार हमसे और भी कोल ब्लॉक्स मांगती है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम महाराष्ट्र सरकार के आवेदन को जरूर कंसीडर करेंगे और जहां तक हो सकेगा, हम उनकी रिक्वायरमैंट को पूरा करेंगे।

**डॉ. भोला सिंह :** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि जो निजी कम्पनियां हैं, जिनके लिए कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित किया गया है, वे उत्पादन में नहीं जा रही हैं, तो हम उनके लाइसेंस को कैंसिल कर रहे हैं। उनके जवाब के इस आलोक में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? आज भी प्राइवेट सैक्टर में दर्जनों ऐसी इस्पात कम्पनियां हैं, जिनको चार-पांच वर्षों से कोयले का आवंटन हो रहा है, लेकिन वे उत्पादन में नहीं जा रही हैं और आवंटित कोयले को ब्लैक में नेपाल और बंगलादेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन सारी चीजों पर क्या वे सीबीआई या किसी अन्य अथारिटी से जांच कराने की प्रक्रिया को अपनायेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस बात को पूछा है, उनकी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि निजी क्षेत्र को जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, वे लोग भरपूर उत्पादन नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, जितने कोल ब्लॉक्स उनको आवंटित किये गये हैं, वे अपेक्षा के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि हमारी मिनिस्ट्री में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस बात को रिब्यू करती है कि जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, उनमें उत्पादन तेजी से शुरू हो और जो लोग उत्पादन तेजी के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें।

जहां तक माननीय सदस्य ने नेपाल और दूसरे देशों को कोयला जाने की बात कही है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। अगर माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई जानकारी है, तो वह जानकारी हमें दें। हम उसके लिए राज्य सरकारों से कहेंगे, क्योंकि लॉ एंड आर्डर पूरी तरह से राज्य का विषय है। अगर बिहार या किसी दूसरे सूबे से नेपाल या किसी दूसरे देश को कोयला जा रहा है, तो वहां की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पुलिस और इंटेलीजेंस के माध्यम से इस तरीके से बाहर जाने वाली कार्रवाई को रोके। लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास सूचना है, तो हम भी राज्य सरकारों से कहेंगे कि आप इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।

**डॉ. भोला सिंह (नवादा):** मैडम, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको एक ही पूरक प्रश्न पूछने का समय मिलेगा, वह समय आप ले चुके हैं।

SHRI P.C. CHACKO: Madam, the criteria adopted for allocation of coal blocks has been explained by the hon. Minister. But the criteria is not comprehensive enough to provide for cancellation of allotress of blocks that are not exploited within the time specified. Gopinath Mundeji said that power shortage is a chronic problem in the country and there is a lot of demand from the power sector. Because of delays in environmental and many other clearances, parties which have got the allotment are not able to exploit the coal blocks in spite of having the permits for the last five to six years. I want to know from the hon. Minister whether there will be a single-window clearance system in the Government to ensure that clearances can be given in time so that exploitation of the coal blocks can be done in time; and will the Government cancel the allocation of coal blocks which have not been exploited within the specified time?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर चिंता जताई है, मैंने पहले भी अपने जवाब में कहा है कि इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो समय-समय पर इसकी स्क्रीनिंग करती है कि कौन से कोल ब्लॉक्स में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा है, 40 कोल ब्लॉक्स को हमने शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं और पांच कोल ब्लॉक्स हमने रद भी किए हैं। आने वाले समय में अगर उन शो-कॉज नोटिसेज के सही जवाब नहीं आए, तो और भी कोल ब्लॉक्स रद किए जाएंगे। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, सच्चाई यह है कि हम जो कोल ब्लॉक्स एलॉट करते हैं, उसमें लैण्ड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम राज्य सरकार

से संबंधित होती है। कहीं-कहीं पर लैण्ड एक्वीजिशन में भी बहुत समय लग जाता है। फॉरेस्ट्री क्लियरेंस और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों की भागीदारी होती है। उनसे क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे भी कोल ब्लॉक्स से उत्पादन शुरू करने में तीन से सात वर्षों का समय आवंटित किया जाता है क्योंकि यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को पूरे होने में बहुत समय लगता है, लेकिन हम इस बात की क्लोज मॉनीटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग जान-बूझकर कोल ब्लॉक्स में उत्पादन शुरू नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदया, कैप्टिव सेक्टर में सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिजली के उत्पादन क्षेत्र को देने की सरकार की नीति है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में बिजली का उत्पादन कम है, उनको इसमें प्राथमिकता दें। ये दो तरह से, एक कोल ब्लॉक के माध्यम से और दूसरे कोल लिंकेज के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षेत्र को कोयला देते हैं। बिहार, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, में बिजली का कुल उत्पादन आज मात्र 100-105 मेगावाट है। अगर वहां कोई उत्पादन इकाई लगेगी, तो वह बिना कोयले के संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या कोल ब्लॉक्स या कोल लिंकेज के मामलों में सरकार की कोई भेदभाव बरतने की भी नीति है? यदि नहीं है, तो बिहार के कितने प्रस्ताव लिंकेज या ब्लॉक्स के, आपके यहां लंबित हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, हमारी सरकार किसी भी हाल में, कोई भी भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाती है क्योंकि हम जानते हैं कि बिजली का उत्पादन चाहे बिहार में हो, चाहे झारखण्ड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उसका 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत शेयर नेशनल ग्रिड पर जाता है। इसलिए हर हाल में हमारा यही प्रयास होता है कि चाहे किसी भी राज्य में उत्पादन हो, उत्पादन बढ़ना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, हमने बिहार सरकार को दो कोल ब्लॉक्स दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उनसे उत्पादन शुरू नहीं हुआ है जबकि उसके लिए जो टाइम एलॉट किया गया था, वह टाइम एक्सीड कर चुका है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: मैडम, माननीय मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं। वे ब्लॉक्स बिजली के उत्पादन के लिए नहीं दिए गए हैं। मैं बिजली उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, अगर पावर हाउस के लिए कोल लिंकेज बिहार सरकार मांगेगी, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।

हमारे यहां कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। हमारे यहां जितने भी इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, हम बराबर उनकी आवश्यकता के अनुरूप अलाटमेंट करते जाते हैं। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

श्री बंस गोपाल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव था, बहुत दिनों से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काफी दिक्कत हो रही है। कोल ब्लाक्स के सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री जी की राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी के साथ, इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ चर्चा हुई थी। इस तरह की जो राज्य सरकार के साथ जो चर्चा हुई, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंत्री जी ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि मेरी वहां के मुख्य मंत्री जी के साथ बात हुई थी, जब मैं वैस्ट बंगाल गया था। उस समय मैंने उनसे कई अनुरोध किए थे और कहा था कि कोयले की जो चोरी हो रही है, गैर कानूनी रूप से माइनिंग हो रही है, उसे आप अपनी मशीनरी के माध्यम से रोकने का काम करें। लेकिन उस बात का कोई अच्छा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उन्हें जवाब तो देने दें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप पहले पूरा जवाब सुन लें। जहां तक कोल ब्लाक्स की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार को जितने ब्लाक्स दिए गए हैं, उनमें उत्पादन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, यह बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फिर भी हमारी कोशिश होगी...(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY: I protest. ... (*Interruptions*) I lodge my protest. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) ... \*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

\* Not recorded

\_

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हमारी सरकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती है कि ऐसे राज्य जहां विकास तेजी से नहीं हो पाया है, अगर वे हमसे कोल ब्लाक्स या कोल लिंकेज मांगते हैं, तो हम प्राथमिकता के आधार पर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि राज्य सरकारों को भी चाहिए कि उन्हें जो कोल ब्लाक्स दिए गए हैं, उनमें वे जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। इसके अलावा वहां जो कोयले की चोरी होती है, उस पर अंकुश लगाएं। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार हर तरीके से उन्हें मदद देने को तैयार है।

MADAM SPEAKER: Q. 464.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... \*

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना पहला पूरक प्रश्न पूछें।

\* Not recorded

## (Q. No.464)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से विदेशों से भारी मात्रा में हमारे देश में रीसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग के नाम पर स्क्रैप के रूप में कबाड़ आ रहा है। इसके कारण हमारा देश आज कूड़ाघर बनता जा रहा है। इस तरह के कबाड़ आने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में मायापुरी इलाके में घटना हुई और जो रेडियोधर्मी पदार्थ आए, उनके रेडिएशन के प्रभाव से छः लोग घायल हो गए तथा एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जो अधिकारी जांच करते हैं, उनकी जेबें भर दी जाती हैं, जिसकी वजह से सही रूप से वे जांच नहीं करते। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कबाड़ को जांचने की ड्यूटी किस अधिकारी की है और ये अधिकारी जांच का काम क्यों नहीं सही ढंग से करते, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हं?

SHRI JAIRAM RAMESH: We do not allow, let me say, the import of hazardous wastes as a dumping ground. We allow the import of wastes according to the Hazardous Wastes Management Rules for recycling, for recovering and for reuse. We also export e-waste. I am just trying to give an introduction to the hon. Member. We have strict rules governing the import and export of hazardous wastes. The responsibility for monitoring the implementation of these rules lies primarily with the State Pollution Control Boards. I also accept the fact that the Central Pollution Control Board also has an important role to play in this regard.

Whenever there have been notices, attracting our attention, of contravention of these rules, we have moved with speed. For example, there had been reports that ships have come into India, which may be carrying hazardous wastes; we have taken strong pre-emptive action in this regard. I would like to re-assure the hon. Member and the House that we have a strong set of Hazardous Waste Management Rules. The implementation of these rules needs to be strengthened; primarily at the port level, we need to ensure better coordination with the customs authorities which we are attempting. We also need to ensure that our trade policy, particularly the Exim policy does not allow the free import of wastes. I have taken up that also with the Minister of Commerce. So, I want to re-assure the hon.

Member that we are not, in any way, encouraging the import of waste in a liberal manner.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: यह जो रेडियेधर्मी पदार्थ आ रहे हैं, उनकी सिर्फ भारत द्वारा ही जांच होती है जो सही नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश में कितना कबाड़ आ रहा है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं? इन कबाड़ों में से जिस कबाड़ का उपयोग नहीं होगा, उसका क्या किया जाएगा, इस प्रश्न पर सरकार मौन है। जिस कबाड़ का उपयोग नहीं हो पाता है, उसका निपटान किस प्रकार होता है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

SHRI JAIRAM RAMESH: First of all, the Hazardous Waste Management Rules cover only the bio-medical wastes, hazardous wastes and e-wastes. It does not cover radio-active wastes; the radio-active waste is covered by the Atomic Energy Act.

As far as the second part of the question is concerned, we generate roughly about six million tonnes of hazardous waste per year, out of which roughly about 50 per cent goes in for re-cycling; we have a large network of treatment, storage and disposal facilities. We have 25 such treatment, storage and disposal facilities across the country, and eight more are in the pipeline. Considering the importance that e-waste is assuming in our country, we have come up with a separate set of e-waste rules, which are being notified very shortly. We are also going to have a separate scheme by which we will set up e-waste recycling and re-use facilities for which the Central Government will provide 25 per cent of finance, another 25 per cent will come from the State Government and the rest 50 per cent will come from the entrepreneur.

**डॉ. संजय सिंह :** माननीय महोदया, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट आया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2009 के एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश में आज करीब 36-37 हजार ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बहुत खतरनाक वेस्ट उत्पादित करती हैं। इसके बावजूद हम अपने देश में दुनिया भर का कबाड़ा आने देते हैं। इन्होंने नियम भी बताए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं, बहुत भारी कमेटी इस बारे में बनी है लेकिन आज भी ग्लोबल वार्मिंग की तरह से, इस वेस्ट की और सारे पॉलिथीन वेस्ट की चर्चा अखबारों में भी होती है, यहां भी होती है और

यह समाज की चिंता भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई क्लीयर-कट नीति बनेगी और यह देश इससे चिंता मुक्त हो जाएगा?

SHRI JAIRAM RAMESH: We have a clear set of Hazardous Waste Management Rules. There is absolutely no truth in the statement that the hon. Member has made, that we do not have a policy. We have a clearly enunciated policy over the last couple of years, that governs trade in hazardous wastes and how the hazardous waste generated in these 35,000-36,000 industries is going to be handled. As I mentioned to you, we have 25 treatment, storage and disposal facilities throughout the country. We have eight more coming up. We still have a shortfall. Out of the 3 MT of hazardous waste that needs to be treated, stored and disposed, we require to create capacity for treating another million tonne or so which the Government is alive to.

I want to reassure the hon. Member that as far as hazardous waste is concerned, the Central Government will not shirk its responsibility for coming up with the strictest possible rules. But I want to say that setting up the rules is only one side of the equation. The implementation and monitoring of these rules, in a country like ours, is the responsibility of the State and local authorities. I am not shirking the responsibility. I am prepared to take action on our own and I have instructed the Central Pollution Control Board to go ahead and take action where there is a clear violation of the hazardous waste management rules.

Let me bring to the attention of the hon. Member that every time we will take tough action there will be representations received from the State Governments to go slow or do not be very tough in this regard because we are providing lakhs and lakhs of employment opportunities to people. I agree, this is not good employment that we are providing. Just because we are providing employment does not mean we should keep open Mayapuri type facilities that we saw recently leading to radioactive contamination. We should be strict in this regard. The Central Pollution Control Board will take an active role but ultimately the. State Pollution Control Boards have to take on the primary responsibility.

SHRI B. MAHTAB: Madam, the Question deals with the import of hazardous waste. It does not deal with the hazardous waste that is created within the country and the Minister has given a very elaborate answer. But the answer to the section dealing with the quantity of waste imported during last three years and the current year, year-wise has not been given. I draw the attention of the hon. Minister through you to the fact that 190 containers of waste oil that were imported to India have been lying at the Jawahar Lal Nehru Port near Mumbai for the last 10 years where the containers had ballooned, leaked oil and in some cases even exploded. The Supreme Court formed a Committee to inquire into it. The Chairman of the Committee resigned in 2006 and that Committee has become infructuous. Last month the hazardous waste rules have been amended. The impression in the country is, we would like to understand from the Minister, that after the derailment of the Supreme Court Monitoring Committee and the Ministry of Environment and Forests has amended the hazardous waste rule, has it become everybody's responsibility and thereby nobody's responsibility?

MADAM SPEAKER: You have very little time left. Please be quick.

SHRI B. MAHTAB: Has it come to the notice of the Government that last month's amendments have made it tougher to control the flow of hazardous wastes into India? Now, traders "are importing hazardous wastes". Earlier, it was recyclers who were subject to provide checks.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, as far as the JNPT case is concerned, I will find out the details and revert to the hon. Member. As far as the amendments to the rules were concerned, the amendments have been done in the case of metal scrap. Let me say that a large number of Members of Parliament came to me and represented that metal scrap is not a hazardous waste. Particularly, Members from Gujrat cutting across Party lines, represented to me and after doing a detailed examination I came to the conclusion that they were right and we should have special dispensation for metal scrap for actual users as well as traders. We have tightened up our requirements. We are now requiring them to register only with

the State Pollution Control Boards. The amendments in no way liberalise the import of hazardous waste but facilitate the import of metal scrap which is no longer classified as hazardous waste in response to the demand which I received from various Members of Parliament.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: I would like to know whether our ports are equipped enough to check the hazardous materials which are supposed to be imported into our country.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, the honest answer is no. I have written to the hon. Finance Minister very recently that we need to have a joint mechanism between the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Finance so that the customs become much more sensitive to this area. I am hopeful that with the cooperation of the hon. Finance Minister we will be able to tighten up our port procedures so that we bring about a greater control on the import of hazardous wastes.

I have also written to the Minister of Commerce to ensure that if hazardous wastes import is on Open General Licence (OGL), we should not allow free import of hazardous waste. Import of hazardous wastes should be done only under the Hazardous Wastes Management Rules 2008.

\_\_\_\_

#### 12.00 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Neyveli Lignite Corporation Limited and the Ministry of Coal for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2256/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Third Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. S.O. 710(E) in Gazette of India dated the 30<sup>th</sup> March, 2010, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2257/15/10)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, for the year 2007-2008.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 2258/15/10)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 2259/15/10)

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2008-2009.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 2260/15/10)

(8) A copy of the Recognition of Zoo Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 807(E) in Gazette of India dated the 11<sup>th</sup> November, 2009, under sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

(Placed in Library, See No. LT 2261/15/10)

(9) A copy of the Notification No. S.O. 619(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 19<sup>th</sup> March, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18<sup>th</sup> July, 2007, issued under Sections 12 and 13 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2262/15/10)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore, for the year 2008-2009.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 2263/15/10)

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2008-2009.
- (13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(Placed in Library, See No. LT 2264/15/10)

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Uttarakhand, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Uttarakhand, for the year 2008-2009.
- (15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(Placed in Library, See No. LT 2265/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Minister during various sessions of Tenth, Eleventh, Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Lok Sabha:-

## TENTH LOK SABHA

1. Statement No. XXVIII Fourteenth Session, 1995

(Placed in Library, See No. LT 2266/15/10)

### **ELEVENTH LOK SABHA**

2. Statement No. XXXIX

Third Session, 1996

(Placed in Library, See No. LT 2267/15/10)

### THIRTEENTH LOK SABHA

3. Statement No. XLI 2000

Fourth Session,

(Placed in Library, See No. LT 2268/15/10)

4. Statement No. XXVIII 2002

Eleventh Session,

(Placed in Library, See No. LT 2269/15/10)

5. Statement No. XXV 2003

Fourteenth Session,

(Placed in Library, See No. LT 2270/15/10)

# FOURTEENTH LOK SABHA

6.	Statement No. XXII	Second Session, 2004
7.	(Placed in Library, Statement No. XX	See No. LT 2271/15/10) Third Session, 2004
8.	(Placed in Library, See N Statement No. XX	To. LT 2272/15/10) Fourth Session, 2005
9.	(Placed in Library, See Statement No. XVIII	No. LT 2273/15/10) Fifth Session, 2005
10.	(Placed in Library, S Statement No. XVII	See No. LT 2274/15/10) Sixth Session, 2005
11.	(Placed in Library, S Statement No. XVI	See No. LT 2275/15/10) Seventh Session, 2006
12.	(Placed in Library, S Statement No. XIV	See No. LT 2276/15/10) Eighth Session, 2006
13.	(Placed in Library, S Statement No. XIII	See No. LT 2277/15/10) Ninth Session, 2006
14.	(Placed in Library, S Statement No. XII	See No. LT 2278/15/10) Tenth Session, 2007
15.	(Placed in Library, S Statement No. X	See No. LT 2279/15/10) Eleventh Session, 2007
16.	(Placed in Library, S Statement No. IX	See No. LT 2280/15/10) Twelfth Session, 2007
17.	(Placed in Library, See Statement No. VII	No. LT 2281/15/10) Thirteenth Session, 2008
18.	(Placed in Libra Statement No. V	ary, See No. LT 2282/15/10) Fourteenth Session, 2008
19.	Statement No. IV	orary, See No. LT 2283/15/10) Fifteenth Session, 2009 ary, See No. LT 2284/15/10)

### FIFTEENTH LOK SABHA

20. Statement No. III

Second Session, 2009

(Placed in Library, See No. LT 2285/15/10)

21. Statement No. II

Third Session, 2009

(Placed in Library, See No. LT 2286/15/10)

22. Statement No. I

Fourth Session, 2010

(Placed in Library, See No. LT 2287/15/10)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2008-2009.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 2288/15/10)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 2289/15/10)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sahitya Adademi, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sahitya Adademi, New Delhi, for the year 2008-2009.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 2290/15/10)

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mualana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mualana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, for the year 2008-2009.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 2291/15/10)

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 2292/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2293/15/10)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Srinagar, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Srinagar, for the year 2008-2009.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2294/15/10)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Hamirpur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Hamirpur, for the year 2008-2009.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2295/15/10)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2008-2009.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 2296/15/10)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Kancheepuram, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Kancheepuram, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 2297/15/10)

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No. LT 2298/15/10)

- (13) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Allahabad, Allahabad, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in Library, See No. LT 2299/15/10)

(15) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the University of Delhi, for the year 2008-2009 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 2300/15/10)

(16) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Audited Accounts of the of University of Allahabad, for the year 2008-2009 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 2301/15/10)

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2008-2009.
- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in Library, See No. LT 2302/15/10)

- (19) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru University, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in Library, See No. LT 2303/15/10)

- (21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2008-2009.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(Placed in Library, See No. LT 2304/15/10)

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2008-2009.
- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(Placed in Library, See No. LT 2305/15/10)

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Rajiv Gandhi Shiksha Mission, Raipur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Rajiv Gandhi Shiksha Mission, Raipur, for the year 2008-2009.
- (26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(Placed in Library, See No. LT 2306/15/10)

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Lakshadweep, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Lakshadweep, for the year 2007-2008.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

(Placed in Library, See No. LT 2307/15/10)

- (29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Chandigarh, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Chandigarh, for the year 2008-2009.
- (30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

(Placed in Library, See No. LT 2308/15/10)

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the UT Mission Authority Andaman and Nicobar Islands (Sarva Shiksha Abhiyan), Port Blair, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the UT Mission Authority Andaman and Nicobar Islands (Sarva Shiksha Abhiyan), Port Blair, for the year 2008-2009.
- (32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

(Placed in Library, See No. LT 2309/15/10)

(33) A copy of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. F. 51-1/2009-NCTE (N&S) in Gazette of India dated the 31<sup>st</sup> August, 2009, under Section 33 of the National Council for Teacher Education Act, 1993.

(Placed in Library, See No. LT 2310/15/10)

(34) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

(35) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (34) above.

(Placed in Library, See No. LT 2311/15/10)

- (36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra, for the year 2008-2009.
- (37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

(Placed in Library, See No. LT 2312/15/10)

- (38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2008-2009.

(39) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

(Placed in Library, See No. LT 2313/15/10)

- (40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2008-2009.
- (41) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (40) above.

(Placed in Library, See No. LT 2314/15/10)

- (42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2008-2009.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2008-2009.
- (43) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (42) above.

(Placed in Library, See No. LT 2315/15/10)

(44) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2008-2009.

(45) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (44) above.

(Placed in Library, See No. LT 2316/15/10)

- (46) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2008-2009.
- (47) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (46) above.

(Placed in Library, See No. LT 2317/15/10)

- (48) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (49) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (48) above.

(Placed in Library, See No. LT 2318/15/10)

(50) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority of Meghalaya, Shillong, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority of Meghalaya, Shillong, for the year 2008-2009.

(51) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (50) above.

(Placed in Library, See No. LT 2319/15/10)

- (52) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Chandigarh, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Chandigarh, for the year 2008-2009, for the year 2008-2009.
- (53) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (52) above.

(Placed in Library, See No. LT 2320/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI VINCENT H. PALA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-:-

(1) Memorandum of Understanding between the National Projects Construction Corporation Limited and the Ministry of Water Resources for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2321/15/10)

(2) Memorandum of Understanding between the WAPCOS Limited and the Ministry of Water Resources for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2322/15/10)

### 12.01 hrs.

# PARLIAENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL & DRSCs) Summary of Work

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay the publication (Hindi and English) versions) – Parliamentary Committees (Other than Financial and DRSCs) Summary of Work (1<sup>st</sup> June, 2008 to 18<sup>th</sup> May, 2009).

(Placed in Library, See No. LT 2323/15/10)

### 12.01½ hrs.

#### STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

### 7th Report

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I beg to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-2011) of the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries).

#### 12.02 hrs.

# STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 39th to 42nd Reports

DR. JYOTI MIRDHA (NAGAUR): Madam, I beg to lay the following Reports (Hind and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:

- (1) Thirty-ninth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Health and Family Welfare.
- (2) Fortieth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of AYUSH.
- (3) Forty-first Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Health Research.

(4) Forty-second Report on Demand for Grants (2010-11) of the Department of AIDS Control.

\_\_\_\_

### 12.02½ hrs

#### STATEMENT BY MINISTER

Re: Status of implementation of recommendations in the first Report of Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2009-10) pertaining to the Ministry of Overseas India Affairs\*

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): Madam, I beg to lay the statement under Direction 73A of the Speaker on the status of implementation of the recommendations contained in the 1<sup>st</sup> Report of the Standing Committee on External Affairs.

The 1<sup>st</sup> Report of the Standing Committee on External Affairs on the Demands for Grants 2009-2010 was presented to the Lok Sabha on 3<sup>rd</sup> December, 2009 and laid in Rajya Sabha on 3<sup>rd</sup> December, 2009. Action Taken Replies (ATR) of the Government on the recommendations/observations of the Committee were sent to the Committee on 10<sup>th</sup> March, 2010.

As required, the present status of implementation of the recommendations of the 1<sup>st</sup> Report of the Standing Committee is detailed at the Annexure which is laid on the Table of the House.

I hope that the hon. Members will be satisfied with the action taken by my Ministry.

-

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2324/15/10.

# 12.03 hrs.

# MOTION RE: FIFTEENTH REPORT OF BUSINESS ADIVSORY COMMITTEE

SHRI GOPINATH MUNDE (BEED): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26<sup>th</sup> April, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26<sup>th</sup> April, 2010."

The motion was adopted.

### 12.04 hrs.

### RE: NOTICE OF QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, we all have given notices of breach of privilege against the Prime Minister and the breach of privilege takes precedence over everything... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes. I just have to say something.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a notice.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I have received a notice of question of privilege dated 27<sup>th</sup> April, 2010 given by Shri Gopinath Munde and 44 other Members against the Prime Minister under Rule 222 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The matter is under my consideration.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is under my consideration. We are not going into the merits of the case now.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I have said that it is under my consideration.

MADAM SPEAKER: Now, we will take up 'Zero Hour' and Dr. Jyoti Mirdha to speak.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Jyoti Mirdha says.

(Interruptions) ... \*

**डॉ.** ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदया, आज मैं सदन के अंदर एमसीआई और केतन देसाई से रिलेटिड अपनी बात रखना चाहती हूं कि समय-समय पर इस तरीके से...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदया, हमारी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is under my consideration. I have said that.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: It is under my consideration. Please take your seats. If something is under my consideration, you must respect that.

**डॉ**. ज्योति मिर्धा: महोदया, केतन देसाई और एमसीआई में जो अनियमितताएं हो रही हैं, उनके बारे में अभी हाल ही में मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि केतन देसाई के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**डॉ.** ज्योति मिर्धा: महोदया, केतन देसाई हाल ही में अरेस्ट हुए थे और उन पर इल्जाम यह था कि वे इररेग्युलरटीज़ के चलते पंजाब के एक प्राइवेट मैडिकल कॉलेज को रिकग्नॉईज करने में लगे हुए थे। इस तरीके की शिकायतें सदन में पहले भी आयी हैं। ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, एमसीआई टाइप की और बॉडीज जो हैं, एमसीआई का मुख्य काम मैडिकल कॉलेजों के अंदर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मैनटेन करना है और उन्हें रेग्युलराईज या डी-रिकग्नॉईज करना। इसके अंदर रह-रहकर इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि जो प्राइवेट मैडिकल कॉलेजेज़ होते हैं, उन्हें पहले खबर मिल जाती है कि इंस्पेक्शन कब होने वाला

<sup>\*</sup> Not recorded

है और वे वहां पर किराये पर स्टाफ लाकर खड़ा कर देते हैं। इंस्पेक्शन के दौरान वह चीज पास हो जाती है और वे मैडिकल कॉलेजेज़ चलते रहते हैं चाहे वे स्टैंडर्ड हों या सब-स्टेंडर्ड हों। गवर्नमेंट कॉलेज़ इन प्रैक्टिसिस में नहीं लग सकते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर एक मैडिकल कॉलेज के अदंर, शायद उन्हें पहले खबर नहीं लगी थी कि इंस्पेक्शन के लिए टीम आ रही है। ...(व्यवधान) जो बैरे या क्लिनर थे, उन्हें डॉक्टर बनाकर वहां इंस्पेक्शन में खड़ा कर दिया गया। मेरा यही कहना है कि जो ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके अंदर जो हैल्म पर आदमी होता है, उन्हें समय-समय पर इन बॉडीज को डिजोल्यूट करना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपको बुलाएंगे। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**डॉ**. ज्योति मिर्धा : ताकि उनकी ऑटोनॉमी और उनका जो अनएम्प्लायस नैचर है, उसे मैनटेन किया जा सके। क्योंकि इन सारे आदिमयों के रूप में, एक आदिमी बीस साल तक वहां बैठा रहता है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Jyoti Mirdha:

- 1. Shri P.K. Biju
- 2. Shri Mahendrasinh P. Chauhan
- 3. Dr. Tarun Mondal
- 4. Dr. Anup Kumar Saha

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the submission of Dr. Thambidurai.

(Interruptions) ... \*

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I would like to bring to your notice a very important matter of urgent public importance which is also a matter of propriety of this House and of the Government... (*Interruptions*). The whole country knows that because of the wrong policy of the hon. Minister, the country

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

has lost Rs.1 lakh crore. Whenever we are raising this issue, the Minister used to just say... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not make allegations.

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : I am not making allegations. I am only telling that the country has lost Rs.1 lakh crore... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not make allegations.

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: This is what I am raising. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I am telling him not to make allegations.

... (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : I am not making any allegations... (*Interruptions*). I am telling that the country has lost Rs.1 lakh crore because of wrong policy. Whenever we had raised this matter, the Minister used to tell that he had followed the policy of first-come-first-served.

Madam, even the Delhi High Court has observed that because of the wrong policies ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

## 12.11 hrs.



The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

# 14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, before the House got adjourned, I raised an important matter with the permission of the Chair. ... (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Deputy-Speaker, are you going to take up the 'Zero Hour' again? ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर अध्यक्ष महोदया ने रूलिंग दे दी है, अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

# 14.00 hrs.

At this stage, Shri C. Sivasami and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

### 1401 hrs.

#### MATTERS UNDER RULE 377 \*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

... (*Interruptions*)

(i) Need to ensure implementation of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 by all the States in a time bound manner

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): I rise to express my concern on the very slow pace of implementation of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 enacted by the UPA Government during its first tenure in some States including Karnataka.

Many States have already gained on the Centre's initiative by speedy screening and processing the claims to identify the bona-fide beneficiaries and distribution of title deeds to those setllers who were in occupation of forest lands on or before the specified cut-off date i.e. 13.12.2005.

I urge the Centre to prevail upon those states lagging behind in the implementation of the Act to ensure that this well-intentioned initiative by the Centre is given effect in a time bound manner to bestow the rights on forest dwellers in true spirit of the enactment.

\_

<sup>\*</sup> Treated as laid on the Table

# (ii) Need to provide financial relief to the people affected due to heavy storm and rain in Kerala.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to draw the kind attention of the Union Government towards heavy storm and rainfall, which has adversely affected four talukas, i.e. Mavelikkara, Chenganur, Kuttanad and Karthikapalli of Allappey District in Kerala during the first week of April, 2010. Due to storm and rain, more than 2,000 houses are totally damaged and more than 5,000 houses are partially damaged. Many people also got injured. The entire agricultural crops were also destroyed and thousands of acres of paddy fields got damaged. Different kinds of valuable trees had collapsed. Total electricity and electric posts in these areas disturbed and still it is not rectified and people of these areas are living without power. Because of this natural calamity, the water supply in these talukas is badly affected and the people are facing great difficulties in getting drinking water.

According to the initial assessment, total loss comes to more than Rs. 100 crore. But the State Government has not announced any calamity relief so far.

I, therefore, urge upon the Union Government to send a high-level team to assess the total loss suffered and release substantial amounts for the immediate relief works for these talukas at the earliest.

# (iii) Need to release funds for early completion of Multi Model Transport System, Phase-2 projects in Andhra Pradesh.

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the need to allocate sufficient funds to complete the second phase of MMTS projects in Andhra Pradesh.

Hyderabad has become a very populated city due to the high growth of population in the last decade and the commuters are facing a lot of difficulties in their day to day journeys. To provide comfortable journey and to meet the genuine demands of the local people, there is an urgent need to complete the MMTS Phase-2 project in the vicinity of Hyderabad. Under MMTS- Phase-2, I request the Government to introduce diesel multiple units Hyderabad-Secunderbad-Miryalagunda, Hyderabad-Secunderabad-Mahabubnagar routes. The other routes identified are Secunderabad-Bollaram-Medchal for 28 kms, Falaknuma-Umdanagar-Shamshabad for 20 kms, Secunderabad-Ghatkesar for 19 Kms, Moulali-Sanatnagar through chord line for 21 kms., Kachiguda-Sitaphalmandi, Malkajgiri-Moulali chord line for 10 kms., Tellapur-Patancheru for 9 Kms. To complete these projects, Rs. 641 crore are required from the Ministry of Railways.

I, therefore, request the Hon'ble Minister of Railway to release the required funds to complete the MMTS Phase-2 projects in the remaining Eleventh Five Year Plan by announcing a Special Package for Andhra Pradesh.

(iv) Need to expedite the construction of the railway bridge across the river Bhagirathi between Nashipur and Azimganj in Murshidabad Parliamentary Constituency, West Bengal.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Nashipur- Azimganj Railway Bridge across the river Bhagirathi was a dream of the people of Murshidabad which had been cherished since the Independence. During the regime of UPA, the bridge was sanctioned.

The single Railway bridge can bring about a radical change in the economic horizon of my district as it may render a new railway route by opening an access to the North and North East India. With much fanfare, the construction of the Railway Bridge was set off much to the exuberance of the common people of my district.

But very recently it is observed that due to land acquisition problem, the construction work on the western part of river is impeded.

I would request the concerned Minister to intervene into the matter and resolve it if any grievances are found and ensure early completion of the construction of the bridge.

(v) Need to implement welfare schemes for the benefit of weavers in Ambedkar Nagar district, Uttar Pradesh.

**डॉ.** निर्मल खत्री (फ्रेंज़ाबाद): मैं सरकार का ध्यान जनपद-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश् के जलालपुर, टांडा, भूलेपुर, इल्तिफातगंज आदि स्थानों पर बुनकरों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। पिछले दो माह में बुनकरों के प्रयोग में आने वाले सूत (यार्न) की कीमत काफी बढ़ गई है, जबिक केन्द्र सरकार ने कोई टैक्स इस पर नहीं लगाया है।

उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सूत स्थानीय तौर पर मिल सकें, इसके लिए सूत मिलों को स्थापित करना, सरकारी डिपो सूत की बिक्री और बुनकरों को बनाये सामान की खरीद के लिए स्थापित हो।

बुनकरों को बिजली आपूर्ति ठीक कराई जाये व कृषि ऋणों को माफ करने की केन्द्र सरकार की पिछली योजना की भांति बुनकरों के कर्जे को भी माफ किया जाये।

# (vi) Need to allocate LPG Agencies under Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitrak Yojana to all the States as per their population

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना केन्द्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य करती है। लेकिन सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 306 एजेंसियां, तिमलनाडु में 134 एजेंसी, कर्नाटक में 48 और गुजरात में 41 एजेंसी आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

महोदया, मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन प्रदेशों में एल.पी.जी. एजेंसियां दी जा रही हैं, उन प्रदेशों में जनसंख्या के अनुपात में एजेंसियां दी जायें और जिन-जिन प्रदेशों में नई एजेंसियां अभी तक नहीं दी गई हैं, वहां भी आबंटित की जायें।

# (vii) Need to construct a dam on Dhadar and Tilaiya rivers in Nawada district, Bihar with a view to provide irrigational facilities in the region.

**डॉ. भोला सिंह (नवादा):** बिहार राज्य के नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ एवं नरहट प्रखंडों के दो सौ गांवों की एक लाख की आबादी की जीविका तिलैया और ढाढ़र निदयों के जल से होने वाली सिंचाई पर ही निर्भर है। इन दो निदयों में डैम बनाकर सिंचाई की परियोजना का कार्यान्वयन अपेक्षित है। 1980-85 के मध्य केन्द्र सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय ने योजना के प्राक्कलन बनाने का कदम उठाया था, पर उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह ढाढ़र और तिलैया निदयों में डैम बनाकर सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्रता शीघ्र कार्यान्वयन करे।

# (viii) Need to trace the whereabouts of Captain Kalyan Singh Hari Singh Rathod of Assam Regiment mission since Indo-Pak war of 1971.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के हिम्मतनगर तहसील के अंतर्गत गांव चांदरणी के निवासी कैप्टन कल्याण सिंह हरीसिंह राठोड़ - आसाम रेजीमेंट बै. नं0 आईसी 23148 जम्मू कश्मीर के छांव सेक्टर में बलसारा पाईन्ट पर दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में युद्धभूमि पर दुश्मनों के साथ लड़ते-लड़ते गुमशुदा हो गये। आज वे किस हालत में हैं, किसी को नहीं पता। शायद जिंदा है या नहीं वो भी मालूम नहीं। उनका शरीर भी आज तक नहीं मिला, इसलिए संभव है कि उन्हें युद्धकेंदी बना लिया गया हो।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय में सही जांच की जाये। अगर कल्याण सिंह नहीं मिले तो उन्हें शहीद घोषित करके मरणोपरान्त मिलने वाला सम्मान शौर्य चक्र या अन्य नियमानुसार जो मेडल मिलना चाहिये, उससे सम्मानित किया जाये ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे क्षेत्र को भी गौरव मिले और साथ उनके परिवार को भी नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, जिनके लिए वे हकदार हैं।

# (ix) Need to re-introduce Jodhpur mail connecting Jodhpur and Delhi via Churu and extend express train between Sarai Rohilla (Delhi) and Sadulpur upto Ratangarh

श्री राम सिंह करवां (चुरू): जोधपुर से दिल्ली वाया चुरू जोधपुर मेल मेरे संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण रेलगाड़ी थी, जिसे लगभग 15 वर्ष पूर्व डेगाना-दिल्ली वाया चुरू रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दिया गया था, तब से मेरे सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र का संबंध दिल्ली से कटा हुआ है। आज आमान परिवर्तन का कार्य भी पूर्ण हो गया है। उक्त गाड़ी को पुनः चालू करने के लिए इस क्षेत्र की जनता एवं मेरे द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी उक्त गाड़ी के संचालन की घोषणा रेल बजट में नहीं की गई है। मात्र रेवाड़ी-डेगाना पैसेंजर गाड़ी के संचालन की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली-सरायरोहिल्ला से सादुलपुर तक सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में 6 दिन संचालित करने की घोषणा की है, इसे अविलम्ब चालू करते हुए इसे रतनगढ़ तक बढ़ाया जाये।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की महत्ती आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त गाड़ियों का संचालन अविलम्ब किया जाये।

(x) Need to provide necessary funds under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana for electrification works in Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एक प्रभावकारी कदम है। मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी जिलों में लगभग सैंकड़ों गांवों एवं पुरवों का इस हेतु सर्वे हो चुका है एवं इसका एस्टीमेट भी बनाकर विभाग ने केन्द्र सरकार को भेजा है लेकिन केन्द्र सरकार ने आज तक इस परियोजना के लिए धनराशि राज्य सरकार को नहीं भेजी है।

में केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु धन मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के लिए तत्काल भेजे ताकि उपरोक्त सैंकड़ों ग्रामों एवं पुरवों में विद्युतीकरण हो सके।

(xi) Need to speed up electrification works under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Deoria and Kushinagar districts in Uttar Pradesh.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देविरया): मेरे संसदीय क्षेत्र देविरया के देविरया एवं कुशीनगर के जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य बहुत ही धीमी गित से चल रहा है और केन्द्र सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 1600 के आसपास गांव हैं, जिसमें अभी तक 700 गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण हो पाया है, जिससे छात्रों के पठन पाठन एवं खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दियारा मोड़ एवं निदयों के आसपास के गांव में भी विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। यहां पर अभी सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली गांव तक पहुंचाई जा सकती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र देविरया के देविरया एवं कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यो में तेजी लाई जाये, जिससे उपरोक्त जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके एवं इन कार्यो के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

# (xii) Need to accord special status to the State of Bihar and provide adequate funds for its overall development.

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): कुछ वर्ष पूर्व बिहार राज्य का विभाजन कर बिहार एवं झारखंड राज्य बना दिये गये। झारखंड जब बिहार का हिस्सा था तो उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे प्रकोप के चलते उद्योग वगैरह मध्य बिहार में जो आज झारखंड में हैं, ज्यादातर लगाये गये। खनिज सम्पदा के चलते बिहार की पूर्व सरकारों ने बिहार के राजस्व का अधिकांश हिस्सा झारखंड में निवेश किया एवं उत्तर बिहार का हिस्सा औद्योगिक निवेश से वंचित रहा, जिसके कारण रोजगार झारखंड में ही बढ़ा। परिणामस्वरूप आज बिहार के पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं, जिसके चलते बाढ़ जैसी समस्या का समाधान एवं विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बिहार सरकार बराबर बिहार को विशेष दर्जा देकर वित्तीय सहायता की मांग करती रही है, परंतु केन्द्र सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाये, जिससे बिहार भी अन्य राज्यों की तरह अपना विकास कर सके और बिहार से अन्य राज्यों को होने वाले पलायन को रोका जा सके।

# (xiii) Need to take steps to revive 'Krishi Bikash Shilpa Kendra', an organization serving common people in West Bengal.

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I am raising matter of an organization started in 1979 by an Ex-Serviceman serving the common people, downtrodden, Scheduled Castes and Scheduled Tribes mainly the women folk and children. The organization was immensely praised by our late Prime Minister Indira Gandhi. In fact, she once mentioned the name of the 'Krishi Bikash Shilpa Kendra' as an exemplary organization serving the common people in one of her speeches at the Red Fort in 1983.

Encouraged by her appreciation, this organization wanted to regularize the services of its workers totaling about 4200 to 6500 at least in group 'D' category. After the sad demise of our beloved Prime Minister Indira Gandhi, they went from pillar to post, knocked every door, but all their efforts were in vain. Their activities in the field of rural education, health care and awareness for drinking water spread almost all over the State of West Bengal in 204 blocks which are praiseworthy. The organization even impressed the Late Prime Minister who recommended it to be recognized as a national organization vide order No. F-2-39(4)83 PMPI dated 16/4/83. However, after her death the activities of this organization gradually dwindled due to the uncertainty in future job prospects of the workers.

I, therefore, request the Central Government that such a vibrant organization should not be allowed to die and every effort should be taken for its revival by its take over by the Central Government. I am sure the Government will also agree to this proposal and take necessary action for its take over.

### (xiv) Need to exempt the match industry from excise duty.

SHRI S. R. JEYADURAI (THOOTHUKKUDI): The Union Government has set apart Rs. 40,100 crore to create and provide job at least for 100 days in a year through Employment Guarantee Programme.

But the labour intensive match industries have been levied heavy duty at an enhanced rate of 10% increased from 8%. This has been levied even on semi-mechanised match units that employ lakhs of people as manual labour thereby providing job opportunities. These units now face closure due to heavy tax. About 5 lakh people in Tamil Nadu of which about 1 lakh people in my Thoothukudi constituency alone shall have to lose jobs. This danger is looming large now.

There used to be uniform 8% duty on matches manufactured either ways both mechanized and semi-mechanised. Since the smaller match units manufacturing entirely manually, have not been able to face the stiff competition, switched over to semi-mechanised manufacturing of match boxes.

I had urge upon the Finance Ministry to either reduce the duty from 8% or fully remove this from levy of duty. But in this year's Budget, this duty has been enhanced from 8% to 10%.

As the smaller semi-mechanised match units provide job opportunities to may, I urge upon the Union Finance Ministry to reduce the duty from 10 to 8% immediately and later on, semi-mechanised units may be fully exempted from this duty.

# (xv) Need to issue a commemorative stamp honouring the Birth Centenary of 'Kerala Kaumudi' – a popular Malayalam Newspaper

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): The famous and prominent Malayalam daily 'Kerala Kaumudi' was started in 1911 and hence the coming year 2011 is its Centenary celebrations Year. This daily newspaper has been first published from Thiruvananthapuram and its founder Editor was Shri K. Sukumaran, BA, who personally as well as with the help of 'Kerala Kaumudi' has steadfastly fought for social and political rights of the oppressed and the downtrodden. The history of the daily is also the history of struggle for social justice and communal harmony along with national integration. It has also played a major role for the state reorganization and for Kerala's social, political and economic development. Hence, I urge upon the Government of India to issue a commemorative postal stamp honouring the Birth Centenary of 'Kerala Kaumudi'.

# (xvi) Need to open new LPG Agencies at Balurghat in Dakshin Dinajpur district, West Bengal

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): My constituency is Balurghat in West Bengal. Balurghat is the district Headquarters of the Dakshin Dinajpur. Balurghat is a big business place having a population of more than 2 lakhs but there is only one LPG gas dealership for last 25 years. In 2004 an advertisement for allotment of New LPG dealership was published, but it was cancelled. In 2007 another advertisement had appeared for a new dealership but no action was taken. I have also written a letter to the Hon'ble Minster stating all the facts. There is an acute shortage of LPG supply in my Parliamentary Constituency of Balurghat. I again request the Hon'ble Minister to look into the shortage of LPG and take appropriate action in the matter.

# (xvii) Need to undertake renovation work of Ernakulum Railway Station in Kerala

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): The Ernakulam Railway Junction is the largest railway station in Kerala and every day thousands of passengers are using this station for their daily commute from the far and near areas as Cochin is situated close to this railway station. This station lacks the adequate basic facilities for passengers, such as proper waiting rooms and toilets. The passenger lobby is more than fifty years old and small. The ticket counter is so small that even during ordinary hours it is difficult for passengers to stand in the queue and during peak hours this area becomes congested and become unhealthy as it is not properly ventilated and not adequate for the large number of passengers.

On a memorandum from the Ernakulam Railway Passengers' Association in 2002-03, the then Railway Minister ordered for the renovation of this station and a Committee headed by the Ernakulam district collector was formed for the renovation of this station and they brought out a plan for the station but nothing concrete has happened after that. Last year again, this Association brought this matter to the attention of the hon. Minister for Railways as well as to the hon. Minister of State for Railways. As a result, in the interim Railway Budget of July, 2009, it was announced that Ernakulam Railway Junction will be renovated to world standard, but it is learnt that sufficient funds have not been allocated. Before, the Railway Budget for 2010-11, I had again brought the matter of renovation for the attention of hon. Minister for Railways and again there was mention in this year's Railway budget about the renovation of the above station.

I, therefore, urge upon the hon. Railway Minister to start the renovation work of Ernakulam Railway Station at the earliest.

\_\_\_\_\_

### 14.02 hrs.

# **DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2007-2008**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 14.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): This is an important financial matter. You can raise your issue at any time you like. ... (*Interruptions*) The Government is not keeping mum. Everybody is hearing you. Nobody can afford not to listen to you. But this is financial matter. ... (*Interruptions*)

My respectful submission to the hon. Members is that we have decided to pass the Demands for Excess Grants (General) without discussion. I am deeply indebted to the Leader of Opposition and leaders of other political parties as they have agreed to pass the Demands for Excess Grants (General) without discussion. It is a constitutional requirement also and it has been recommended by the BAC. Therefore, as has been suggested, I am moving the Appropriation Bill with the permission of the Chair. If you permit, Mr. Deputy-Speaker, then I will move it. ... (Interruptions)

I will consider it and I will inform you tomorrow. ... (*Interruptions*) Let me look into it. I cannot give any blanket assurance. I will look into whatever points you have raised. I will consider them along with my colleagues. Thereafter, I will respond to them tomorrow. ... (*Interruptions*) Let me look into it. I have heard you. Let me examine the papers. Let me consult my colleagues. The Government has a way of taking a decision. Making a statement in the Parliament is not a simple thing. Therefore, I shall look into it. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2007-08 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended the 31<sup>st</sup> day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 22, 39, 59, and 95."

The motion was adopted.



#### 14.05 hrs.

## APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2010\*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 15.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce\*\* the Bill.

<sup>\*</sup>Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 2, dated 28.4.10

<sup>\*\*</sup> Introduced with the recommondation of the President

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up the Motion for consideration of the Bill.

# SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:

"That the Bill to provide for authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

# MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2008 in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Next item is consideration of the Finance Bill. ... (*Interruptions*) Most respectfully I appeal to you to please go to your seats. This is Finance Bill. ... (*Interruptions*) Only ten Members are taking the House of 543 Members to ransom. This is Finance Bill.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Thambidurai, tomorrow you give a notice again. Hon. Speaker will take appropriate decision tomorrow. ... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I, once again, appeal to my colleagues to go back to their seats because the most important business of this Session, the discussion on the Finance Bill, is going to be taken up and few hon. Members are disrupting the House by standing between me and the Members of the Opposition. This is not fair. I request them to go back to their seats. ... (*Interruptions*)

#### 14.11 hrs.

#### **SUBMISSIONS BY MEMBERS**

Re: Demand for Constitution of JPC to examine the irregularities and malpractices in Indian Premier League (IPL) and alleged phone tapping of political leaders

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a very serious issue. It is an issue which is linked to the IPL also. There are phone tappings which show that Cricket betting has also taken place and, therefore, we revert to our original demand that there must be a JPC to investigate the IPL and all related matters. ... (*Interruptions*) We want the Government to respond to this. We have given a notice on breach of privilege against the Prime Minister that he has spoken outside on this issue. Now, the Leader of the House must respond and say as to what is the Government's response to our demand for a JPC.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, this issue has been raised already. The question of formation of a JPC in respect of IPL has also been raised. I said the Government will consider and the Government will inform the House. In the same statement, as the hon. Members will recollect, I said that the House is continuing and the House will continue. But we have some time-bound business to be completed and that is the financial business which ought to be transacted. With the cooperation of hon. Members, we have transacted one item just now. I have talked to the Leader of the Opposition and other leaders that by tomorrow evening we hope to complete the third leg of the budgetary process by passing the Finance Bill.

Thereafter definitely we will be addressing all the issues which the hon. Members have raised, the IPL issue and even the issue which has been raised today and what appropriate steps the Government will take, I will inform the House. I am not running out of the House. The House is going to continue up to 7<sup>th</sup> of May. There is time. Let them have some patience and allow the financial business to be transacted now.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, नेता सदन ने जो फाइनेंस बिल को पारित करने की बात कही है, मैंने सदन के बाहर भी उन्हें आश्वस्त किया और मैं सदन के अन्दर भी खड़ी होकर उन्हें आश्वस्त करती हूं कि हम किसी भी वित्तीय कार्य में बाधक नहीं बनेंगे। वित्त बिल पारित होगा और कल ही पारित होगा, हम परसों तक नहीं ले जाएंगे। अगर शाम को भी देर रात तक बैठना होगा तो हम बैठेंगे, लेकिन वित्त विधेयक पारित करेंगे। वित्त विधेयक पारित करना केवल सरकार की नहीं, विपक्ष की भी बराबर की जिम्मेदारी है और हम अपनी भूमिका को निभाएंगे।

जो सवाल यशवन्त सिन्हा जी ने उठाया, मैं केवल उसके बारे में जानना चाह रही हूं कि नेता सदन ने मेरे द्वारा उठाई गई मांग पर उस दिन भी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि हम आपकी बात को कन्सीडर कर रहे हैं और मैं आपकी भावनाओं से प्रधानमंत्री को अवगत करा दूंगा, जब मैंने आई.पी.एल. पर जे.पी.सी. की मांग की थी। आपने यह प्रतिक्रिया दी थी और मैं बैठ गई थी, लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि प्रधानमंत्री ने बजाय सदन में कहने के बाहर हमारी मांग को खारिज किया, इसलिए हमारे लोगों की तरफ से प्रिवलेज दिया गया है। मैं यह कह रही हूं कि आप आज फिर कह रहे हैं कि हम कन्सीडर करेंगे। हम केवल यह जानना चाह रहे हैं कि कंसीड्रेशन के बाद आप मानें या नकारें, यह आपका अधिकार है, आपके प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष मांग कर सकता है, हम नकार सकते हैं, बिल्कुल नकार सकते हैं, मगर सदन के भीतर नकारिये, सदन के बाहर नहीं।

इसलिए मेरा आपसे महज़ यह कहना है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप फिर टोका-टोकी क्यों कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मेरा नेता सदन से विनम्र अनुरोध यह है कि आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हूं और इस सदन के ही नहीं, इस समय की पूरी संसद के सबसे विष्ठ सांसद हैं, इसिलए आपको यह मालूम है कि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री का पहला दायित्व सदन के प्रति होता है, बाहर नहीं।

जो मांग सदन के अंदर उठायी गयी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठायी गयी और नेता सदन द्वारा प्रतिक्रिया करके यह कहा गया कि मैं प्रधानमंत्री जी को भावनाओं से अवगत करा दूंगा, उसका जवाब मुझे अखबार में पढ़ने को क्यों मिला, सदन के अंदर क्यों नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और हमारी बात का जवाब देंगे? यह हमारा आपसे प्रश्न है। वित्त विधेयक पारित होगा, आप इसकी चिंता मत करिए। इसे हम वित्त करायेंगे। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए, तब तो यह पास भी नहीं होगा।

### ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि फोन टेपिंग, आईपीएल और करण्डान ये जुड़े हुए सवाल हैं। जब फोन टेपिंग का सवाल उठा, तो नेता सदन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे और उसके बीच में चेयर ने कहा कि सारे अपोजीशन को बुलाने के बाद ही इसका जवाब दिया जाएगा। चिदंबरम साहब, होम मिनिस्टर खड़े हुए और उन्होंने पूरा बयान पढ़ दिया। ...(व्यवधान) वे खड़े हुए और उन्होंने बयान दे दिया। मैं इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि आपके कहे अनुसार हम बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने बात पढ़ दी और उनकी बात देश में चली गयी। हम इस पर कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी को लक्ष्य बनाकर नहीं कहना चाहते या किसी पक्ष के अनुसार नहीं कहना चाहते हैं। ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। एक नए तरीके से जो टेप हुआ, उसमें जो अंतिम टेप है, उसका आईपीएल से भी संबंध है। इसलिए मेरा कहना है कि जो फोन टेपिंग मामला है, उस पर भी, क्योंकि वह आइसोलेटेड मामला नहीं है, मिला हुआ मामला है, सदन में उसको उठाने का मौका हमको मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हो गया। इसे बहस का विषय मत बनाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने बोल दिया है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I can assure the hon. Members that three or four important issues, the IPL issue, then the issue which has appeared in a section of the media in respect of some phone tapping, the statement which the hon. Home Minister made in connection with phone tapping etc., we will have the opportunity of discussing with the leaders of various political parties. The Government will consider as to what approach it will take and thereafter either myself or the Prime Minister will come to the House and inform the House. But it will be done after the financial business is transacted by tomorrow in this House.

#### 14.18 hrs.

#### FINANCE BILL, 2010\*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up item no. 17. Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move\*\*:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

The normal practice is that the Finance Bill is introduced as soon as the Budget is placed before the House. The Finance Bill was introduced on 26<sup>th</sup> of February, the last working day of February. Today, when I am speaking in this House, it is almost the end of April and in between certain developments had taken place. I will go into all those details after listening to the Members of the House who will participate in this discussion on the Finance Bill. But I would now just like to give some broad parameters of the developments which have taken place during this interregnum.

As I just moved the Finance Bill, 2010 for consideration of this august House, it is with some satisfaction that I report the positive developments in the Indian economy in the last few months. The turnaround of the economy which started in the second quarter of 2009-10 is likely to result in a growth of 7.2 per cent for the full year 2009-10 as indicated in the Advance Estimates of the Central Statistical Organisation.

<sup>\*</sup>Published in the Gazette of Indiia, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 28.4.10

<sup>\*\*</sup> Moved with the recommendation of the President.

The upward shift in India's growth trajectory has been anchored strongly in robust growth in consumption. The salutary impact of the fiscal stimulus, along with the monetary measures implemented by the RBI, facilitated the growth recovery by regenerating the investment impulses and private spending.

In the Budget for 2010-11, I have initiated a partial roll back of stimulus measures and a resumption of the fiscal consolidation process with fiscal deficit at 5.5 per cent of GDP. The Medium Term Fiscal Policy Statement 2010-11 provides the roadmap with fiscal deficit declining to 4.8 per cent of GDP in 2011-12 and further to 4.1 per cent of GDP in 2012-13.

A focus on bringing down the level of public debt as envisaged in the Thirteenth Finance Commission's Report, perhaps for the first time, and as announced in the Budget for 2010-11 would anchor the fiscal consolidation process in a sustainable debt framework.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, what is most worrisome feature of the economy is the inflation which agitates the entire House and the people outside the House. I share the concern of the hon. Members.

The year 2009 started with low WPI inflation of 1.3 per cent in April 2009, which relapsed to the negative zone during June, July and August, 2009. The WPI inflation turned positive in September 2009; thereafter it moved upward, an upward trend has been observed continuously. Clearly, the current levels of inflation are elevated and more generalized and the WPI inflation in March 2010 stood at just below the mark of double-digit at 9.9 per cent. What has led to deep concern is the double-digit food inflation. The gradual increase in food inflation observed till December 2009 was due to expectations of the supply-side constraints on food items, especially due to unfavourable south-west monsoon. As per the Second Advance Estimates of production of food grains for 2009-10, the total food grains production has been estimated at 216.85 million tonnes, which is about five per cent lower than the Second Advance Estimates of last year.

The Government has utmost concern about the current price situation. We have taken a number of short-term and medium-term measures to improve the domestic availability of essential commodities and to moderate inflation. These include: reducing the import duties for rice, wheat, pulses, crude edible oils and sugar to zero; allowing import of raw sugar at zero duty under the Open General Licence; removing levy obligation for imported raw sugar and white/refined sugar; banning export of non-basmati rice, edible oils and pulses and imposing stock limit orders in the case of paddy, rice, pulses, sugar, edible oils and edible oilseeds. A Core Group of Chief Ministers and Central Ministers has been constituted on 15<sup>th</sup> March, 2010 to discuss the issues related to the prices of essential commodities. Besides, to protect the interests of the poor and vulnerable sections of the society, in order to protect the interests of the poor families, the Central Issue Prices for rice and wheat have been kept unrevised at 2002 levels.

We have sufficient stocks of wheat and rice to meet the demands of the Public Distribution System and other welfare schemes. As on 15.4.2010, 25.4 million tonnes of wheat in RMS 2009-10 and 25.9 million tonnes of rice have been procured in Kharif Market Season of 2009-10, that is October to September. The Central Pool stock of wheat is at a high of 183.88 lakh tonnes and of rice at 269.50 lakh tonnes as on 1.3.2010.

In the case of pulses, the shortfall of domestic production has been made up by higher imports. Considerable support has been provided to the Public Distribution System. For pulses and edible oil, the Government is bearing a subsidy of Rs.10 per kilogram and Rs. 15 per kilogram respectively for distribution through PDS and Fair Price Shops. The Core Group of Chief Ministers and Central Ministers held its first meeting on 8<sup>th</sup> April, 2010. Three Working Groups consisting of Chief Ministers of various States are now engaged in drawing up recommendations on agricultural production, consumer affairs, and food and public distribution. The Reports are expected by the middle of June, 2010.

Indications of softening of food inflation are clearly visible. There has been a significant decline from the peak food inflation of over 20 per cent recorded in December, 2009 to 17.7 per cent in March 2010. The inflation in essential commodities also declined from the peak of 23.8 per cent in January, 2010 to 19.8 per cent in March, 2010. It is expected that this decline would continue in the coming months uninterruptedly.

From the monetary side also we have taken certain steps in the recent policy statements by the Reserve Bank of India on 20<sup>th</sup> April, which have been gradually fine-tuned by the RBI to face the inflationary challenges. The Repo Rate has been increased from 5 per cent to 5.25 per cent and the Reverse Repo Rate from 3.50 per cent to 3.75 per cent. The CRR has also been increased from 5.75 per cent to 6 per cent. These measures are expected to anchor the inflationary expectations.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would now like to say a few words on the growth prospects. While the slowdown in agriculture, inflicted by the monsoon failure, poses concern on the food and food prices front, the impressive recovery achieved by the Indian industry in the recent months is heartening. The Index of Industrial Production recorded a growth of 10.1 per cent during April-February 2009-10, compared to three per cent during April-February 2008-09. While both manufacturing and mining grew around 10 per cent, electricity grew at 5.8 per cent during April-February 2009-10. All the major segments of industry except consumer non-durables staged a strong recovery. The intermediate goods grew at 13.7 per cent and consumer durables recorded an appreciable 25.5 per cent growth in April-February 2009-10. The growth of capital goods at 18.2 per cent in April-February 2009-10, on top of their reasonable growth in the previous year, is indicative of the pickup in investments.

I have already informed the House that the Government is firmly committed to the goal of comprehensive tax reform through the introduction of the Direct Taxes Code as well as the Goods and Services Tax. I am happy to inform the hon.

Members that in the case of DTC, the process of consultation with the stakeholders for revising the first draft is almost over. We expect to place a revised Discussion Paper in the public domain by next month. After a quick round of consultations with some of the major stakeholders, we expect to submit the Draft Legislation to Parliament in the Monsoon Session.

I have indicated my intent to introduce the GST in the country with effect from 1<sup>st</sup> April, 2011. The Central Government is closely engaged with the Empowered Committee of the State Finance Ministers in finalizing the GST design. Some of the States apprehend that they may lose some revenue in the initial years of the GST regime. The Central Government is willing to provide compensation to the States for these initial years, provided there is an agreement on the broad framework for a common threshold for Goods and Services between the Centre and the States; common exemption lists between the Centre and the States; mechanism to check deviations and acceptable level of overall GST rates. The design and modalities of providing this compensation would be worked out in consultation with the State Governments and the Empowered Committee; and I am expecting the support and cooperation from my colleagues from different parties, who are having their Governments in different States because these should be the most effective tax reforms so that we can successfully implement the GST. So, this is the area where the cooperation of all sections of the House is absolutely necessary.

I am confident that we will be able to harness that cooperation.

Looking from this perspective, the final outcome for the year 2010-11, Mr. Deputy-Speaker, Sir, I feel there are several factors that have emerged from the performance of the economy in the recent period which augur well for the Indian economy. Attesting the impressive recovery of the industrial sector, there is a revival in investment and private consumption demand, though demand recovery is yet to attain the pre-2008 momentum. The favourable capital market conditions

with improvement in capital flows and business sentiments are also encouraging. There is also a significant pickup in corporate earnings and profits.

The outlook is further brightened by the fact that a normal monsoon is predicted this year, and I hope this prediction comes true.

Going by these indications and considering that agriculture had a set-back in 2009-10 and is only gradually getting back to the projected path, the Indian economy is expected to grow around 8.5 per cent during 2010-11 and to breach the nine per cent mark in 2011-12.

Since the presentation of the Budget on 26<sup>th</sup> February, 2010, we have received a large number of representations and suggestions both from trade and industry as well as my colleagues sitting in this august House. While some seek modifications to the existing proposals, others have urged for fresh reliefs. Some valuable suggestions were also made by the hon. Members during the general discussion on the Budget in the first phase of this Session. I expect to receive some more suggestions in the course of the discussion which will take place right now. I shall cover the reliefs we propose to grant, the amendments that we seek in the Bill and our response to the issues that are raised in discussions during my reply, as per the practice.

With these words, Mr. Deputy-Speaker, I move for consideration of the Finance Bill, 2010.

#### MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, संविधान के अनुच्छेद 110 और 112 के अंतर्गत जैसा हमारी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह हमारा उत्तरदायित्व है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के साथ ही हमारा सहयोग भी है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो फाइनेंस बिल पर मतदान कराकर सरकार को गिरा सकता है, लेकिन हमारी प्रतिपक्ष की नेता ने इसे जिम्मेदारी माना है और हम इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक की बातों पर आने से पहले मैंने अपने मन में कुछ और सोचा था, मगर जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सामने रखने से पहले कुछ आंकड़े दिए और सारी बातें सदन के सामने रखीं, मैंने उनको सुना। मैं उनके एक शब्द से अपनी बात को, अपने वक्तव्य, अर्थशास्त्र का कहीं से प्राप्त किया हुआ अपना थोड़ा सा ज्ञान और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफार्म से बहुत फायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण टैक्स रिफार्म से होगा। मैं उसी टैक्स रिफार्म पर ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है?

हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश का आम आदमी खुशहाल हो। देश की आजादी के 62 साल बाद, प्रजातंत्र आने के बाद भी आज उसकी क्या स्थिति है, यह हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की बात और अन्य स्रोतों की बात कही। आपने अपने बजट में सरकार की मंशा को व्यक्त किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबकी भी वही मंशा है कि देश की आम जनता खुशहाल हो। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में पेज नम्बर 29 के पैराग्राफ 188 में आपने हमारे सामने महत्वपूर्ण बात को रखा है। उसमें क्या ऐसी बात लिखी है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिसका बार-बार जिक्र करके आप चुनावों में जाते हैं और जीतते हैं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2010-2011 के बजट भाषण में पैराग्राफ 188 को कोट करना चाहूंगा -

"This Budget belongs to 'Aam Aadmi'."

यह बजट आम आदमी के लिए है।

"It belongs to the farmer, the agriculturist, the entrepreneur and the investor. The opportunity is great."

काफी लम्बा पैराग्राफ है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि पिछले दो-तीन दिनों से मुझे गले में तकलीफ है। हम सब मानते हैं कि हमारा मेन थ्रस्ट आम आदमी है।...(व्यवधान) लाल सिंह जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। आज देश में आम आदमी की क्या स्थिति है, वह शायद सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की कि आम आदमी से, किसानों से जुड़े हुए

मामलों को, समस्याओं को लेकर यहां आए और कटमोशन्स के जिए उसे उठाया। हमने उस मामले को यहां रखने का काम किया, जिससे देश की 90 प्रतिशत से ज्यादा जनता जुड़ी हुई है। इसिलए हम कल सदन में कटौती प्रस्ताव के जिए आम आदमी की बात करने आए थे। लालू जी, वैसे मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं सरकार के प्रभाव में या सीबीआई के दबाव में आपने और कुछ अन्य साथियों ने गरीबों के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी, जिसके फलस्वरूप कल यह सरकार बच गई, वरना आम आदमी की बात जो हम कर रहे थे, वह देश के कोने-कोने में जाती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों को बढ़ाने के सम्बन्ध में हमने कटौती प्रस्ताव दिया था। अगर उस पर हम सब एक हो जाते तो किसान भी खुशहाल होता...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): ऐसा नहीं है, हमने सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि इस दौरान वह महंगाई कम करे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी आप बैठ जाएं।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का और विशेषकर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां तो आप कल सरकार गिराने आए थे, वहां झारखंड में आपकी सरकार गिर गई है।...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): जनता के हित के सवाल पर हम एक सरकार नहीं, हजारों सरकारें कुर्बान कर देंगे।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं, कल रात से आप तकलीफ में हैं, लेकिन अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप मेरे परम मित्र हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं।

मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात कही है। बजट में उसकी चर्चा हुई। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं।



लेकिन में कहूंगा कि आम जनता से जुड़ा हुआ, लगातार 7 बार चुनाव जीतकर, संसद में आने वाला में सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुझे भी संस्कृत पड़ने का मौका मिला। में चाहता था कि यहां पुस्तकें लेकर आता और चाणाक्य के एक-एक नीतिसूत्र, कौटल्य के अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त के धर्मशास्त्र का, तीनों शास्त्रों का यहां उल्लेख कर सकता, लेकिन फिर मेरे बाकी मुद्दे रह जाते। यह जो आपने टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, कृपया करके यह जो आपने पिलर बनाया है, यह आम आदमी के लिए नहीं है, वह पैसे वालों के लिए है, उस पिलर को उल्टा कर दो,तभी फायदा होगा। अभी स्थिति क्या है? जो 8 लाख से ऊपर कमाएगा यानी जिसकी आय 8 लाख रुपया है, सबसे ज्यादा फायदा उसे होगा। अस्सी हजार कमाने वाले को 51,500 रुपये का फायदा होगा। इस 51,500 रुपये का मतलब हुआ 45,00 रुपया मासिक। अब जो आदमी अरसी हजार रुपया प्रतिमाह कमाता है, उसे 45,00 रुपया मिले या नहीं मिले उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पांच लाख वाले को 20 हजार रुपये का फायदा है और जो सबसे कम 12 हजार, 15 हजार, 16 हजार कमाने वाले हैं...(व्यवधान) 90 करोड़ लोगों की स्थिति आज दयनीय है। उनको आपने सबसे कम फायदा करवाया है। चाणाक्य का कहना यह है कि पैसे वालों से ज्यादा लो और गरीब को ज्यादा दो और गरीब से ज्यादा मत लो। एक लाख साठ हजार से तीन लाख रुपया कमाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, छोटे कोरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी, जिनकी 15 हजार, 16 हजार रुपये आय है। एक लाख साठ हजार से तीन लाख कमाने वाले को कोई फायदा नहीं है, आम आदमी इसमें आता है। पांच लाख रुपया कमाने वाले कर्मचारी को मैं आम आदमी नहीं कहता हूं। जिसकी मासिक आय 50 हजार है मेरी पार्टी उसे आम आदमी नहीं मानती है, 8 लाख कमाने वाले को आम आदमी नहीं मानती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध प्रार्थना करके यह जानना चाहता हूं कि तीन करोड़ 80 लाख जो टैक्स पेयर हैं, उनमें से 8 लाख से ऊपर कमाने कितने हैं? ...(व्यवधान) ये जो हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के सामान्य नागरिक हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है। तीन लाख से पांच लाख वालों को आठ लाख कमाने वालों से कम फायदा है। मेरा कहना है कि अगर आप आईएएस और वर्ल्ड बैंक के पंजे से निकलोगे और आम आदमी की बात सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने ज्यादा रियायतें, ज्यादा राहत छोटे आदमी को देनी चाहिए, जिसे उसकी जरुरत है।

आप लिमिट बढ़ा दीजिए, लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि छोटे आदमी पैसे वालों में भी नहीं गिने जाते, मध्यम श्रेणी में भी नहीं गिने जाते हैं। गुजरात भवन में काम करने वाला जिसकी मासिक आमदनी 15 हजार है। वह एक लाख साठ हजार से तीन लाख के बीच आ गया। उसके तीन बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ठीक नहीं रहता है, उसकी दवाई करनी है, स्कूल भी भेजना है। अभी उसे दस परसैन्ट तो देना पड़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कीजिए। सदन के सभी माननीय सांसद मेरी इस बात

से सहमत होंगे कि इस पिलर को आप उल्टा कर दीजिए, इसका यही एक सॉल्यूशन है। पैसे वालों को अगर 4500 के बदले पांच सौ का फायदा होगा तो चलेगा। मगर जो बिल्कुल गरीब है, उसे हजार, बारह सौ के बदले टैक्स में ज्यादा रियायत दीजिए। आप सीनियर सिटीजन भूल गये, पश्चिमी अनुकरण के कारण वृद्धाश्रम खुलते रहेंगे, बहने भूल गये। सीनियर सिटीजन के लिए वही दो लाख चालीस हजार हैं। क्या उन पर महंगाई का असर नहीं होता? सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अमरीका की पूरी सरकार बनती है। बहनों के लिए हम यहां संसद में इतनी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आम आदमी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सीनियर सिटीजन्स की समाज में आज जो स्थिति बनी है, हमारे लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी सही कहती है कि देश में आज जो पश्चिमी अनुकरण आया है, उसके कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थाएं बनने जा रही हैं। उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि इस टैक्स स्ट्रक्चर पर आप दोबारा सोचिये, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। गरीब की बात तो बहुत हो चुकी है, मैं उस पर और नहीं बोलूंगा, देश में आज गरीबों की क्या स्थिति है, वह सभी जानते हैं।..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री हरिन पाठक: यदि मैं गरीबों की चिंता नहीं करता तो मैं सात बार संसद में नहीं आता। आप क्या जानते हो, मेरे क्षेत्र में गरीब रहते हैं। मैं अहमदाबाद के उस इलाके का और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां गरीब बसते हैं। मैं कोई पैसे वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप क्या करोगे गरीबों की चिंता, मैंने एक गरीब शिक्षक के बेटे के नाते गरीबी देखी है। ...(व्यवधान) मैंने गरीबों को पढ़ाया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठक : आप पहली बार चुनाव जीतकर आये हो और गरीबों की बात करते हो। मैं आप सबकी बात करता हूं। आप गरीबों की बात कहिये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री हरिन पाठक: मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, मैंने बीस सालों में कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूं, जो हमारे मन में है, आपने भी कहा है कि गरीब के बारे में सोचें,

मध्यम वर्ग के बारे में सोचें और इस पिरामिड में थोड़ा का चेंज करके, बदलाव करके उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए तो बढ़ती हुई महंगाई में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। यही मुख्य बात मुझे आपसे कहनी है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमने बजट में ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहे, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलियेगा।

श्री हरिन पाठक: मैं चार-पांच मुद्दों पर ही बोलूंगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठक: ये मजाक में लेते हैं। मैं उन गरीबों की बात करना चाहता हूं...(व्यवधान) नहीं होगा तो मैं चुप बैठूंगा। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है और न कोई ऐसी बात कही है, जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। यदि कोई अच्छे सुझाव देता है, आपको वह भी पसंद नहीं है। मैं गरीबों के लिए सुझाव दे रहा हूं। मैने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। मैं तो केवल गरीब की बात करता हूं। क्या मुझे गरीब की बात करने का अधिकार नहीं है?

उपाध्यक्ष जी, मेरा दूसरा मुद्दा फाईनैंस बिल पर हाऊसिंग सैक्टर के बारे में है। जो टैक्नीकल मुद्दा था, वह मैने कह दिया है। अब फाईनैंस बिल की यह जो लाल किताब है उसमें Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 2010. मुझे फाईनैंस बिल पर बोलना है, कोई भाषण नहीं करना है। There is a difference between Budget and the Finance Bill. I am speaking on the Finance Bill. जो टैक्नीकल पाइंट्स आयेंगे, मैं उन्हें रखना चाहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं हाऊसिंग सैक्टर की तरफ फाईनैंस मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने फाईनैंस बिल के पेज 21 पर II पाईंट-5 पर कहा है कि दस लाख तक का जो लोन होगा. उसपर एक परसेंट इंटरैस्ट माफ होगा। जहां तक मैं समझता हूं और मैने देखा है कि आज तक 10 से 20 लाख तक के लोन पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा । जो आदमी 20 लाख का घर बनायेगा और अगर वह दस लाख लोन लेगा तो एक परसेंट के हिसाब से उसे केवल दस हजार रुपये का फायदा होगा। आज तक क्या होता था? जब वह मकान बनाता था तो धीरे धीरे वह किश्त देता था लेकिन अब बीस लाख के लोन पर , जहां तक मेरा ज्ञान है, आप सही हो सकते हैं और जो लिखा है कि जो मकान बनायेगा, उसका दो तिहाई अभी तक आपके बजट में रिलीफ में आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन जो एक तिहाई बचा है उस पर 3.40 प्रतिशत टैक्स लगेगा और वह टैक्स होगा 66,666 रुपये। आपने दस हजार रुपये का फायदा करवाया लेकिन उससे लिया 66,666 रुपये। जो लिया उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा जो अभी तक नहीं था। वित्त मंत्री ने कहा है कि हाऊसिंग सैक्टर में तीन हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेगे। मेरे हिसाब से उससे भी

ज्यादा पैसा आप लेने वाले हैं। आपने 25 नई सर्विसेज डाली हैं जिन पर सर्विस टैक्स डाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि उन पर रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से होगा। एक तरह का वर्ष 2003 से है और दूसरा वर्ष 2007 से है। मेरे विचार से टैक्स रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से नहीं होता है। उसे आप अगले साल से लीजिये। जो आपने लिखा है कि नई 25 सर्विसेज हैं जिनमें 8 नई हैं। उन पर रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से टैक्स नहीं होना चाहिये। जैसा आपने कहा कि अगर कोई किराये पर मकान लेगा या जो अपना घर किराये पर देगा

और अगर उसका किराया आयेगा तो वह दस लाख से ज्यादा आयेगा और उस पर टैक्स लगेगा। वह भी रिट्रोस्पैक्टिवली लगेगा। अब किरायेदार भाग गया, किरायेदार चला गया, वह किरायेदार कब का निकल गया है, कैसे रिट्रोस्पैक्टिवली, किससे पैसा लोगे? आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है,

"The Delhi High Court gave a very bold verdict that renting of property is not rendering any kind of service."

अगर आप किसी को घर किराये पर देते हो, यह कोई सर्विस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हाई कोर्ट को अंदाज करके धीरे से पीछे के दरवाजे से इसे डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसलिए हम डाल देते हैं कि नहीं, मकान किराये पर दोगे तो उसके पैसे पर भी टैक्स लगेगा। यह रिट्रोस्पैक्टिव जो आपने डाला है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उस पर विचार कीजिए। जो मुझे सबसे बड़ी बात कहनी है, वह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की है। यह थोड़ा आगे तक की बात मैं सदन के सामने गंभीरतापूर्वक रखना चाहुंगा। Memorandum Explaining the provisions of Finance Bill, 2010 पेज 21.3, अगर कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग और कोचिंग चलाती है, हमारे देश में कोई सरकार देश नहीं चलाती है? सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, कोई संस्था अगर ट्रेनिंग, रिसर्च और ऐसे अन्य काम कम पैसे में गरीबों के लिए करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसमें आगे गलती से एक शब्द उन लोगों ने लिख दिया है। वह शब्द क्या है? वह शब्द है- Whether or not अगर मानो वह प्रोफिट करती है या नहीं करती है, प्रोफिट करती है तो तब भी कुछ समझ में आता है, अगर वह संस्था प्रोफिट नहीं करती है, तब भी उस पर टैक्स लगेगा, यह समझ से परे है। हमारा देश गांधी जी के सिद्धांतों पर आज भी चलता है। अनेकों-अनेक लोग इस सदन में बैठे हैं, विधान सभाओं में बैठे हैं, जिसके पास दो पैसे हैं, पैसे संभाल के लोगो व देश की सेवा करते हैं। देश की 107 करोड़ की जनता को, 11 लाख करोड़ के बजट से अगर देश ठीक होने वाला होता तो 62 साल हो गये हैं, इस देश में कब से खुशियां आ जातीं। अभी भी 90 करोड़ लोग, हमें पता नहीं है कि कितने गरीब हैं? एन.सी.सक्सेना कोई और रिपोर्ट देते हैं, तेंदुलकर जी कोई और रिपोर्ट देते हैं, मंत्रालय कोई और रिपोर्ट देता है, अभी बताया

गया कि 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये जो संस्थाएं हैं, मेरा यही नम्र निवेदन है कि whether or not, यह not है, अगर कोई प्रोफिट नहीं करता है तो उससे टैक्स लेने का क्या मतलब? वे संस्थाएं चलाते हैं। अगर प्रोफिट करता है तो आप टैक्स लीजिए। आप उसके सारे चौपड़े देखिए, आप उसकी किताबें देखिए, बुक्स ऑफ एकाउंट देखिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने इसमें भी 11-07-2003 से रिट्रोस्पैक्टिव किया है। यह रिट्रोस्पैक्टिव मेरी समझ में नहीं आता है, मैं एक विद्यार्थी हूं। क्या आपकी समझ में आता है? तीन साल पहले, छह साल पहले का टैक्स वसूल करो। यह पूरा सदन गुमराह हो रहा है, कहीं न कहीं आपको भी अधिकारीगण गुमराह कर रहे हैं। हमारी वित्तीय परम्पराओं को, इस सदन की गरिमा को चोट पहुंचती है। हम ऐसा कोई कदम न उठायें, जिसके कारण पिछले वर्षों में यदि हमें कोई फायदा मिलने वाला हो, उसका इस बार हम प्रस्ताव करें। पहली बार सदन में मेरे कुछ मित्र मौजूद नहीं होंगे, आदरणीय चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, मैं भाषण सुन रहा था, कैश withdrawal टैक्स डाला। यानी आप अपने पैसों का टैक्स, यूपीए सरकार के उस समय के वित्त मंत्री ने, आप खुद के पैसे, एक नम्बर के पैसे, वेतन के मिले हुए पैसे, जिस पर आपने टैक्स भरा है, उसे अगर आप बैंक में रखकर विदझ करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सदन शांति से सुन रहा था, लेकिन मैने शोर मचाया, मैंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है?

# 15.00 hrs.

दुनिया के किसी भी देश में मेरे खुद के 50 हजार या लाख रूपये बैंक में पड़े हैं और यदि उसमें से मैं तीस हजार रूपये निकालता हूं तो मुझे टैक्स क्यों देना होगा? जबिक मैं तो टैक्स दे चुका हूं। आपने उस बात को माना और चुनाव में फायदा उठाने के लिए प्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से दे दिया कि वर्ष 2010-11 से कैश विड्रा पर टैक्स को विड्रा कर्रता हूं। कहीं आप प्रोस्पैक्टिव करते हो, लेकिन लूटना है तो रेट्रोस्पैक्टिव करते हो।

महोदय, आपने 60 लाख रूपये के ऊपर आपने लिमिटिड लायिबलीट टैक्स लगा दिया है। मैं गुजरात से आता हूं, जहां अधिकतर व्यापारी लोग हैं। ऐसा करने से कोई भी 60 लाख रूपये से ऊपर कोई भी कम्पनी नहीं बनाएगा। ज्यादातर लिमिटेड कम्पनियों में प्राइवेट पार्टनरिशप होती हैं। वह अपने परिवार के तीन लोगों की ही प्राइवेट कम्पनी बना देगा। आपका जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। इन तीन-चार मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पिस रहा है। आपका बजट आम आदमी के खिलाफ है। आपका बजट किसानों के खिलाफ है। आपका बजट इस देश की 90 करोड़ से ज्यादा जनता के खिलाफ है। आपकी आर्थिक सोच केवल राजनीति के लिए है, मतदाता की सोच है। वोट कैसे मिले?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): He is talking for the corporates only.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK: I spoke for 20 minutes, you did not allow me to speak. I spoke for 25 minutes on *Aam Aadmi* but he disturbed me.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Harin Pathak says.

(Interruptions) ...\*

श्री हरिन पाठक: आठ लाख रूपये कमाने वाला कौन है, आम आदमी है? मैंने कारपोरेट सैक्टर का विरोध किया, मैंने पैसे वालों का विरोध किया। मैंने आम आदमी की तरफदारी की, लेकिन आप उसका विरोध करते थे।...(व्यवधान) आपने मुझे टोका। मैं तो कहता हूं कि आठ लाख रूपये वालों के लिए टैक्स कम मत करो, छूत मत दो।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

... (Interruptions)

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री हिरन पाठक: महोदय, मुझे यही कहना है कि आम आदमी के नाम पर यह सरकार वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में चुनाव जीत के आई, लेकिन आम आदमी ही महंगाई में पिस रहा है। आप इनफलैशन की बात करते हैं। मुझे फिगर्स में नहीं जाना है। पहली बार देश के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया कि इनफलैशन बढ़ता है, तब भी महंगाई बढ़ती है और इनफलैशन माइनस होता है तब भी महंगाइ बढ़ती है। मैं नहीं मानता हूं कि विश्व के किसी देश में ऐसा होता होगा। इसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हम पीठ थपथपाते हैं, Inflation has come down from four per cent to two per cent. जीरो पर्सेंट था, तब भी महंगाई बढ़ रही थी। पूरे देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। इन आंकड़ों पर मत जाइए, नब्ज़ पकड़िए। गरीबों और मध्यम वर्ग जनता की नब्ज़ पकड़िए, वे क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से इस देश का बजट बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से फाइनेंस बिल में आपको जो रियायतें देनी हैं, वह दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के एक विष्ठ सदस्य हिरन पाठक का पूरा भाषण सुनने के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हिरन भाई जी ने मूल तौर पर टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में अपनी शिकायत रखी है और यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर जितना विवाद करना चाहें, कर सकते हैं। किसे टैक्स रेट में रखना है और किसे नहीं रखना है, यह अपने आप में एक अर्से से विवाद का विषय रहा है। इस पर समय-समय पर सुधार भी होता रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो इनकम टैक्स के संदर्भ में बातें कहीं, कभी एक समय था जब सिर्फ पच्चास हजार रुपए तक की जो कमाई थी, वहां तक एग्ज़म्प्शन था और वह बढ़ते-बढ़ते आज एक लाख साठ हजार तक हो गया है। प्रणब बाबू के इस बजट में ...(व्यवधान) हर सरकार ने थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है, आपने ही सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। यह एक रेग्युलर, नियमित प्रक्रिया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि समय-समय पर टैक्स एग्ज़म्प्शन की व्यवस्था होती रहती है, स्लेब चैंज होते रहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् 2010 के विधेयक में जो व्यवस्था की है, उसे समझना भी आवश्यक है। एक लाख साठ हजार की कमाई करने वाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, यह निर्णय लिया है और उसके बाद आठ लाख की कमाई करने वाला जो व्यक्ति होगा, उससे तीस परसैंट का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन एक लाख साठ हजार से लेकर तीन लाख के बीच में कमाई करने वाले जो लोग हैं, उनसे दस परसैंट से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपने यह बात सही कही कि जो बड़ा वर्ग है, उसकी कमाई डेढ़ लाख से तीन लाख के बीच ही है, उसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने सबसे कम बर्डन दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और यह सबसे कम बोझ है।...(व्यवधान) हिन भाई, आप मेरे बहुत प्रिय पुराने मित्र हैं, कृपया आप धैर्य रखें।

#### 15.08 hrs.

# (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)

सभापित महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि 18-20 महीनों के बीच पूरी दुनिया की तरह यह देश भी एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियां परेशान और तबाह हो गईं, जब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, तब हमारे देश में जो ग्रोथ मोमेंटम था, उसे हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने कहीं से भी खंडित नहीं होने दिया। इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछले एक साल में एक सफलता की कहानी लिखी है, ग्रेट सक्सेस स्टोरी है और ग्रेट सक्सेस स्टोरी इस संदर्भ में है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वह नेगेटिव नहीं गया। सन् 2009 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 2.5 हो गया और यू.के. का जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस 4.8 हो गया।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए और जो आप चाहें, वही मैं बोलूं, ऐसा नहीं है। मुझे जो पसन्द है, वह मैं बोलूंगा। आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने में एक प्रवाह होता है।

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.



(Interruptions) ... \*

श्री संजय निरुपम: हां, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनियां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और इस देश की अर्थव्यवस्था बनी रही। यह बताना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि यू.पी.ए.-2 ने कितना अच्छा काम किया।

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, no cross-talks. Please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... \*

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) ... \*

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री संजय निरुपम: थैंक्यू चेयरमैन साहब।

मैं यह कहना चाह रहा था कि पिछले 18 महीनों में दुनियां की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियों की जो अर्थव्यवस्था थी, वह लड़खड़ा गई। अगर किसी की अर्थव्यवस्था बची रही, लड़खड़ाई नहीं, तो वह हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था थी और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पूरा हक है और पूरे देश की जवाबदारी बनती है कि अपने वित्त मंत्री महोदय को हम बधाई दें और साधुवाद दें।

मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वर्ष 2009 में अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ -2.5 हो गया, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ -4.8 हो गया, जापान, जो दुनियां की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ रेट -5.3 हो गया, चायना जो एक फास्टैस्ट ग्रोइंग इकनौमी मानी जाती थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ, 10.00 से घटकर 8 पाइंट समथिंग हो गया। ऐसे में हिन्दुस्तान का जो जी.डी.पी. ग्रोथ रेट था, वह 5.6 पर टिका रहा, निगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ और इसके लिए अगर कोई जवाबदार है, तो भारत सरकार के अपने प्रयास, स्टीमुलस पैकेज और तमाम तरह की सुधारू आर्थिक नीतियां हैं। यह इस सरकार का एक चमत्कार है। यह वर्ष 2009 की बात है। अगर वर्ष 2010 में देखें, तो आज अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7 है, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 1.3 है, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu ji, I will give time to you later on.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) ...\*

MR. CHAIRMAN: Shri Syed Shahnawaz Hussain, you are disturbing the House.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

 $(Interruptions) \dots *$ 

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं जानता हूं कि जी.डी.पी. ग्रोथ रेट की बात सुनते ही ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate. Please do not disturb him.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: सभापित जी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा हूं कि पिछले एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, इससे किसी ने इंकार नहीं किया। इसी सत्र में, छुटिटयों से पहले इस बारे में

<sup>\*</sup> Not recorded

बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उसके कारणों को भी हमने सामने रखा है। उसके कारणों को पहचानते हुए, उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी हो रहा है और उन प्रयत्नों का हमें कुछ फायदा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार चिन्तित नहीं है। कल 13 पार्टियों का भारत बन्द का आह्वान था। भारत बन्द बड़ा सफल रहा, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you may please address the Chair.

... (Interruptions)



श्री संजय निरुपम: सभापित जी, मेरे कहने का आशय यह है कि आर्थिक मंदी और जिस प्रकार का मौसम का वातावरण रहा, पिछले एक-डेढ़ साल में मानसून का जिस प्रकार का वातावरण रहा, उससे बहुत कुछ अपने कंट्रोल के बाहर था, नियंत्रण के बाहर था, लेकिन सरकार ने अपने प्रयासों के जिये पूरी व्यवस्था को बिखरने नहीं दिया, संभालकर रखा। हमारा जो फूड प्रोडक्शन था, वह भी थोड़ा कम पड़ा। उसके बाद उसको इम्पोर्ट किया गया। अभी प्रणव बाबू ने बताया कि बहुत सारे जो खाद्यान्न हैं, उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको हमने कम किया है, तािक हमारे यहां जो माल बाहर से आये, वह सस्ता पड़े, रीज़नेबल प्राइस पर आये, तािक आम आदमी उसको एफोर्ड कर सके, आम आदमी उसे खरीद सके। यह सरकार की तरफ से चिन्ता हो रही है। आपकी भी चिन्ता है और आपकी चिन्ता से हम और भी चिन्तित होते हैं और निश्चित तौर पर उस दिशा में और भी प्रयास करते हैं।

में जो कहना चाह रहा हूं, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच यह देश जब इतने संकट के दौर से गुजर रहा था, तब हम एक सफलता की कहानी धीरे-धीरे लिखने में लगे थे। आज कोई ऐसा सैक्टर नहीं है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सैक्टर को छोड़ दें, जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हो या सर्विस सैक्टर हो या सर्विस सैक्टर के अलग-अलग सैक्टर्स हों। उसके बाद एग्रीकल्चर सैक्टर में प्रयास जारी हैं। पर कैपिटा इन्कम की अगर हम बात करें, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सर्वे इस देश में आया है, जिसमें कहा गया है कि इस देश के 78 परसेंट लोगों की रोज की कमाई सिर्फ 20 रुपये है। यह सरासर गलत है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मैं इसे नहीं मानता।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Sanjay Nirupam's speech. Shri Sanjay Nirupam may continue please.

(Interruptions) ... \*

श्री संजय निरुपम: अगर स्कोर सैटल करना है तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई अगर अपने सीने पर हाथ रखकर बताये कि क्या इस देश में 78 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है? मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ी है।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...\*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I want to say something. आप बाद में बोलिये।

-

<sup>\*</sup> Not recorded

## ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate with the Chair.

Shri Hussain, all the time, you are disturbing. You can speak when you get your chance.

# ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can refute the points when you speak. Please refute when you get your turn.

## ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Otherwise, it becomes chaotic. Nothing will go on record, except Shri Sharad Yadav.

श्री शरद यादव: सभापित जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अर्जुन सेनगुप्ता, जो आपने कहा, उनके सैम्पल सर्वे के बारे में अभी पाठक जी बोल रहे थे। तीन तरह के आंकड़े हैं। नेता सदन ने भी यह बात कही है और इस मामले में उन्होंने प्लानिंग कमीशन से कहा है कि सब तरह से ठीक बात पता लगाई जाये। मैं आपसे कहूंगा कि यह आंकड़ा हमारा नहीं है। अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी सरकार की कमेटी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान में पचहत्तर से अस्सी फीसदी लोग ऐसे हैं, बीस तो एवरेज हैं, उसने तो और भी कम बताया। ...(व्यवधान) महोदय, हम नहीं टोकते, लेकिन वह गलत बोल रहे हैं, सरकार ने जो कमेटी बनायी, ...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: लोग मिट्टी खा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: सभापति हैं। हमारे देश में लोग गरीब हैं, इस बात को मैं भी जानता हूं। लेकिन ...(व्यवधान) प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात ही कहूंगा। आपकी बात नहीं कह सकता। ...(व्यवधान) सभापित जी, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर रहा है कि इस देश में गरीबी है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी हैं। समय-समय पर इससे संबंधित आंकड़े सामने आते रहे हैं। उन आंकड़ों के ऊपर विवाद भी होता रहा है। एक जमाना था जब 36 पर्सेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन थे। बाद में 26 ...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): नेशनल सर्वे की रिपोर्ट को क्या आप गलत मानते हैं? ...(व्यवधान)

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except the speech of Shri Sanjay Nirupam.

(Interruptions) ...\*

श्री संजय निरुपम: कभी 36 प्रतिशत लोग देश में बीपीएल की श्रेणी में थे, उसके बाद 26 प्रतिशत हुए और उसके बाद 25 प्रतिशत हुए। पिछले दस वर्षों में एक करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह इस देश की यूपीए सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ये भी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि चाहे कोई सेन गुप्ता कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except the speech of Shri Sanjay Nirupam.

(Interruptions) ... \*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Allow him to speak.

... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would just like to clarify one point. This issue was raised on the floor of the House several times. I myself have pointed out that the terms of reference which have been given to a particular body to determine and arrive at a figure are at variance. They vary from one committee to another committee. Therefore, three sets of figures are now currently available as Sharadji has pointed out and we have requested the Planning Commission to look into it and to arrive at a determined figure which is acceptable all over. That is the practice we are having not now but from day one of 1951. We are having such figures since then. Therefore, we need not be worried about this. The Planning Commission will reconcile and the final figure would be available. On the basis of that, Central allocation, Gadgil Formula allocation and Central plan assistance will be made. Now, one figure is there and on the basis of that even this year's allocations have been made. But perhaps it will have to be revised and that job is being done... (Interruptions)

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री संजय निरुपम: सभापित जी, इस देश में कितने गरीब हैं, इसका अंतिम रूप से फैसला तो प्लानिंग कमीशन करेगा। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अपनी बात कह रहा था। मेरा मन नहीं मानता है कि ...(व्यवधान) प्लीज शरद जी, आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे कि मुझे क्या बोलना है? ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: चेयर तय करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: आप नहीं तय करेंगे, चेयर तय करेंगे। ...(व्यवधान) आप नहीं कह सकते, ...(व्यवधान) चेयर की परमीशन से मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. Please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद: क्या यह मुम्बई की सट्टा मार्किट है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please co-operate with the Chair. It is a very serious issue. Please address the Chair.

... (Interruptions)



MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...\*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): क्या ये नेता, सदन की बात भी नहीं मानेंगे? यह क्या बात हुई।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Shri Nirupam, you may please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is now becoming free for all.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: में बुनियादी तौर पर सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि कहीं न कहीं मेरा, मेरे देश का, मेरे देश की चिन्ता करने वाले तमाम लोगों का अपमान है यह कहना कि इस देश में 78 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है।...(व्यवधान) मैं इस चीज को नहीं मानता।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: इन्हें हटाइए।...(व्यवधान)

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, you may please continue now. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... \*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain decorum in the House.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the entire proceedings are being televised and the entire nation is watching you all.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: मैं अब दूसरे विषय पर आता हूं।...(<u>व्यवधान</u>) दूसरा विषय महत्वपूर्ण है कि पिछले छ: वर्षों में यूपीए-1 और यूपीए-2, अगर तमाम बजट को देखा जाए तो पहली बार हमारे बजट में आम आदमी को एजैंडे पर लाया गया है।...(<u>व्यवधान</u>) पिछले छ: वर्षों में सोशल सैक्टर में जो खर्च किया गया, वह अलग और इस बजट में प्रणब बाबू ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। हैल्थ सैक्टर में 25,154 करोड़ रुपये और एनआरएचएम (नेशनल रूरल हैल्थ मिशन) में 15,723 करोड़ रुपये...(<u>व्यवधान</u>) श्री प्रणब मुखर्जी: आप अपनी बात कहिए, वे अपनी बात कहेंगे।...(<u>व</u>्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please co-operate with the Chair. Please maintain decorum.
... (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम: हैल्थ सैक्टर के बाद में एजुकेशन सैक्टर की बात बताना चाहता हूं। मैं बहुत फख के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जब विकास की योजनाओं का संदर्भ आया, तो यूपीए सरकार ने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, बल्कि एनडीए के जमाने की दो फ्लैगशिप योजनाएं --एक प्रधान मंत्री ग्रामसङ्क योजना और दूसरा सर्वशिक्षा अभियान थीं, उन दोनों योजनाओं को यूपीए सरकार ने कंटीन्यू किया, क्योंकि यह कहीं न कहीं यह आम आदमी के हित की बात थी। सवाल राजनीति का नहीं है। ...(व्यवधान) सवाल राजनीतिक भेदभाव का नहीं है। आम आदमी का विकास होना हिए, गांव का विकास होना चाहिए, पिछड़े इलाकों का विकास होना चाहिए, यह एक बड़ी चिंता थी। उसी बड़ी चिंता के तहत जिस तरीके से इस साल के बजट में हैल्थ सैक्टर में इतना बड़ा एलोकेशन किया, बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन सैक्टर में हमने 49,904 करोड़ रुपये का एलॉटमैंट दिया।...(व्यवधान) यह बिल्कुल कमाल है, क्योंकि यह छः गुणा है। पिछले पांच-छः वर्षों का देखेंगे, तो एजुकेशन सैक्टर का बजट छः गुणा हो जाता

<sup>\*</sup> Not recorded

है। उसके बाद सर्वशिक्षा अभियान पर 15 हजार करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। फूड सब्सिडी को बढ़ाकर 55, 578 करोड़ रुपये किया गया है। अब फूड सब्सिडी की सच्चाई मैं यहां रखना चाहूंगा। पिछले दिनों शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में यहां बताया था कि इतना बड़ा अमाउंट, लगभग 50 हजार करोड़ रुपया हम फूड सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। पीडीएस के जिरये जो गरीब आदमी है, उसे सस्ते भाव पर खाद्यान्न मिले, इस चिंता के साथ 50 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन इस साल दिया जा रहा है। लाखों टन माल अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यों की क्या स्थिति है ...(व्यवधान)

In the year 2009-10, against an allocation of 476 lakh tonnes of foodgrains under TPDS for the whole year, the off-take by the States and UTs upto February, 2010 has been only 390 lakh tonnes. मेरे कहने का आशय यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से गरीबों की चिंता रखते हुए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भेजा जा रहा है, लेकिन हमारी राज्य सरकारें उसे लिफ्ट भी नहीं कर पा रही हैं। ...( यवधान) यह इस साल की बात है। अगर आप कहें, तो पिछले वर्ष 2007-08 में अलग-अलग राज्यों की कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ...( यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You can refute it later.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: वर्ष 2007-08 में गुजरात को ...(<u>व्यवधान</u>) 11 लाख टन माल भेजा गया, आवंटित किया गया और गुजरात की सक्षम सरकार ने सिर्फ 8 लाख टन माल उठाया। ...(व्यवधान)

वर्ष 2008-09 में गुजरात की सरकार, वह सक्षम सरकार है, आम आदमी का ख्याल रखने वाली सरकार ...(व्यवधान) उसे दस लाख टन का माल दिया गया, लेकिन सिर्फ साढ़े आठ लाख टन का माल उठाया गया। ...(व्यवधान) तमाम राज्यों की स्थिति है। ...(व्यवधान)

सभापित जी, दुर्भाग्यवश बाकी राज्यों में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। ...(व्यवधान) हम अपनी तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, फण्ड दे रहे हैं, खाद्यान्न भेज रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except what Shri Sanjay Nirupam is saying.

श्री संजय निरुपम : लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की जवाबदेही है।...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA: This is a very serious discussion on the Finance Bill. This House is aware that Budget is discussed in two parts. The general discussion on the Budget has already taken place in the earlier part of the Session. In this Session and today we are discussing the Finance Bill. The Finance Bill relates to the taxation proposals of the Government of India. Now, if he brings up extraneous issues, especially the controversial issues, then naturally there will be uproar in the House.

I would request the Leader of the House to please discipline his Member so that he does not cross the *laxman rekha*. There is a *laxman rekha* for this discussion. Why is he derailing this serious discussion? He is derailing this serious discussion. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is nothing inappropriate in what he said. He has given only figures. Shri Sanjay Nirupam, please continue.

## ... (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम: महोदय, यशवंत बाबू ने बहुत बुनियादी सवाल रखा है, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम सर्वशिक्षा अभियान पर 15,000 करोड़ रूपए खर्च कर रहे हैं, तो वह रूपया एजुकेशन सेश से आता है जिसका उल्लेख हमारे वित्त विधेयक में होता है। वह एक टैक्स प्रपोजल है और टैक्स रेवेन्यू लेकर हम स्टेट्स को देते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारें उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो उस पर चिंता जताने का मुझे पूरा हक है।...(व्यवधान) I am not crossing laxman rekha at all. The hon. Member from Jharkhand should realize that. मैं बताना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभयान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं।...(व्यवधान)

-

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री लालू प्रसाद: किसने दिया है? यह जनता का पैसा है, देश का पैसा है और आप कहते हैं कि हमने दिया है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: आपने सही कहा है, यह टैक्सपेयर का पैसा है, टैक्सपेयर पर दो प्रतिशत सेश लगाकर हमने यह पैसा लिया है, उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने की हमने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। यही मेरा कहने का आशय है। अगर यह कंट्रोवर्शियल है, तो I am really sorry. But this is the fact of the matter in our State administration. Please accept it. ... (Interruptions) वर्ष 2007-08 में अनस्पेंट फण्ड था 8728 करोड़ रूपए, जो राज्य सरकारों को खर्च करना था गरीब लोगों को एलीमेंटरी एजुकेशन देने के लिए और वे नहीं कर पाए। वर्ष 2008-09 में सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो पैसे भेजे गए, उनका पूरे साल उपयोग नहीं किया गया, आखिरी तीन-चार महीनों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन इनको लागू करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है। अगर केन्द्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं, तो यह चिंता का विषय है।...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): आईपीएल पर टैक्स क्यों नहीं लगाया, उसके बारे में भी बताइए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Do not disturb him.

श्री संजय निरुपम: राज्यों के हिसाब से अगर सर्वशिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 90 प्रतिशत से ज्यादा फण्ड खर्च किया।

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ 57 प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी फंड का ही इस्तेमाल कर पाई...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else should go on record. Shri Sanjay Nirupam, please conclude.

....Interruptions....\*

श्री संजय निरुपम: सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार को जो फंड दिया गया था पिछले साल, उसमें वह सिर्फ 42 प्रतिशत फंड का ही इस्तेमाल कर पाई और पूरे फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ...(व्यवधान)

-

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Shri Sanjay Nirupam, please conclude. I give you one minute more. I would request the other hon. Members to sit down.

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I told him to conclude.

श्री संजय निरुपम: सभापित जी, बाकी सारी जो सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम्स की क्या स्थिति है और राज्यों में किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह सारी डिटेल मैं सदन के पटल पर ले कर रहा हूं, जिससे सारा सदन देख सके...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: सदन में ले कर देंगे तो सारा रिकार्ड हो जाएगा, इसमें हम तो नहीं जानते हैं कि यह क्या लिखकर लाए हैं और इसमें क्या गड़बड़ी है इसलिए यह सदन में ले नहीं होनी चाहिए...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have not given him permission to lay it on the Table of the House. Shri Sanjay Nirupam, please conclude.

श्री संजय निरुपम: सभापित जी, मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और उसका असर नौकरियों के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टर्स में कितनी-कितनी नौकरियां आ रही हैं, यह देखने से पता चल जाता है। मुझे याद है सन् 2008 के आखिरी तीन महीनों में आर्थिक मंदी के चलते साढ़े चार लाख नौकरियां चली गई थीं। लेकिन पिछले छः महीने में पिंक स्लिप का दौर नहीं चल रहा है। चाहे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कंज्यूमर्स गुड्स का सेक्टर हो, मतलब यह है कि हर सेक्टर में उछाल आ रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate. Shri Sanjay Nirupam, please conclude. I give you one minute more.

श्री संजय निरुपम: सभापित जी, लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी जैसे वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं। मैं आप लोगों की टोका-टाकी से त्रस्त होकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है कि आप लोगों ने सहनशीलता नहीं है। आप अपनी किमयां सुनने को तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar to speak now. Hon. Members, please sit down. Shri Shailendra Kumar, please start your speech.

श्री संजय निरुपम: मैं एक बात को यहां रखना चाहता हूं...(व्यवधान) कभी आईपीएल की बात कहते हैं और कभी दूसरी कोई बात कहते हैं। मुझे इस प्रकार के शोर-शराबे और शोरगुल में अपनी बात नहीं रखनी है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे अतिरिक्त अनुदानों की मांग और विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, 2010 पर चर्चा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों के सम्माननीय सदस्यों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, वे हमारे पुराने वित्त मंत्री रहे हैं। यह बात सच है कि बड़े गंभीर मुद्दे पर यहां सदन में चर्चा चल रही है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहां पर नॉन-सीरियस बातें हो रही हैं। देश के जिलों से लेकर नीचे तक यह देश आंकड़ों और कागजों पर चल रहा है। सुदूर गांवों में आप चले जाएं तो भारत की असली तस्वीर आपको दिखाई पड़ जाएगी। जिला नियोजन की बैठक, सतर्कता निगरानी की बैठक हम करते हैं तो अधिकारी आंकड़े और कागज दिखाता है लेकिन हकीकत उससे कुछ और होती है। केन्द्र कहता है कि प्रदेश को हमने इतना रुपया भेजा, लेकिन इतना ही खर्च किया, वह भी कागजों में। अप गांव में जाएंगे तो आपको इस बात की हकीकत दिखाई पड़ेगी, वहां का असली स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां कुछ खर्च नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है।

कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और दर्शाया कि यह बजट आम आदिमयों का बजट है। यह बात सच है कि जब बजट पेश हुआ तो सामान्य बजट पर, हर विषय पर हमने चर्चा की थी, आज हमें टैक्सेज पर, आंकड़ों पर चर्चा करने की जरुरत है। भाई हरिन पाठक जी ने चर्चा की, मैं सुन रहा था, वे हकीकत बयान रहे थे। एक मुद्दे पर यहां बड़ी चर्चा हुई, उसके लिए जो धन दिया जाता है वह बीपीएल के लिए दिया जाता है। आज बीपीएल की पूरे हिंदुस्तान में सही रिपोर्ट नहीं है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सक्सेना कमेटी कुछ कहती है, अर्जुन सेन कमेटी कुछ कहती है, योजना आयोग की रिपोर्ट कुछ कहती है, तेंदुलकर रिपोर्ट कुछ कहती है और रुरल डिवेलपमेंट की रिपोर्ट कुछ कहती है। ऐसा लग रहा है कि इस बजट को आम आदमी का बजट तो कह दिया, लेकिन हम आम आदमी और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम सीरियस नहीं हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि देश में, जो रोज का कमाने-खाने वाला आदमी है, जो खेतिहर मजदूर है, जो गरीब है, जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, जो एक वक्त ही रोटी खा रहा है उसके लिए इसमें कुछ गंभीरता से किया जाए। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो जानवरों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मिट्टी खाकर, पत्ते खाकर, जंगली फल खाकर अपना जीवन-व्यतीत कर रहे हैं। जिनके सिर पर आशियाना नहीं, वे घूमंतु बनकर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। यहां केवल आईपीएल की बात, आंकड़ों की बात, कागजों की बात ही हम सुन रहे हैं।

कल भारत बंद हुआ, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से बधाई मिली, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह बात सत्य है कि आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई की चपेट में हैं। यही कारण है कि कल लोग सड़कों पर निकले - चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वकील हो, सभी ने बंद का समर्थन किया। सबके अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, लेकिन आक्रोश सबके प्रति है। हमें आज इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

हमारे नेताजी ने यही बात कही थी कि जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मुसलमान हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर है, उनके लिए आपने इस बजट में क्या प्रावधान किया है? आज बेरोजगारों की पूरी फौज है। पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दफ्तर का आंकड़ा लिया जाए तो करीब 58 लाख नौजवान प्रतिवर्ष वहां पंजीकरण करा रहे हैं। आज आई.टी. सैक्टर के साथ-साथ अन्य तमाम सैक्टरों में हमने बहुत विकास किया है। लेकिन बेरोजगारी हमारे देश से खत्म नहीं हो पा रही है। यह भी बड़ी सोचने की बात है।

सभापति महोदय, टैक्स रिफार्म्स की बात हो रही थी। लेकिन जो टैक्स की चोरी करने वाले बड़े- बड़े धनाढ़्य लोग हैं, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, जो टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? अब तक टैक्स की चोरी रोकने के लिए आपने क्या किया है? अभी आईपीएल की बात आई तो वहां इंक क्या की पहुंच गये। इंकम टैक्स वाले कुछ घरानों के खिलाफ जांच करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में टैक्स की चोरी इतने जबरदस्त तरीके से हो रही है कि अगर उस टैक्स की चोरी को हम पकड़ लें तो उस पैसे से हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। देश में आवश्यक वस्तुओं के दामों में जो वृद्धि हुई है, इसके बारे में आज यहां चर्चा हो रही है। लेकिन कल समाचार पत्रों में देखा गया कि अरहर की दाल के दाम में फिर से आठ रुपये की बढ़ौतरी हो गई। हमारे नेता जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था कि किसानों के हितों के बारे में यदि सोचें तो आपने जो फाइनैन्स बिल पेश किया, उसमें डीजल के दाम बढ़ा दिये। जबिक आपको किसानों के हितों को देखते हुए डीजल के दाम कम करने चाहिए थे। जो अरहर की दाल के दाम बढ़े हैं, आप उसे कम करते। जो यूरिया तथा अन्य खादों के दाम बढ़े हैं, उन्हें आप कम करते तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत करते। लेकिन हम लोग कागजों, आंकड़ों और केन्द्र द्वारा राज्यों को पैसे भेजने के बाद उन्हें दोषी ठहराने के अलावा अन्य कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर बात है और इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी जब खड़े हुए थे और उन्होंने एप्रोपरिएशन बिल पेश किया तो

वह मानसून के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि मानसून प्रतिकूल होगा तो खाद्यान्न की कमी होगी और यदि अनुकूल होगा तो हमारा भंडार भरा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भंडार भरा हुआ है तो आज देश के अंदर महंगाई क्यों हैं, आवश्यक वस्तुओं के दाम क्यों बढ़े हैं, इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी सोचना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि आयात-निर्यात में कितना संतुलन है। क्या हमने इनकी तरफ कभी ध्यान दिया है? केवल किसी चीज की कमी होती है तो उसे बाहर से मंगाइये और अपने देश में सप्लाई कीजिए। आज हमारे देश में इतना खाद्यान्न है, हम जब अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं, मैं हर शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र को दौरा करने के लिए जाता हूं। मैं क्षेत्र में जाकर देखता हूं कि वहां फसल की कटाई हो गई है और किसानों के पास गेहूं का भंडार हो गया है। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी कांटे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तािक किसान अपना गेहूं या धान कांटे पर ले जाकर बेच सके। उसकी फसल को साहूकार औने-पौने भाव पर ले जाता है। वह उन्हें बेचने के लिए मजबूर है। लेकिन हम यह व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल कागज और आंकड़ों की बातें यहां करते हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश का काला धन जो विदेशों में जमा है, हम उसे वापिस लाने का काम करेंगे और हम स्विस बैंक से वार्ता कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने इस बात की घोषणा की, उसके बाद आप चले जाइये और देखिये कि यदि स्विस बैंक में पैसा होगा तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा। वहां से सब पैसा निकल चुका है। वह पूरा पैसा यहां आईपीएल में लग गया। आईपीएल पर यहां चर्चा हुई थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आईपीएल इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसमें देश और विदेश का सारा काला धन लगा था। हमने उस पर चर्चा नहीं की, उसे हमने गंभीरता से नहीं लिया। आज यहीं कारण हैं कि महंगाई बढ़ी है और गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आज मध्यम वर्गीय लोगों की हालत बड़ी खराब है। लेकिन अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। आज देश के अंदर यह स्थिति है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस आईपीएल का मुद्दा यहां उठना चाहिए था और उसके बारे में स्पष्ट फिगर्स यहां आनी चाहिए थी, वह हम सामने नहीं ला पाये। हमने उसी में टैपिंग का मामला घुसेड़ दिया और टैपिंग मामले के कारण आईपीएल दब गया। आज जरूरत इस बात की है कि विदेश में जो काला धन है, उसे देश में लाकर हमारे विकास की जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, उनमें उस पैसे को लगाया जाए और जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उनके बीच में वह पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहां खाद्यान्न की बात हो रही थी। आज भी अगर देखा जाए तो आस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको या तमाम छोटे-छोटे ऐसे देश हों,

जो खाद्य प्रसंस्करण है, चाहे फ्रूट का हो, चाहे सब्जियों का हो, वे 90-95 परसेंट करते हैं, आज हिन्दुस्तान में केवल हम दो परसेंट कर पा रहे हैं। न हमारे पास खाद्य के भंडार हैं, न फूड प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था है, हमें इस ओर भी सोचना पड़ेगा। अगर हम 40-50 प्रतिशत फूड प्रोसेसिंग भी कर लें तो देश के अंदर महंगाई खत्म हो जायेगी, गरीबों को खाना मिल जायेगा। आज यह स्थिति है। मैं ज्यादा कुछ न कहना यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे और भी सम्मानित सदस्य इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की स्थिति के बारे में इस हाऊस में बताया। उन्होंने अभी हमारे देश की इकोनॉमी की जो स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की। The hon. Finance Minister is a very senior Parliamentarian and senior politician of the country. यह बात उन्होंने इस जगह पर रखी है। एक बात यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट पेश किया था, उस समय हम लोगों ने देखा कि that Budget was a floor strategy. That was a flawed srategy to meet the deficit by increasing indirect यह जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने के बाद हमारे देश का जो गरीब आदमी है, हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है। खासकर ये जो पैट्रो प्रोडक्टस हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी चर्चा की। आज टैक्सेशन के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोगों ने तीन, चार बार इस हाऊस में इसके बारे में चर्चा की है। यह कोई बात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ चर्चा करने का मौका मिल गया और इसीलिए हम चर्चा करते हैं. लेकिन चर्चा का सवाल यह है कि आज टैक्स किसके ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है? पैट्रो प्रोडक्टस के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन होने के बाद अगर हम इसका एनालॉसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि the rate of food inflation in the country is nearing around 20 per cent. Such reliance on indirect taxes to finance deficit budget creates burden of financing the deficit on the poor. It is entirely the pressure on the poor.

Secondly, what I want to put here is that mobilising of substantial revenues from customs and excise duties on petroleum products is going against the general people of the country. संजय निरूपम जी हमारे मित्र हैं, पहले यहां ज्यादा टोकाटाकी चल रही थी। यह बात सही है कि सरकार तो बजट को देश के आम आदमी के लिए बता रही है, लेकिन आम आदमी के लिए बजट बताना एक चीज है, लेकिन बाहर जो चीज चल रही है, आज पूरा देश इसके बारे में सोच रहा है कि टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? पैट्रोलियम प्लानिंग एंड एनॉलासिस सेल,पैट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, इसे हम लोगों ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। इसके एनालॉसिस के मुताबिक सेंटर ने उसे कितना एलोकेट किया है, 77000 करोड़ रूपया उन्होंने पैट्रोलियम प्रोडेक्ट से टैक्स लेवी के माफिक वर्ष 2008-09 में किया है। इन कॉटेस्ट सब्सिडीज़ के लिए और दूसरी जगह से 74 हजार करोड़ रूपया वर्ष 2008-09 में सब्सिडी

के रूप में दिया है। इससे सरकार ने कलेक्शन कितना किया? What is the net amount that the Government has earned from this? It is more than Rs. 2000 crore; more than Rs. 2000 crore from the general people. There is surmounting pressure among the common people, among the poorer sections, among the middle class through the increased prices in respect of the petroleum products.

## 16.00 hrs.

This is one thing. Secondly, I would like to mention from the 12<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance regarding the tax collection from the corporate sector. You will be astonished to see this. The hon. Finance Minister, through his Department, supplied this data to the Standing Committee. What is the observation of the Standing Committee? The Standing Committee is not satisfied regarding the corporate income tax collection. The Report says:

"This is evident from the fact that corporate income tax collection in 2009-10 increased by only 13.47 per cent as compared to 2008-09 while there has been a fall in income-tax collection by 0.41 per cent...."

इन्कम टैक्स फॉल कर गया जब दूसरे टैक्सिज़ में 63.6 प्रतिशत ज्यादा कलैक्शन हुई।

It was 63.6 per cent resulting in overall tax collection increased by 8.51 per cent.

कोरपोरेट टैक्स के कलैक्शन का जो टारगेट था, उसमें केवल 13.47 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

I will now go to other figures regarding the revenue foregone. This is also from the Report of the Standing Committee on Finance. It says:

"The revenue foregone as a result of tax concession in the year 2009-10 amounts to Rs.5,02,299 crore, which is 79.54 per cent of the aggregate collection in this year. Within this, corporate tax revenue foregone is Rs.79,554 crore; personal income-tax revenue foregone is Rs.40,929 crore."

## 16.02 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

Mr. Chairman, Sir, this information has been given in the Report of the Standing Committee on Finance, and the Department has supplied this information. Miserably the Department has failed to collect the tax from the corporate sector. It is a failure on the part of the Department to collect these taxes, which we have categorically stated during the discussion on the Budget. We are now stating this in Parliament again and again that the Government, with a clear-cut policy, is not trying to collect the corporate tax; and in contrast they are trying to create surmounting pressure on the general public to categorically take the money from the hands of the common people. This is the economic scenario and this is the entire scene of the country now.

At that time, the hon. Finance Minister was just stating about the IIP growth rate. What is the fact? I am coming to this point. Now, it has been discussed and mentioned that we are coming out from the global recession. What is the scenario? ग्लोबल रिसैशन से हम लोग कैसे निकलेंगे? This is based on the fact. हमें सरकार के आंकड़े से आगे बढना होगा।

जनवरी 2010 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 17.6 प्रतिशत और फरवरी महीने में 15.1 प्रतिशत रहा। लेकिन सरकार को छिपी हुई बात को भी लोगों को बताना चाहिए।

It is a fact that in the IIP growth rate, consumer durable grew by 29.9 per cent. 'Consumer durable' means automobile, fridge, TV, etc. It had grown by 29.9 per cent, that is, 30 per cent. कंज्यूमर नॉन डयूरेबल्स पर ज्यादा खर्च किया जाता है, इसमें खाना और छोटे हाउसहोल्ड्स आते हैं। Here the increase was only 2.3 per cent.

It shows very clearly the gap between the rich and the poor. The Taxation Policy of this Government has increased the gap between the rich and the poor. The Government is always pampering one section, that is the corporate sector. The Government is not taking money from the corporate sector. In this regard



there is a data that has been supplied by the Finance Ministry to the Standing Committee on Finance.

Now, I am coming to the point regarding Special Economic Zone (SEZ). What is the scenario from the Finance Ministry? What is the tune of loss that the Government has incurred here? We have gathered the data from the report of the Finance Ministry, which says that on account of Indirect Taxes, the Government has incurred an estimated loss of revenue to the tune of Rs. 48,881 crore; and on account of Direct Taxes, they have incurred an estimated loss of revenue to the tune of Rs. 57,531 crore during this period. Thus the total estimated loss of revenue is to the tune of Rs. 1,06,412 crore. It is just because the Government was trying to push the Special Economic Zone. They have said that to build the Special Economic Zones, they were giving some concessions and other things. At that point of time, this was the loss.

There has been another loss in the Special Economic Zone. You would be astonished to know that the Government has already declared the tax duty exemption for the SEZ. What is the observation of the Standing Committee on Finance on this? They have observed: "It is recommended that the Ministry of Finance, Department of Revenue should set up a Study Group to undertake a comprehensive review on the desirability of tax duty exemptions to SEZs, which will *inter alia* bring out the cost of tax duty exemptions vis-à-vis the benefits.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have another speaker also from your party. So, please conclude now.

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY: Yes, Sir. Just now, I am concluding.

Sir, what I am trying to say here is this. We have already demanded to set up a Joint Parliamentary Committee. Our party leader, hon. Shri Basu Deb Acharia has demanded in the House for setting up a Joint Parliamentary Committee to conduct an inquiry into the affairs of the IPL. The IPL is going on in the whole country; it is a scandalous thing; it is only gambling, which is going on. What is in the report that has been submitted by the Finance Ministry? They have

allowed them categorically to deposit the tax after 21 months. For whom is it? For whose interest have they allowed this thing?

Therefore, Sir, I cannot support this Fiscal Policy of the Government. Lakhs of people had opposed the Fiscal Policy of the Government yesterday, and today, I also oppose the Fiscal Policy of the Government lock, stock and barrel.

With these few words I conclude.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to participate in the Finance Bill, 2010-11.

On more than one occasion, the Prime Minister has highlighted the possibility of achieving a double digit growth. The dream of 10 per cent growth seems within reach. But this optimism is driven more by short-term factors such as demand driven by high level of consumption and Government expenditures. Factors that truly push an economy ahead such as higher productivity or increases in output for worker and technological progress, are still low in India's radar.

The Finance Minister has taken upon himself two major tasks—one, implementation of the direct tax code and second, the Goods and Services Tax, both by 1<sup>st</sup> April 2011.

The draft code is already in the public domain, and the adjustment in personal taxation made in this year's Budget has made it easier to implement the new code. Of these, the GST roll-out will fundamentally change revenue realisation, the transparency of tax collections and reduction of administrative cost. It is likely that there would be significant revenue gains to the Centre as well as the States once GST is in place, most of it coming out of capturing revenue leakages into the system.

The recommendation of the 13<sup>th</sup> Finance Commission on GST appears that it has been contributed by people who have no knowledge and experience of goods and services taxation and its implementation. The recommended rates for GST at five per cent for Centre and 7.5 per cent for the States are unrealistic because now the service tax, the Central excise and customs duty are all at 10 per cent. The recommendation to include liquor excise and power tariff into GST are also unrealistic.

Bringing into the direct tax net the presumed incomes of the self-employed and the traders is certainly a valid proposition but a timid start had been made in this direction. Tax system, especially direct tax on income and wealth is so much distorted by incentives and exemptions that what are only apparently high rates of

taxation which are in fact quite low rates as against notional 30 per cent in the case of income tax actually turned to be less than 20 per cent.

The fiscal policy adjustments since the mid-eighties were supposed to provide incentives for what is euphemistically called a viable class of individuals as well as corporations to work more and earn more and in the process not only to consume more but also save and invest more.

A progressive structure of direct taxes has to be created; even indirect taxes too should be so designed that their incidence should fall heavily on items of upper class consumption and slightly less so on items of middle class consumption with only items of the most essential mass consumption left out of the tax net. Another relevant norm should be distribution of incomes in India for a fair and just society.

The Government has proposed to impose an export duty of Rs.2,500 for a tonne of raw cotton. This is ill-advised and ill-timed. There is little commercial or revenue justification for the action, coming as it does at the fag end of the season. Raw cotton shipments of nearly 55 lakh bales have already been made and foreign exchange worth Rs.6,000 crore has already been earned. Registered contracts pending shipments are estimated at 20 lakh bales. Export duty on them will generate around Rs.75 crore.

Clearly, revenue considerations could not have been central to the decision to impose export duty at this point of time. Now, country enjoys cotton surplus. Cotton imports, on the other hand, are open and duty free. With this new fiscal burden on exports, it is going to send out a negative signal to cotton growers. The cotton export tax imbroglio calls for greater coordination among various Ministries—Agriculture, Commerce, Finance and Textiles, on the one hand and various stake-holders, on the other. When in 2008-09, the Government had paid out a five per cent incentive for cotton exports, why are you penalising the same activity now?

I would like to get an answer from the Government. We are given to understand that the collection of direct tax revenue has registered an increase. My good friend from Bengal was mentioning some part of it. But I would say the direct tax revenue has registered an increase from Rs.2,30,598 crore in 2008-09 to Rs.2,50,232 crore in 2009-10, that is an increase of only 8.51 per cent. Out of this increase – this is more interesting to note – the contribution of other taxes is 63.6 per cent whereas the contribution of corporate tax is only 13.47 per cent and that of personal income tax is actually negative, that is, -0.41 per cent. The percentage increase in direct tax collection is below the target of 15 per cent. However, there are 8.45 lakh active companies registered in the country.

I am dismayed to find that despite the progress the corporate tax has not been growing commensurate with the growth in number, scale and profits of the companies. The negative growth registered in respect of personal income tax is also inexplicable. When there is large increase in corporate salaries, how is the personal income tax showing a minus figure? What does this suggest? Is it laxity on the part of the Government to enforce revenue collection? Or is it because of the reduction in surcharge? I would like to ask that the performance of Income Tax Department with regard to tax assessments and enforcement be reviewed in the context of shortfall in indirect tax and shortfall in direct tax collection.

The huge amount of revenue loss to the exchequer is by way of tax exemptions and deductions which aggregate to more than Rs.1.50 lakh crore. It is reported that the revenue foregone in respect of corporate income tax during the year 2009-10 increased to Rs.79,554 crore while for personal income tax it was Rs.40,929 crore. Revenue foregone on account of direct tax incentives or deductions given to export promotion schemes etc., amounted to Rs.30,000 crore and more. When both direct and indirect taxes are taken into account, it works out to a massive Rs.5,02,229 crore in 2009-10, which is almost – one would be surprised to note – 80 per cent of the total revenue collections. Such exemptions have been increasing leaving an adverse impact upon revenue buoyancy.

My suggestion would be that while formulating the proposed Direct Tax Code, the Finance Minister should review the present regime of tax deductions and exemptions, which is obviously loaded in favour of corporates and big tax payers at the expense of small tax payers and the salaried class. Most of these exemptions have outlived their purposes. Why can you not put in place a policy of exemptions? This would substantially reduce the percentage of tax foregone and also encourage household savings, foster social security and be generally favourable to small tax payers.

The Finance Bill 2010 has proposed to increase the rate of minimum alternate tax named MAT from 15 per cent to 18 per cent, which has greatly dismayed many.

It is certainly on the higher side. I believe that we should have a moderate rate of MAT at 10 per cent. The companies which are deriving profits from the industrial undertakings set up under the Special Category States with huge investments and availing the benefits under Section 801(A), 801((B) and 800(1)(C) etc. are being badly impacted. The exemptions which are supposed to benefit them get neutralised due to narrow difference between MAT rate of 19.93 per cent and the effective corporate tax rate of 20.6 per cent. I would suggest that the book profit of such companies be computed after deducting the amount available for deduction under Chapter-6(A) of the Income-Tax Act to be restricted to 70 per cent of the company's gross total income.

Under Section 80-1B(10) tax holiday is available only for housing projects approved before March 31<sup>st</sup>, 2008. This cut-off date must be extended by another five years specially for lower and middle income housing projects. The interest deduction limit of Rs. 1.5 lakh should be linked to Rs. 3 lakh in income from house property under Section 24 of the Income-Tax Act.

Sir, service tax is another important aspect which we should also deliberate upon. Service tax has been imposed on construction of residential complexes having more than 12 houses and this adds to the cost of construction. The tax is

discriminatory as it does not cover construction of residential bungalows. Why do you impose service tax on renting of commercial establishments? It should be withdrawn. It should not be levied on rentals from healthcare, non-conventional energy projects and non-profit and charitable institutions.

The Finance Bill seeks to amend Section 2(15) of the Income-Tax Act to provide that "the advancement of any other object of general public utility" shall continue to be a charitable purpose if the total receipts from any activity in the nature of trade, commerce or business or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business do not exceed Rs. 10 lakh in the previous year. This has been done by inserting a proviso to Section 2(15) to read as under: "Provided further that the first proviso shall not apply if the aggregate value of these receipts from activities referred to therein in Rs. 10 lakh or less in the previous year". This proposal, though welcome, will mitigate the problem to some extent of smaller, charitable organizations, no doubt, but it is not adequate enough for bigger ones.

Sir, I am dealing with only three-four aspects. I am dealing now with the charitable organizations. Originally the term charitable purpose under the same Section was defined to include relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility. The problem has arisen because the Finance Act, 2008 amended the said definition by inserting a proviso to Section 2(15). We had deliberated it during that time and this explained the advancement of any other object of general public utility "stating that it shall not be charitable purpose if it is involved in carrying on any activity in the nature of trade, commerce or business for a cess or fee or any other consideration".

The then hon. Minister of Finance had assured in this House on 29<sup>th</sup> April, 2008 that "genuine charitable organizations will not, in any way, be affected".

Mr. Chairman Sir, through you, I would like to draw to the attention of the Finance Minister that unfortunately, nothing useful has emerged thereafter. I hold the view that the underlying objective of tax exemption of charitable organisation



should be the end use of its income and not the generation of income. I had hoped that this problem would be taken care of this year, but what has come out is not satisfactory. Why can't you substitute a proviso by saying that the first proviso shall not apply if the aggregate value of receipts from activities referred to therein is not more than 49 per cent of the aggregate receipts? I think, that will suffice to a great extent and support the charitable organisations.

Now I come to Indirect Taxes. I will deal only with three or four aspects. The stimulus may have helped Indian corporate sector, tide over the financial crisis faster than other countries, but at the same time, it is giving tough time to the apex indirect tax body, that is, CBEC, which is under pressure to mop up about Rs. 40,000 crore. I was told by a reliable source that indirect tax collection during the period April-December, 2009 has declined by 18.1 per cent as compared to previous year. Out of this, Central Excise Duty declined by 13.2 per cent and Service Tax by 6.5 per cent. The reason that the Government may give is that it is because of the global meltdown, reduction in rates of customs duty, Central excise duty and Service Tax, but can we forget that the manufacturing sector has registered an impressive growth in the second half of 2009 and range of Service Tax has also been broadened? The disproportionate fall in collections can only be attributed to evasion of duty or laxity on the part of the Department in enforcement.

Even till date, you do not have any mechanism to maintain data centrally in respect of the service providers who have escaped the tax net by not registering and not paying the applicable Service Tax. If you do not maintain a supporting database, how would you widen the tax net of Service Tax? There is a need to create a reliable database of service providers, identify potential tax-payers as well as evaders, and progressively bridge the gap between tax-paying and tax-evading service providers. I have some questions. Is it true that a substantial amount of revenue collected from the Service Tax had not been deposited with the Exchequer during the last three years? Is it true that the loss of revenue on this count has

increased from year to year and stood at Rs. 48.06 crore during the year 2008-09, out of which only Rs. 27.62 crore have been realised so far?

Another problem, which this House discusses rarely, is that there is an acute shortage of manpower at all levels in the Income Tax Department. Working strength of Additional CIT and JCIT is 33.51 per cent less than the sanctioned strength so also is the situation in the case of DCIT and SCIT where the shortage is 24.25 per cent, while in the case of Inspectors, it is 11.40 per cent. I am sure that the Finance Minister understands the problem, but should take steps to mitigate this problem so that work does not suffer on this account.

Before I conclude, I must draw the attention of this House regarding the levy of Re. 1 per litre as Central Excise Duty on petrol and diesel, which is coupled with restoring a basic custom duty of five per cent on crude petroleum and 7.5 per cent on diesel and petrol. This has only intensified inflammatory pressure on the economy as transportation cost.

The Bill proposes concessional customs duty of five per cent on all solar imports. Similarly, complete excise exemption has been granted for domestic purchases. But, service tax exemption in relation to activities for installing and commissioning of solar generation system also needs to be extended.

This Bill proposes to levy a clean energy cess of Rs. 50 per tonne of coal produced in India. ... (*Interruptions*) Sir, I will just take one minute to speak. This is an important point dealing with green technology. These are very innovative ideas, which the Finance Minister has brought out, but I would like to dwell on them in a very limited way. This Bill proposes to levy a clean energy cess of Rs. 50 per tonne of coal produced in India as also on imported coal. This is a welcome step and will help in developing cleaner and greener technologies. Since CENVAT credit is permissible on all inputs used in manufacture of excisable goods, I would suggest that the proposed cess should also be notified as CENVATable inputs for generation of electricity in captive power plants to neutralise the cascading affect.

Lastly, why does not this Government impose a higher tax on *bidis* and cigarettes? We all know that the hon. Finance Minister has quit smoking. It would save two crore lives if taxes are raised to internationally-recommended levels. Further, higher taxes could also result in additional yearly revenue of Rs. 183.20 billion for the Government.

With these words, I conclude.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I express my thanks to you for permitting me to speak on the Finance Bill.

The Budget presentation is usually awaited with much expectation and anxiety since it gives relief to the tax payers and incentives to various sections of people. But this year's Budget has become more or less corporate-specific rather than country-specific and people-specific because of faulty economic policies. Similarly, this year's Finance Bill is a document conferring concessions to corporates and penalizes the middle class.

The Finance Bill, 2010 provides for imposition of service tax on immovable property. The levy of service tax in preferential location charges -- on which appropriate stamp duty is paid -- will increase the cost of housing for the consumers. Overall, the indirect tax on any immovable property is now around 16 per cent. The introduction of new service tax in this sector will bring tax level to 20 per cent on immovable properties. The middle class and the upper middle class are already heavily reeling under the impact of price rise.

With the introduction of service tax on immovable properties, their lifelong desire of owning a house will remain a dream. May I request the Finance Minister to have a second look on this issue and reduce the level of service tax considerably, if not possible to abolish it totally?

There is another view that till the Sale Deed is executed by the purchaser of the property, the ownership rests with the seller. The services provided by the sellers would be in the nature of self-service and do not attract service tax. This issue, I fear, would raise needless litigation.

Mr. Chairman, Sir, another aspect in which the Finance Ministry should show some leniency is with regard to the High Court admitting applications against the assessment of Wealth Tax. The Finance Bill provides an amendment to Section 27 (3B) of the Wealth Tax Act which says, "The High Court may admit an application after the expiry of the period of 90 days referred to in sub-section (3), if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the same within that

period." I request the hon. Finance Minister to extend the time limit from 90 days to six months as provided in Section 256 (2A) of the Income Tax Act. This will enable the assessees to have breathing time to prepare an appeal in the High Court.

Let me now touch upon the provisions dealing with Income-tax. My revered leader and former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has requested that the first tax slab may be expanded up to Rs. 5.0 lakh. May I request the hon. Finance Minister to look into the reasoning behind the appeal of my leader, and raise the exemption limit to a reasonable level? Similarly, the Income-tax limit for women and senior citizens may also be raised considerably.

Sir, an explanation is being added to Section 65, Clause 105, sub-clause (zzc) of Finance Act, 1994 explaining the meaning of the expression 'commercial training or coaching centre. It is being given retrospective effect from 1.7.2003. However, there are many Tribunal judgments nullifying the retrospective effect. In this regard, should an assessee pay tax for the past period with interest? This needs an explanation. Let the Ministry clarify whether commercial training or coaching centre would include spiritual and religious centres and training.

Sir, at this juncture, I cannot resist the temptation of highlighting the fact that during this year alone, nearly Rs. 5.0 lakh crore in the form of Direct and Indirect Taxes have been written off to corporate sector. While the Government showed undue favour to corporate sector, the Budget hits the farmers very badly. Nutrient base subsidy results in rising prices of fertilizer, cost of agricultural operations, and in the ultimate suffering of farmers. Further, the Government has also reduced the quantum of food subsidy directly affecting the poor.

Sir, fiscal deficit continues to worry us. The Finance Minister was happy to present the fiscal deficit at 5.5 per cent of GDP for the year 2010-11. The continuing flaw of implementing Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 is not only a cause of concern, but also invites further trouble in the otherwise healthy economy. I think, it is apt to quote what the U.S President Barack Obama once said on this subject, "We cannot continue to spend as if

deficits do not have the consequences, as if the hard-earned money can be treated like monopoly money."

Sir, though the issue I wish to raise now is not directly related to the subject under discussion, I would like to anyhow bring it to the attention of the House, which relates to the total quantum of unspent amount.

As much as Rs.1.00 lakh crore out of the money allocated to various Ministries remained unspent between 2005-06 and 2007-08. There has been unspent provision of Rs.100 crore or more out of the total of Rs.59,000 crore. If the Government remains immune to such shortcomings, I fear that the fruits of development may not reach the intended beneficiaries.

I understand that in a rough economic weather, our Finance Minister has done his best. However, a few suggestions, which I have touched upon in my speech, may be given serious consideration.

Finally, a good doctor offers the right diagnose and prescription. What the economy needs is the timely administration of medicine. Hon. Finance Minister is an efficient administrator. I am sure that he will administer correct, proper medicine in time and keep Indian economy healthy.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, at the very outset, I express my views not for this Bill. I rise to oppose the Finance Bill 2010. I am not dealing with each and every point of the Bill. I want to confine myself particularly to the point with regard to the tax structure. It is already mentioned by several speakers about the tax structure, widening the tax slab. What is desirable, what is expected from the Government is that they will impose more tax over the affluent sections, over the rich sections, over the corporate sectors. But this structure is quite reverse. It is evident that the person whose income is Rs.8.00 lakh, saves more than Rs.50,000 of his usual income-tax liability when compared to the tax rates of 2009-10. Similarly, in the case of an individual, whose income is below Rs.5.00 lakh saves Rs.20,000 only. It should be the reverse. So, I would request the Government, I would request the hon. Finance Minister to have a second look about the tax structure with regard to the slabs of the income-tax.

The second point is with regard to the surcharge. The existing surcharge of ten per cent on domestic companies is proposed to be reduced to 7.5 per cent. For what should we have all these things? About the tax deduction at source, it is proposed to raise the threshold limit for payment. I am referring to what is there in the nature of payments. About winning from lotteries and cross-word puzzles, the existing threshold limit of Rs.5,000 has been extended to Rs.10,000. The existing threshold limit for winning from horse race is Rs.2,500 and now it has been extended to Rs.5,000. About the payment to contractors, the existing threshold limit of Rs.20,000 has been extended to Rs.30,000 for a single transaction. In the case of aggregates, during the first year, it was Rs.50,000 and now it has been extended to Rs.75,000.

All these things are meant for whose benefit? Limit on insurance commission has been raised from Rs.5,000 to Rs.20,000. Limit on commission or brokerage is raised from Rs.2,500 to Rs.5,000. Limit on rent is increased from Rs.1,20,000 to Rs.1,80,000. Limit on fee for professional and technical services is raised from Rs.20,000 to Rs.30,000. This threshold is increased not for the *aam* 

*aadmi*. This threshold is increased for the affluent sections, for the contractors, for the brokers.

The Bill allows small companies to convert into limited liability partnerships without attracting capital gains tax liability. What is there under the limits of turnover of gross receipts for the purpose of audit of accounts and presumptive taxation? Every person carrying business is required to get his accounts audited if the total sales turnover or gross receipts in business exceed Rs.40 lakh. Now it is proposed to be increased to Rs. 60 lakh. Investment-linked deduction for hotel business is hundred per cent in respect of all or any expenditure of capital nature.

Charitable purpose is already mentioned by hon. Member Mahatabji and I would also refer to it. The existing concept is getting diluted with this amendment. For the purposes of Income Tax, charitable purpose has been defined in Section 2(15) which amongst others includes the advancement of any other object of general public utility. However advancement of any other general public utility is not a charitable purpose if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business. What is going to be amended? It is proposed to amend Sector 2(15) to provide that the advancement of any other object of general public utility shall continue to be a charitable purpose if the total receipts from any activity in the nature of trade, commerce or business (it was excluded earlier but now it is included) or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business does not exceed Rs.10 lakh in the previous year. So, this sort of an amendment is coming.

I will come to the projects now. We have talked about projects at several times on several occasions. It is our expectation that every project should be completed within a stipulated time. But what is there so far as the projects is concerned? Under the existing provision, 100 per cent deduction is available in receipt of profits derived by the undertaking. The project has to be completed in

four years. It is proposed to increase the period from four years to five years. So, if we club all these things together, it is revealed that this Bill is nothing but a stimulus package to the contractors, to the affluent sections, to the high salary earning people, to the corporate sector, and to the companies.

That is why, I strongly oppose this Bill. I think, the Government is talking about the *aam aadmi* but nothing is discussed about *aam aadmi* and about the indirect taxes, etc. much has been said earlier. I do not want to repeat due to paucity of time. If the Government is serious and honest to the words of *aam aadmi*, it should revisit this Bill. This is as per my understanding and for these reasons, I oppose this Bill. With these words, I conclude.

श्री निशिकांत दुवे (गोंड्डा): सभापित महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। फाइनैन्स बिल पर पार्टी की तरफ से मैं अपना रुख स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से वह यहां सांसद और मंत्री रहे हैं और मैंने पहला बजट 1980 में सुना, जब मुझे कुछ होश आया तो वित्त मंत्री के नाते माननीय प्रणव मुखर्जी साहब का बजट ही मैंने सुना था। मैं महाभारत को कोट नहीं करना चाहूंगा, चूंकि यहां लड़ाई हो जायेगी कि कौन दुर्योधन है, कौन पांडव है। लेकिन इस हाउस के यह भीष्म पितामह हैं। हमारी विपक्ष की नेता बता रही थीं कि आप सबसे विरष्ठतम हैं। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मेरा जितना इंटरेस्ट इस देश के प्रति है, उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, उससे ज्यादा आपका अनुभव होगा।

महोदय, कुछ बातें जो हमारे मित्र संजय निरुपम साहब ने कहीं, वैसे वह फाइनैन्स बिल पर चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें जो मुझे पता हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हल्ला ब्रिगेड में कुछ उन्हें बोलना नहीं चाहता था। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस के समय में गरीबी घटी है। आज प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 27 परसैन्ट गरीबी है और उसी के आधार पर बीपीएल कार्ड्स बने हुए हैं। उसी के आधार पर आप पैसा दे रहे हैं और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी इसलिए है, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी, फाइनैन्स का भी मैम्बर हूं। उस नाते तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है और वह कह रहा है कि 37 परसैन्ट गरीबी है। अब गरीबी बढ़ी है या घटी है, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए।

दूसरे सवाल में उन्होंने गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात में पीडीएस सिस्टम से चीजें उठाई नहीं जा रही हैं। यहां गुजरात के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। गुजरात के कच्छ इलाके में भूकम्प आया और हम वहां फटे-पुराने कपड़े लेकर गये। क्योंकि हम झारखंड के हैं तो हमें लगता है कि कहीं भूकम्प आ गया, कहीं राष्ट्रीय आपदा आ गई तो हम लोगों को कपड़े-लत्ते लेकर जाना है। इसलिए जब हम लोग फटे-पुराने कपड़े लेकर गये तो वहां के लोगों ने लेने से मना कर दिया। गुजरात गरीब न था, न है और न होगा, यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं।

इसके अलावा वहां जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में लोकल लोगों को रोजगार के लिए जो बीस परसैन्ट एमओयू गवर्नमैन्ट ऑफ गुजरात साइन करती है, आज तक वहां एक से दो परसैन्ट आदमी मिले हैं और आज भी वे जगहें खाली रहती हैं या बाहर के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं। गुजरात कभी

गरीब नहीं रहा है। इसिलए आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कमैन्ट था, वह कहीं न कहीं गलत था। उसके बाद आपने फाइनैन्स बिल से अलग हटकर चर्चा शुरू की तो आपने कहा कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टैक्स पेयर्स के पैसे से यह देश नहीं चल रहा है। यह जो प्लान एलोकेशन है, माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वह मुझे सुधारेंगे, 80 परसैन्ट पैसा कर्जा है, यह देश कर्जा से चल रहा है और हम कर्जा से दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच है और मैं उसों को कोट करना चाहूंगा, जो हिरन पाठक साहब ने सुबह कोट किया था, प्वाइंट नम्बर 188 - उसमें उन्होंने आम आदमी के साथ-साथ नेशनल इंटरैस्ट की बात कही थी। मैंने अपना भाषण शुरू करने के पहले ही कहा है कि मेरा जितना नेशनल इंटरैस्ट होगा, उससे ज्यादा प्रणव मुखर्जी साहब का होगा, उनका अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस बजट को देखने के बाद और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैन्स का मैम्बर होने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया, वह यह है कि इस देश का नेशनल इंटरैस्ट आईपीएल हो गया। आईपीएल क्या है, रहस्य, रोमांच, आनन्द और पैसा है।

उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, यह चंद्रकांता उपन्यास है, चुनार के किले का क्या रहस्य है, वह रहस्य आज तक पता नहीं चला है। जब से स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने इसके बारे में चर्चा की और जो मैंने पूछा था, उसका कोट मैं बताऊंगा तो लगा कि यह हिर अनन्तः हिर कथा अनन्ताः है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, दशानन की तरह, कोई कुछ कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक लाम नीस हजार करोड़ रूपए का इनडायरेक्ट कन्सेशन आईपीएल फ्रेंचाइजीज को दे दिया। कोई स्वैप्ट इक्विटी की बात कर रहा है और स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस का मेंबर होने के नाते हमने जब इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा:-

"On being asked about the break-up of revenue foregone by way of tax exemption, for high profile bodies like BCCI, IPL, and the franchisee for the last three years, the Ministry furnished the following details. The details are what about IPL, etc. Till the assessment year 2006-07, the benefit of exemption was given to BCCI, because it was charitable organization."

बीसीसीआई क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेश है, यह आप खुद बता सकते हैं? मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीसीसीआई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वह कहीं से भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन होता यह है कि:

"The Director, Income Tax Exemption, Mumbai, vide letter no. and dated 28.12.2009 has informed the BCCI that the registration 12 (A) granted to BCCI does not survive from the date on which the objects of BCCI were charged 1.6.2006, in view of the decision of the hon. Allahabad High Court, in Agricultural Institute Versus the Union of India. In view of the communication from the DIT, the assessment order for 2007-08 was passed, treating BCCI as association of persons."

यह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है और इसके ऊपर साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा बकाया है। हमें उससे डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है, वह अलग है। उसके बाद यह होता है कि:

"The Indian Premier League, started in 2008-09 and therefore, the income of the franchisee owners has been shown in the income tax returns for the assessment year 2009-10 onwards, since the income of franchisee of IPL is not yet to be assessed; therefore the total tax assessed and collected from IPL and the franchisee for the last three years cannot be provided at this stage."

इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तीन साल से आईपीएल चल रहा है, रहस्य, रोमांच चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस साल आपको दो सो करोड़ रूपये टीडीएस मिलता है। पिछले साल जब ये टीमें साउच्य अफ्रीका चली जाती हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी अपने अधिकारियों से पूछा है? क्या साउच्य अफ्रीका वह आरबीआई की परमीशन से गया? फॉरेन करेंसी वहां जो खर्चा हुआ, उसका आदेश किसने दिया? हम जब जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आपको वह मांग गलत लगती है। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जेपीसी की जो मांग कर रही है, वह कम है।

सभापति महोदय: वह अभी अंडर कंसीडरेशन है।

श्री निशिकांत दुवे: महोदय, अगर हमारी पार्टी वित्त मंत्री जी का इस्तीफा मांग ले तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसका कारण भी बताता हूं। आपके पास बहुत से कानून हैं, आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 है, एक्सपेंडीचर टैक्स एक्ट 1987 है, बेनामी ट्राजक्शन एक्ट 1988 है, सुपर प्रोफिटस एक्ट 1963 है, कम्पनीज एक्ट 1964 है, कम्पलसरी डिपोजिट एक्ट 1974 है, फाइनेंस एक्ट 2004 है, फाइनेंस एक्ट 2005 है, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 है, कंजरवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रीवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टीविटीज 1974 है, यदि इनकी बात करें तो आपके पास 20 एक्ट ऐसे हैं, जिनके आधार पर आपको या आपके अधिकारियों को रोकना

चाहिए था। इस देश में तीन साल से इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए आपके पास इनफोर्समेंट एजेंसी है। इनफोर्समेंट ऐजेंसी क्या है, किमश्नर डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एंड कस्टम है, सेंट्रल बोर्ड का सीधा किमश्नरेट है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट है, डायरेक्टर ऑफ इनफोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉरकोटिक्स है, चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्टरीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेचाइजीज में जो घपले की बात आ रही है, एफआईबीपी बोर्ड आपके पास है।

## 17.00 hrs.

क्या आपके एफआईबीपी बोर्ड ने परमीशन दी थी, जिसके आधार पर यह फ्रेंचाइज़ी आए थे। यह जो फ्रेंचाइज़ी आए थे, चाहे वे मॉरीशस रूट से आए थे या किसी अन्य रूट से आए थे, क्या आपने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जो जेपीसी की बात कर रही है, वह कम है। सरकार को बचाने के लिए उस मांग को मान लेना चाहिए। आपसे पहले के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम साहब हों या आप हों, मैं आपको बैनीफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि 7-8 महीने तक आप आईपीएल का बेनामी ट्रांजैक्शन देखते रहेंगे। आईपीएल आपके लिए छोटा विषय हो सकता है। 11 लाख करोड़ रूपये के बजट में चार-पांच सौ हजार करोड़ रूपये किसी कागज में खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस देश को इसके बारे में जानने और समझने का अधिकार है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: इसका फाइनैंस बिल से क्या लेना-देना है?

श्री निशिकांत दुवे : इसका फाइनैंस बिल से ही लेना-देना है। यह टैक्स का पैसा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Nishikant Dubey,

... (Interruptions) ... \*

श्री निशिकांत दुवे : महोदय, कांग्रेस के सदस्य जो बोल रहे हैं, इन्होंने सभी बातें फाइनैंस बिल से हटकर कहीं। कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, इस संदर्भ में लखनऊ की एक कहानी है, नवाब वाज़िद अली शाह का ज़माना था और लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था। आपने मुझे छेड़ा है तो सुनिए, कॉरस कॉर्प की डील तीन बार बढ़ाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट यह आती है...(व्यवधान) अधिकारी गलती के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dubeyji, please address the Chair.

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री निशिकांत दुवे : कॉमनवेल्थ का बजट तीन बार बढ़ाया जाता है। 2जी और 3जी के बारे में पॉयनियर अखबार में जो दिया गया है, जिसे हम सब देख रहे हैं, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 35 हजार करोड़ रूपये हम 3जी से लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। आज भी नहीं आ पाया है। यह टैक्स का सवाल है, फाइनैंस बिल का सवाल है। आप विलासिता के रंग से ऊपर उठिए और राजधर्म का निर्वाह कीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: निरूपम जी, आप शांत रहिए।

श्री निशिकांत दुवे : आप सुनना चाहते हैं, तो सुनिए।...(<u>व्यवधान</u>) \* मैं सीएजी की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूं।...(<u>व</u>्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It would not go on record.

(Interruptions) ... \*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, प्रफुल्ल पटेल जी तो मंत्री हैं, उनका नाम लेना तो सम्मान की बात है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: In what context, is he mentioning his name? नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री निशिकांत दुवे : महोदय, यह सरकार कैसे चल रही है, यह सीएजी की रिपोर्ट में है। यह कम्पालायंस रिपोर्ट है। यह टैक्स कलैक्शन और सर्विस टैक्स कलैक्शन के बारे में है-

"National Aviation Company of India Limited in Mumbai Service Tax Commissionerate undertook non-scheduled chartered flight and Haj flights and recovered Rs.4499 crore for the period 2006-07 up to September, 2007. These flights were not open to general public and were not operated according to a published time-table. Audit observed that the said flights were non-schedule flights and hence the assessee was liable to pay service tax on such services."

लेकिन सरकार क्या कर रही है-

"On the matter being pointed out in November, 2007, the Ministry admitted the audit observation."

-


<sup>\*</sup> Not recorded

इसका मतलब यह है कि उसने मान लिया कि हम से गलती हो गई और हम सरकार को चुना लगा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं।

"Two show cause notices demanding service tax of Rs. 189.18 crore had been received and the assessee had paid Rs. 95 crore only."

आपकी सरकार आपको टैक्स नहीं दे रही है, एक ही चीज नहीं हुई, उससे भी आगे देखिए।

## 17.06 hrs.



"M/s Air India in Mumbai Tax Commissionerate engaged the services of M/s AVN Amro and foreign branches of ICICI bank and SBI bank for arranging loans such as PDP loan, Axim loan, and commercial loan etc and paid fees Rs. 28.52 crore. During the period from December 2006-08 however, applicable service tax of Rs. 3.49 crore was neither paid by service provider nor was it paid by the recipient of the service. This was recoverable with interest."

यह सरकार इस ढंग से चल रही है और केवल सर्विस टैक्स का मामला नहीं है, कस्टम का भी है। ये सारी सीएजी की रिपोर्ट है, कम्प्लायंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, फाइनेंस बिल पर ही बात हो रही है। हम सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और कस्टम की बात करते हैं। वह यह कह रहा है -

"M/s Air India and Indian Airlines operated flights in the domestic sector were paying Excise Duty on the stock of aviation fuel held by them in the fuel tank on the termination of international trade. Audit scrutiny revealed that while M/s Indian Airlines adopted the basic price declared by BPCL including Excise duty for adjusting rebate of Central Excise..."

इससे 50 लाख का चूना है। बीपीसीएल को पैसा नहीं दे रही है, यह सरकार चल रही है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कि 5400 करोड़ रुपए का घाटा है और आपने 1200 करोड़ रुपए तेल कम्पनियों के रखे हुए हैं। हमने आठ सौ करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए और इस साल 1200 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा कि ये केवल आग में घी डाल रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, आपको टैक्स नहीं दे रहा है, यह आपका सोचने का विषय है, मेरा नहीं है। आप इसके बदले यह कर रहे हैं कि आप चुन-चुन कर हमारी जो स्मालर स्टेट है, जिसे एन.डी.ए. सरकार ने कंसेशन दिया हुआ था, आपने 31 मार्च को उसका कंसेशन खत्म कर दिया। उसमें दो सरकारें हैं - एक

हिमाचल की सरकार और दूसरी उत्तरांचल की सरकार है। आपने यही कंसेशन जम्मू-काश्मीर को सन् 2017 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। जम्मू-काश्मीर प्रोस्पेरस हो, यह हम भी चाहते हैं। मैंने एक व्यक्ति के नाते पिछले साल वहां बीपीओ सेंटर खुलवाया है। अभी दो महीने पहले पांच सौ आदिमयों की नौकरी मैंने लगवाई है। उसका जब उद्घाटन हुआ था तो मैं मुख्य मंत्री जी के साथ वहां मौजूद था। जम्मू-काश्मीर से जितना प्यार आपको है, उससे कम प्यार एक व्यक्ति के नाते मुझे नहीं है। मैं साल में पांच बार वहां जाता हूं, लेकिन उत्तरांचल का क्या होगा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि सन् 2013 तक उसे और हिमाचल को टैक्स कंसेशन मिला हुआ था, वित्त मंत्री जी, आपने उसे किस आधार पर खत्म किया, इसके बारे में आप यदि मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा?

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड से आता हूं और मैं आप ही के प्लानिंग कमीशन में दस दिन पहले मीटिंग करने गया था। वहां एक भी रोड नहीं है, स्कूल और अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल में आक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें कहीं न कहीं एक पैकेज दीजिए। संथाल-परगना के लिए पैकेज दीजिए। जिस तरह से बिहार से अलग झारखंड हो गया, उसी तरह से आप संथाल-परगना के लिए भी पैकेज दीजिए, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। आप वहां से कोयला ले जा रहे हैं। आपने अभी क्लीन एनर्जी सेस की बात की है और यह हमारे लिए सबसे बढ़िया टोपिक है कि आप 50 रुपए पर-टन क्लीन एनर्जी के लिए ले रहे हैं। लेकिन वहां के जो लोग टी.बी. से ग्रसित हो रहे हैं, हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो छ:-सात टन की रोड बना रहे हैं, उस पर जो 40-40 टन के कोयले चल रहे हैं, वहां आप एक अस्पताल नहीं दे रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान में तीन हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां बाउंड्री वाल नहीं है। आप जो पच्चास रुपए की रायल्टी वसूलने की बात कर रहे हैं, क्या आपने उन इलाकों के बारे में सोचा है या उन्हे नक्सलवाद में धकेल देने का, मार देने का इरादा है? द्वादश ज्योर्तिलिंग में से एक लिंग वैद्यनाथ देवघर है, वह बिहार और झारखंड की रिलिजियस केपिटल है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। में लगातार लिख चुका हूं। माननीय बंसल जी यहां बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें भी कहा कि 40-40 साल से हमारे जो प्रौजेक्ट्स रुके हुए हैं, आप उनके बारे में सोचिए।

सभापति महोदय, हमारी पार्टी के पास ढाई घंटे का समय है और हमारी ओर से केवल बोलने वाले तीन स्पीकर हैं। इसलिए मैं एक घंटा बोलूंगा।

इसलिए वित्त मंत्री जी, मेरा यह मानना है कि जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, तो उन इलाकों को जरूर ढूंढ़िए, उन इलाकों में जरूर खर्चा कीजिए। जब आप



रिबेट देते हैं और इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो छोटे स्टेट हैं, उत्तरांचल है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और बिहार जैसा राज्य है, जहां कि बंटवारे के बाद केवल पानी और बालू रह गया है। उसके बारे में निश्चित तौर पर सोचिए, तािक इस देश का समग्र विकास हो पाए।

महोदय, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आपने मिनरल ऑयल की बात कही है। उसमें कहा है कि-

"As per Section 44Bb, in case of Non-Resident who is engaged in the prospecting or for extracting or production of mineral oil, income shall be computed at ten per cent of the aggregate."

और उसी के आधार पर आपने सैक्शन 115-ए में फी ऑफ टैक्नीकल सर्विसेस की बात कही है, लेकिन मैं दो चीजें कोट करना चाहता हूं। नानी पालकीवाला ने दो बातें कही हैं। वे इस देश के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि

"The avalanche of ill-conceived changes and complications which may be compendiously called legal litter is mainly responsible for the poor quality of our tax administration."

और उससे आगे बढ़कर वे कहते हैं कि

"Taxes are the life blood of any government but it cannot be overemphasized that the blood is taken from the arteries of the tax payers and therefore, the transfusion has to be accomplished in accordance with the principles of justice and fair play."

इसमें पेयर प्ले क्या है? नेल्प राउंड के इतने बिडिंग हो चुके हैं और पिछली बार जो नेल्प राउंड हुआ, उसमें से कितने फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट आए? इस देश की किटी में कितने फॉरेन एक्सचेंजेज आए? इस बार नेल्प राउंड करने वाली मिनिल्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, वह किस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस से लड़ रही है, वह किस तरह का कंसेशन मांग रही है, क्या हम उसे टैक्स कंसेशन दे पाने की स्थिति में हैं या जिन्हें हमने नेल्प राउंड में ऑयल एंड गैस एलीट कर दी है, क्या कनक्लूडेड कॉट्रैक्ट के बाद भी, हमने सभी को एवॉर्ड कर दिया है? मुझे एक कहानी पता है, एक केस पता है, उसे आप जानते हैं। मैं केवल उसे कोट करना चाहता हूं। उसमें ओ.एन.जी.सी. का भी 40 परसेंट स्टेक है। उसमें वर्ष 2003-04 से किस चीज की लड़ाई चल रही है, ओल्ड सैशन रायल्टी एंड न्यू सैशन रॉयल्टी। कनक्लूडेड कॉट्रैक्ट है। आपका

लॉ डिपार्टमेंट बार-बार कह रहा है कि वह कनक्लूडेड कांट्रैक्ट है, आप पी.एस.सी. साइन कर लीजिए, लेकिन आप साइन नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम न्यू सैशन रायल्टी लगाएंगे, वे कह रहे हैं कि हम ओल्ड सैशन रॉयल्टी देंगे। यदि हम, वित्त मंत्री जी, ओल्ड रॉयल्टी कॉंट्रैक्ट पर ही साइन कर लेते, तो आप यह बताइए कि अभी तक कितना पैसा आपकी किटी में आ गया होता और आप जिस प्रकार से सात-आठ साल से किसी प्रोजैक्ट को डिले किए हुए हैं या आपकी सरकार डिले कर रही है, तो जब न्यू सैशन रॉयल्टी मिलेगी, तो क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में देखा है या टैक्स कलैक्शन के टर्म में देखा है कि किस तरह की पॉलिसी हम यहां लाना चाहते हैं। इसके बारे में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट करिए। नेल्प राउंड में कितना टैक्स कलैक्शन होगा, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए।

आपने सैटलमेंट कमीशन की एक बात अपनी बजट स्पीच में कही थी। आपने सैटलमेंट कमीशन बनाया है और उसमें असैसमेंट होकर जो सैटलमेंट ऑफीसर आएगा वह आपका ही होगा। आपने इसमें कहा है कि-

"It is now proposed to include proceedings for assessment or reassessment resulting from search or as a result of requisition of books of account or other documents or any assets within the definition of a case which can be admitted by the Settlement Commission."

सैटलमेंट कमीशन में कौन अफसर जाएंगे। सैटलमेंट कमीशन में वे ऑफीसर जाते हैं, जो आपके कृपापात्र हों और यह सरकार केवल आप ही चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम कम से कम ऐसा केस नहीं बनायें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं परेशान हों। यही जे.एम.एम. ब्राइबरी केस में हुआ, यहीं वोट दिया गया, यह तो पता चला कि हमारे कुछ सदस्यों के एकाउण्ट में पैसे चले गये, तीन करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ रुपये पकड़े गये, लेकिन किसने पैसे दिये, क्या आज तक हम उसका पता लगा पाये हैं? इस तरह के असैसमेंट्स जो हम सर्च के बाद सैटिलमेंट कमीशन को देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसके पीछे उद्देश्य सी.बी.आई. के बाद कहीं सैटिलमेंट कमीश्चा को यूज़ करना तो नहीं है? कहीं (Interruptions) ... \* जैसे लोगों को बचाने की साजिश तो नहीं है या हमको बचाने की बात करें, चाहे आपको बचाने की बात करें, हमको चन्दा देने की बात करें या आपको चन्दा देने की बात करें, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कि गलत धन्धा कर रहे हैं, जो कि टैक्स बचा रहे हैं, उसे बचाने के लिए तो कहीं यह सैटिलमेंट कमीशन नहीं है? कहीं न कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जब सरकार में कल से हम इधर से चिल्ला रहे

<sup>\*</sup> Not recorded

हैं कि आप सी.बी.आई. का मिसयूज़ कर रहे हैं, कल हम कहेंगे कि सैटिलमेंट कमीशन का मिसयूज़ हो रहा है। हो सकता है कि कल जब आप इस तरफ आयें तो हम पर इस तरह से आरोप लगायें। मेरा यह मानना है कि जो प्रोसेस चलता है, जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसके बारे में अपने भविष्य को देखकर यदि इसका निर्णय करें तो ज्यादा बैटर होगा।

कुछ चीजें, जो मैं सी.ए.जी. रिपोर्ट से कोट करना चाहूंगा, उसमें सी.ए.जी. रिपोर्ट क्या कह रही है, सी.ए.जी. रिपोर्ट कस्टम्स के बारे में कहती है, अभी आपने यह रिपोर्ट ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस रखी है:

"Custom revenue of Rs. 5,136 crore demanded up to March, 2009 was not realized by the Department at the end of the financial year 2008-09. Of these, Rs. 1,947.81 crore was undisputed."

इस देश में दो लाख करोड़ रुपया ऐसा है, जो कि हमारा पैसा है, आपका पैसा है, सरकार का पैसा है, इस पार्लियामेंट का पैसा है, लेकिन हमने नहीं लिया। हम कर्जा ले रहे हैं, 80 परसेंट कर्जे से यह देश चल रहा है, लेकिन यह जो अनडिस्प्यूटिड पैसा है, यह भी हम नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं:

"However, even this amount had not been recovered for a period of ten years. There is a need to strengthen the recovery mechanism of the Department."

वह क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट जो है, वह गड़बड़ चल रहा है। क्या हमने किसी को आज तक इसके लिए जिम्मेदार बनाया है? आज सर्विस टैक्स की चोरी हो रही है, इनडायरैक्ट टैक्स की चोरी हो रही है, अभी रेवेन्यू फोरगोन के बारे में कई बातें भर्तृहिर मेहताब साहब ने बताईं कि एस.ई.जैड. को हम किस तरह से कंसेशंस दे रहे हैं। इसमें कई चैप्टर्स हैं, जिसमें सी.ए.जी. कह रहा है कि ई.ओ.यू. क्या कर रहा है, ई.ओ.यू. से डी.टी.ए. में जब जा रहा है, उसकी कैसे टैक्स चोरी हो रही है, एस.ई.जैड. से डी.टी.ए. में जब जा रहा है तो उसकी किस तरह से टैक्स चोरी हो रही है। एक-एक केस के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। क्या एस.ई.जैड. पालिसी को ओवरलुक करने की आवश्यकता है, क्या उससे मैक्सीमम कैसे टैक्स आये, उसके बारे में अपने को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम इस देश को बेच देने की स्थिति में आ जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि सी.ए.जी. ने जब इस तरह के क्वश्चंस उठाये हैं तो डिपार्टमेंट में हमने कभी किसी को इस तरह से रैस्पोंसिबल बनाने की कोशिश की है?

2-3 चीजें और मैं कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी, हम आपसे मिले थे और कुछ सजेशंस पार्टी के नाते हमने डी.टी.सी. के बारे में दिये थे। दो चीजें जो आप 2011 से लेकर आ रहे हैं, मैं यह मानता हूं कि पार्टी के नाते जो हमने व्यक्तिगत कहा था, ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो आप नया टैक्स कोड ला रहे हैं, इसमें जो स्माल और मिडिल इन्कम ग्रुप है। उसे डेढ़ लाख रुपये शायद 2004 में माननीय यशवन्त सिन्हा जी ने किया था, अभी 1.60 लाख रुपये हैं। हम लोगों ने यह डिमांड की हुई है कि आप उसको टैक्स कन्सेशन में तीन लाख रुपये तक ले जाइये, जो पर्सनल इण्डीविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनकी लिमिट तीन लाख रुपये कर दीजिए, जो महिलाएं हैं, उनकी 3.5 लाख रुपये कर दीजिए और जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनके लिए आप चार लाख रुपये कर दीजिए। अभी डी.टी.सी. आने वाला है, इसलिए सजेशन के नाते मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट एम्पलाइज़ हैं, वे कहीं न कहीं परेशान हैं। उनका हाउसिंग और कन्वेंस का सवाल है, वह यदि अभी प्रजेण्ट रिजीम में ही आप रखें तो शायद उचित होगा। जो फारेन कंपनीज के टैक्स हैं, वह 40-50 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दिया है। इसीलिए मेरा मानना है कि जो आल इंडिविजुअल्स फंड्स के एलएलपी की जो टैक्स रिबेट हैं, उसे 30 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दें, तो शायद हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए ज्यादा बढ़िया होगा।

हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में हरिन पाठक जी ने कुछ सजेशन दिए हैं। यदि उस सजेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हों, यदि दस लाख से बीस लाख तक के टैक्स को जो अभी 66 हजार या एक लाख रूपए जो एडीशनल देना देना पड़ता है, यदि इसके लिए डीटीसी में इस तरह का कोई प्रोवीजन हो सकता हे, तो उसको करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के ईश्यू हैं, क्योंकि आजकल हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो हमारे पुराने या बुजुर्ग लोग हैं, वे कहीं न कहीं दुखी हो रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो रही है। उनकी टैक्स की लाइबेलिटी बढ़ रही है। उनके लिए ओल्ड ऐज होम बनाने की व्यवस्था में मुश्किल पड़ रही है। सोशल सिक्योरिटी में जो गरीब हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, कम से कम बड़े-बुजुर्गों के लिए या जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए, बीपीएल फेमिली के जो लोग हैं, एपीएल फेमिली के लोग भी बहुत ज्यादा अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का आस्पेक्ट हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंटरिप्रन्योर हैं, उनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्स के रेट्स को हम कैसे कर सकते हैं? डीमिंग आफ लोन्स को कैसे कर सकते हैं? मेंटेनिंग रिकार्ड्स एंड बुक प्राफिट्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए।

महोदय, चेरिटेबल रिलीजियज ट्रस्ट के बारे में अभी बातचीत हुयी। पिछली बार तो आपने दस लाख का कंसैशन भी खत्म कर दिया था। यह देश मठ से चलता है, यह देश मंदिर से चलता है। आज

भी कोई जब भूखा या बुजुर्ग हो जाता है और जब भूखा होता है तो कहीं न कहीं वह मंदिर की आस में जाता है और वही उसको खिलाता है। मैं हरिद्वार कुंभ गया था, वहां बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट चलते हैं। वहां भूखे अपने कपड़े और सामान लेकर जाते हैं और वहां खाते हैं। गीता प्रेस एक ऐसी प्रेस है जिसकी किताबें आज भी सबसे सस्ती हैं। आप इस तरह के टैक्स रिलीजियस ट्रस्ट पर लगा देंगे, तो जो जेन्युइन चेरीटेबल ट्रस्ट हैं, उसके बारे में आप कहीं न कहीं आप अपने अधिकारियों को कहिए कि जेन्युइन रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में सोचें। सभी को एक समान हांकने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, इसके बारे में भी री-लुक करना चाहिए कि इसमें किस आधार पर एमेटी को हम रख सकते हैं? जो नॉन रेजीडेंट इंडियंस हैं, जिनका कि इस देश को मनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी परिभाषा नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस हो गयी है। उसको हम किस तरह से हम स्ट्रेंग्थेन कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे विश्वास डाल सकते हैं? यह डीटीसी में इंक्ल्यूड करना चाहिए। टैक्स हैवेन की बात आयी है, आईपीएल की बात आयी है तो टैक्स हैवेन की बात आती है। कभी केनमैन आइलैंड की बात होती है, कभी मारीशस रूट की बात होती है, तो यह कैसे खत्म हो जिससे कि हमारा फारेन डायरेक्ट रेवेन्यू, एफडीआई जो आ रहा है, वह भी कहीं परेशान न हो और हमारे कानून में जो इस तरह के लूप होल्स हैं, वे कैसे रूकेंगे? इसके बारे में विशेष तौर पर आपको डीटीसी में देखना चाहिए। को-आपरेटिव कैसे आगे बढ़ेगा? टैक्स हालीडे के बारे में जैसा मैंने कहा कि एरिया बेस्ड टैक्स हालीडे हो, उसमें जो एरिया है, अपने को प्लानिंग कमीशन से चुज कर लेना चाहिए, तब जाकर डायरेक्ट टैक्स कोड का मामला कहीं न कहीं निपटेगा।

महोदय, जीएसटी आ रही है। जीएसटी के बारे में राज्यों के कुछ कंसर्न हैं। जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, तो राज्यों के जो कंसर्न हैं, उसको कहीं न कहीं देखना चाहिए। उनका जो कंसर्न है, जो निम्न आय वाले राज्य हैं, उनको लगता है कि इस जीएसटी से कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। निम्न आय राज्य में झारखंड भी आता है, बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और छत्तीसगढ़ भी आता है, तो कहीं न कहीं उनके जो कंसर्न हैं, उसको जीएसटी में हमें देखना चाहिए। राज्यों की स्वायत्ता पर उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो हम सॉवरेन स्टेट हैं, कही न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे ऊपर कुछ न कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, वह खत्म होंगी। इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जीएसटी के कारण उनका जो नुकसान होगा, उसकी कैसे भरपाई करेंगे? जीएसटी के कुछ मुद्दे हैं।

वित्त मंत्री जी माफ करिएगा, आपके मंत्री जितनी भी स्पीच देते हैं, वह यह कहते हैं कि आपके एनडीए के शासन में क्या था और हमारे शासन में क्या है? यह सुनते-सुनते 11 महीने से मैं थक गया हूं। मुझे यह लगा कि 63 साल इस आजादी को हो गए, मुश्किल से 7-8 साल दूसरे ने शासन किया होगा, 55

साल तो आप ने ही शासन किया है। यदि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे कि एनडीए के शासन में यह टैक्स रिजीम था, उसके ऊपर इतना टैक्स कलैक्शन था, इतना रूरल डैवलपमैंट में खर्च हो रहा था, इतना इरीगेशन में खर्च हो रहा था, सर्व शिक्षा अभियान में इतना खर्च हो रहा था, तो हम केवल ढसना ढगाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 2800 बीसी और 1800 बीसी में देश की क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हम उससे आगे बढ़े, 1872 का सैन्सस कह रहा है कि 99 प्रतिशत के पास रोजी-रोटी के लिए बहुत चीजें थीं। अकबर का मुगल अम्पायर कह रहा है कि 1600 ईस्वी में हमारा फाइनैंस साढ़े सत्रह मिलियन पौंड था। ग्रेट ब्रिटेन का 1800 में 16 मिलियन पौंड था, मतलब हम 1600 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन से ज्यादा आगे थे। The historian of the Cambridge University Mr. Angus Maddison said:

"India's share of the world income fell from 22.6 per cent in 1700, comparable to Europe's share of 23.3 per cent to a low of 3.8 per cent in 1952."

एंगस मेडिसन कह रहे हैं कि इंडिया का शेयर 22.6 प्रतिशत था और 1700 में यूरोप की इनकम 23.3 प्रतिशत थी। मेरा कहना है कि आप जब देश के बारे में बात करने जाएंगे, तो जो भी जवाब दीजिए कि 1991 में बजट क्या था, 1996 में बजट क्या था, अगर आप कहेंगे तो मैं वह आंकड़ा भी बता दूंगा। जितने लोग हुए हैं, वेद, पुराण है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, सबने अंतिम आदमी की बात कही है, सबने गरीब की बात कही है। इसीलिए हमारे वेद में कहा गया है, पंडित कहते हैं - यानि कानिश्च पापानि, जन्मांतर कृतानिच् तानि-तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे-पदे। वे कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म केवल एक बार होता है और उसे अपने को गरीबों के प्रति लगाना चाहिए। हमारे वेद-पुराण की स्थिति रही है - सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। यदि उसे देखना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठकर अपने को उद्देश्य बनाने के लिए लगना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापित महोदय, आज मान्यवर वित्त मंत्री जी ने जो फाइनैंस बिल उपस्थित किया है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी राष्ट्र के वित्त के संदर्भ में नीति बनानी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी हो, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, उस पार्टी की विचारधारा और उस नीति को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके अनुभव और विचारधारा को साथ रखते हुए नीति बनाई जाती है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न ही मुझे अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान है। मैं जमीन का आदमी हूं और पिछले 35 साल से संसदीय राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं इस संसद में

तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैं बहुत कूलली सबकी चर्चा सुनता हूं, देखता हूं और सारी चीजों का अध्ययन भी करता हूं। मैं किसी की आलोचना, समालोचना करने में विश्वास नहीं करता। यह जाहिर है कि संसद में हर व्यक्ति की सोच अलग-अलग होगी, विचार अलग-अलग होंगे और बोलने का तरीका अलग-अलग होगा। मुझे नहीं मालूम कि अगर हम सब लोगों के भाषण से देश में आर्थिक विकास हो जाए या देश प्रगति की ओर जाए, तो हम अभी तक उसे कहां तक ले आए हैं। इसलिए मुझे किसी के भाषण की ओर नहीं जाना है। जो वास्तविकता है, उसे देखना है। अगर पोलीटिकल पार्टीज़ के विचार आज जिन्दा हैं तो कहां तक हैं, इसे देखना होगा। हम देखते हैं कि जिस देश में सोशलिज्म के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर चर्चा हुआ करती थी, उस देश में गरीब के बारे में सोचने वालों का विचार आज डिरेल है। जिस तरह से इकोनॉमिक पालिसी बननी चाहिए, वह आज डिरेल है। हमने पिछले एक दशक से देखा है कि किस तरह से कम्युनल फोर्सेज को भी लोगों ने नकारा है। आइडियलिज्म नाम की बात पोलिटिक्स में जिंदा नहीं रही। मैं नहीं कहता कि मेरी पार्टी में यह नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने कहां तक अपने सैक्युलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेनटेन किया 📇 इसका इतिहास साक्षी है। हम उससे भी ज्यादा बढ़कर हम मानववादी बनें। मैं कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकोर के पिछले कार्यक्रमों को अच्छी तरह से देख रहा हूं कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यूपीए सरकार की हर पालिसी में दिखाई दे रही है। हमने विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय प्रणब दा के जीवन का अनुभव देखा है। वे एक आर्थिक इकोनॉमिस्ट हैं। पता नहीं किस तरह से हमारे साथी, मित्र या हमसे कम उम्र के लोग उनको क्रिटिसाइज करते है, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा अर्थशास्त्री इस हाउस में है, तो मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड की मेल्ट डाउन इकोनॉमिक सिचुएशन में वे किस तरह की अर्थनीति इस देश के लिए ला पाते। आज भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी हैं, जिनकी पालिसी फ्रेमवर्क, जिनकी नॉलेज के बारे में, पूरा वर्ल्ड जानता है कि वे एक वर्ल्ड लैवल के इकोनॉमिस्ट हैं। वे किस तरह से अपने देश की इकोनॉमी को फ्रेमआउट करेंगे, फिलॉसफी को फ्रेमआउट करेंगे, इस बात को भी तमाम वर्ल्ड जानता है। युपीए सरकार के समय में कितनी क्रांतिवादी विचारधारा संविधान के अन्तर्गत लायी गयी। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी किस तरह से मानवीय विचार, यहां आम आदमी की बात हो रही है, मैं आम आदमी पर आने के लिए यह बात रख रहा हूं इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है कि हमारी पार्टी के नेता लोग गरीब जनता को किस लैवल तक जाकर अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन सारे अध्ययनों को लेकर अपनी पालिसी बनाने की बात कर रहे हैं।

अभी यहां गरीबी की परिभाषा कही गयी। सब जानते हैं कि मैं कालाहांडी क्षेत्र से आता हूं। कालाहांडी मेरा संसदीय क्षेत्र है। इस कालाहांडी को मैंने पैदल ही नापा है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां गाड़ी,

घोड़ागाड़ी, हवाईजहाज या हेलीकॉप्टर में गया, मैं वहां पैदल गया हूं। केवल कालाहांडी ही नहीं, बल्कि कालाहांडी के साथ-साथ पूरे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों, महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में विद्यार्थी जीवन से काम करता आया हूं। आम आदमी की परिभाषा शायद मैं ठीक से जानता हूं। मेरी परिभाषा में अगर आम आदमी को देखा जाये, तो आम आदमी जो कमाई करते हैं, आज हमारी सरकार, यूपीए सरकार इस पालिसी को, अर्थनीति को संसद में किसके लिए लेकर आयी है, इस बात की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग जंगल में लकड़ी संग्रह करके बेचते हैं, पत्ता कलैक्ट करके बेचते हैं, फल-फूल और पेड़ों के रस को संग्रह करके बेचते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में है। उनकी ट्रेडीशनल सोर्स ऑफ अर्निग होती है। प्रकृति ने उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन उनकी आमदनी क्या होती है? मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा पर डे 20 से 30 रुपये होगी और मैक्सिमम साल में 10 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक होगी। दूसरे केटेगिरी के लोग कौन हैं? जो एनआरजीएम में काम करते हैं, कृषि मजदूर का काम करते हैं, वे रोज सौ रुपये से ज्यादा कमाते हैं, तो उनकी आमदनी 12 हजार रुपये से 50-55 हजार रुपये तक पर ईयर होगी।

सबसे ज्यादा संख्या में लोग इन दो कैटेगरीज में हैं। उसके बाद की कैटेगरी में सेमी स्किल्ड लेबरर्स लोग आते हैं, जो 35 से 70 हजार रूपए साल में कमाते हैं। उसके बाद स्किल्ड लेबरर लोग होते हैं, जिनको मिस्त्री, टेक्नीशियन कहा जाता है, उन लोगों को 200 से 300 रूपए प्रतिदिन और 70 हजार से 1,50,000 सालाना आय होती है। इनके बाद छोटे कर्मचारी हैं, जिनमें कैजुअल लेबर, पियन, क्लर्क, टीचर आदि होते हैं, इन्की बहुत व्यापक संख्या होती है। आप अगर इन सभी लोगों को जोड़ दीजिए, तो यही लोग 1,60,000 रूपए सैलरी के अंदर आते हैं। हमारी सरकार ने इन लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। इस बात से जाहिर है कि जो 90 प्रतिशत लोग हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? ये लोग इंसान हैं, उनको इंसानियत की जिंदगी चाहिए। इसके लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहन-सहन और जीवनयापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया। हैल्थ के लिए 1,40,135 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। यह एनडीए पीरियड से 227 प्रतिशत ज्यादा है। यह पैसा कहां से आएगा? उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के बजट को पिछले साल के 19534 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 22300 करोड़ रूपए किया गया है।

आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। देश के जिस 90 करोड़ गरीब और आम आदमी की बात हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे

होगा। इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मित्र संजय जी बता रहे थे कि 15,000 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में 16 प्रतिशत की वृद्धि इस साल की है। कैसे इस पैसे की व्यवस्था की जाएगी अगर कुछ जगहों पर बढोत्तरी नहीं की जाएगी? गरीब मरते हैं, बिना अनाज के लोग मरते हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाए, तो गरीब जो सबसे कम कमाता है, कहां से पैसा लाएगा और चावल एवं गेहूं खरीदेगा? उसकी खरीदने की कैपिसिटी नहीं है, इसीलिए सब्सिडी देनी पड़ती है, इसीलिए फूड एनश्योर करना पड़ता है, इसीलिए 55,000 करोड़ रूपए की सब्सिडी देने की बात हमारी सरकार ने कही है। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में कांग्रेस की या यूपीए की सरकार नहीं है, इन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, लेकिन ईस्टर्न एरिया में ग्रीन रिवोल्युशन के लिए, कृषि के विकास के लिए, रेनफेड एरिया में विकास के लिए भारत सरकार ने चार सौ करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है। यह एक उपलब्धि है, इसमें राजनीतिक सोच नहीं होती है। इस एरिया में जो समस्याएं हैं, उनको दूर करके वहां समृद्धि लाने का यह एक प्रयास है, सतत प्रयास है, सचेत प्रयास है, यह साधु प्रयास है। आप हर चीज को राजनीतिक बातों पर कहकर, तर्क देकर नकार नहीं सकते हैं। जो ग्रीन रिवोल्युशन आलरेडी हुई है, अलग-अलग प्रोग्राम्स में उसको मेंटेन करने के लिए कृषि क्षेत्र में अभी 200 करोड़ रूपए दिए गए हैं। किसानों के क्रेडिट के लिए 3,75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए छः महीने का और समय दिया गया है। किसानों के सम्बन्ध में जो सरकार की सोच है, यह प्रगतिशील विचारधारा की बात है, मानवीय विचारधारा है।

भारतवर्ष का निर्माण कैसे होगा, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप नहीं किया जाएगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया गया है। इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 13 प्रतिशत राशि की बढ़ोत्तरी की गई है और 950 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए अलाट किए गए हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारी सरकार इन्क्लूसिव डवलपमेंट की बात कर रही है।

सर्वेभवन्तु सुखीना सर्वेसन्तु निरामया मा कश्चित दुख भाग भवत सर्वेभद्राणि पश्चयन्तु।

हमारी सरकार की पूरी अर्थनीतिक एप्रोच इन्क्लूसिव ग्रोथ है और उसके लिए ईमानदारी से हमारे वित्त मंत्री जी ने उसे सदन में पेश करने का काम किया है।

आज जिन बातों की चर्चा यहां होती है, तनाव की स्थिति आ जाती है तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यहां शत्रुता का वातावरण बनने की परिस्थिति पैदा हो गई है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है और मैं

सोचता हूं कि हमारे मित्र क्यों ऐसी बातें करते हैं। सबको सरकार बनाने का मौका मिला है और अपनी नीतियां बनाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने का मौका मिला है। कौन कितना कर पाया, कौन नहीं कर पाया, इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

मैं क्लोज़ली वॉच कर रहा हूं, मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं और मैं बहुत कम बोलता हूं। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं कि यूपीए सरकार ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, यह केवल मानवीय सरकार ही उठा सकती है, दूसरी अन्य कोई सरकार नहीं उठा सकती। सदन में बातें करने वाले बहुत हैं। मैंने सबके साथ काम किया है और सबकी राजनैतिक सोच मैं जानता हूं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे और आपके भाषणों से ही राष्ट्र मजबूत नहीं होगा।

इस राष्ट्र में जो खामियां हैं, इतनी योजनाओं के बावजूद, इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद, सरकार की मानसिकता और योजनाएं बनाने वालों की मानसिकता के बावजूद इस राष्ट्र में वह माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि जो नौकरशाही है, जो काम करने वाली है, वह सही रूप से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई है। हमने संसद के माध्यम से जिन योजनाओं को बनाया, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी को एक उचित माहौल बनाना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए तािक हर योजना कामयाब हो और हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me an opportunity to participate in the discussion on the Finance Bill.

Many hon. Members of this august House have taken part today in the discussion on the Finance Bill.

Sir, we are all aware about the Finance Bill. We all had earlier participated in the discussion and raised our concerns about the Finance Bill. It is not a new issue.

In the last six years, whenever there was a discussion on the Budget, there was a mention of tax system.

Sir, the Finance Bill imposes service tax on immovable property. I would request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to reconsider the tax structure.

Sir, infrastructure of finance generates considerable backward and forward linkage. Hence, its development is central for the growth of the other sectors of the economy. Expenditure of the Central Government on social services including rural development has increased. The administration of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act provides for the responsibility of the Central Government to ensure the intergenerational equity in fiscal management and long term macro economy stability by achieving sufficient revenue surplus and removing fiscal impediments in the effective conduct of the monetary policy in a medium-term framework.

Sir, in his Budget Speech the hon. Finance Minister announced establishment of mechanism to support the project development expenditure, to accelerate the process of project preparations. The Central assistance should be provided to the State Government for implementation of various State Plan schemes apart from normal Central Assistance Funds, which are provided to the State Governments under various regular Plan schemes.

There is no doubt that the prices of each and every commodity has increased by more than double in the last six months. On this issue, the UPA is

sitting silently. I would not talk about the price rise here. But I would like to bring to the attention of this august House some other important points. Today, our country contributes to the highest percentage – even more than that of the poorer countries like Nigeria and other South African countries – in case of malnutrition. Even our neighbouring country, Bangladesh contributes to only five per cent of malnutrition whereas our country, India, contributes to 45 per cent malnutrition. Malnutrition is not only adhered to children, it has affected the whole of our poor population.

Sir, malnutrition is a major problem. Many States are suffering from it. In my State of West Bengal, particularly, Purulia, Jalpaiguri, Coochbehar, West Midnapore, there is a huge population of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. They are working as bidi workers or they working in tea gardens and factories. Their average monthly income is less than Rs. 1,500. Today, the market is same for all, be it me, you, people working here, people working in private sector, people working as labourers, riksha pullers, farmers etc. How can we expect that the poor people who are earning less than Rs. 1,500 per month can get the same food that we are taking? They would suffer from malnourishment. The only cause is the price rise and nothing else.

Therefore, the Government should think in this regard. They should control the prices of commodities at any cost. When we are talking about achieving the double digit growth, the Government should implement all the schemes at the ground level. They should all be corruption free. Then only we can think to save our face by bringing this 45 per cent malnutrition to zero per cent.

Sir, even after 63 years of Independence, the gap between rich and poor is widening day by day. Yesterday, *Bharat Band* was held for 12 hours on the issue of price rise. The *Band* was a great success, which was held against the Financial Policy of the UPA-II Government.

On behalf of my party, All India Forward Bloc, I oppose the Finance Bill and conclude my speech.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापित जी, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने की अनुमित दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में जो घोषणाएं की गयी थीं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सिर्फ फाइनैन्स बिल पर अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूंगा। फाइनैन्स बिल में जो उपबंध और प्रोविजंस होते हैं, उन तक ही मैं अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा बजट में जो घोषणा की गई थी, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में वैट (वैल्यू एडिड टैक्स) लागू होने की बात हुई और उस समय इसी सदन में 2005 में घोषणा की गई थी कि वैट जैसे ही लागू होगा, हम सीएसटी को समाप्त कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि वैट लागू हुए बहुत समय हो गया, परंतु आज भी सीएसटी समाप्त नहीं हुआ है। देश में दो परसैन्ट की दर से सीएसटी आज भी प्रचलित है। मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा 2005 में सदन में हुई थी, वह पूरी होनी चाहिए और चूंकि वैट लागू हो गया, इसलिए सीएसटी जीरो स्लैब पर आना चाहिए। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं।

में जो दूसरी बात कहना चाहता हूं, वह इंकम टैक्स स्लैब के बारे में हैं। यह बात चर्चा में काफी आ गई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा रिपीट इस सैंस में करना चाहता हूं कि अभी यह बात आई थी कि हम UPA नवतावादी दृष्टिकोण या ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं और एक लाख साठ हजार से नीचे जिनकी इंकम है, उनके बारे में हमने ज्यादा सोच-विचार किया है। यह बात ठीक है कि जो एक लाख साठ हजार पर एनम की इंकम वाले लोग हैं, उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन क्या एक लाख साठ हजार से दो लाख पचास हजार तक इंकम करने वाले लोग मानवता की श्रेणी में नहीं आते? मैं कैटेगरिकली जानना चाहता हूं कि वे भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इस देश में जो विभिन्न कारपोरेशंस हैं, उनके कर्मचारी हैं। वे भी अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक पहले स्लैब दस परसैन्ट था और उन्हें नौ हजार रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था। अब भी इसमें एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक वहीं दस परसैन्ट का स्लैब रखा है और उसमें नौ हजार रुपये टैक्स अभी भी देना पड़ता है। इसलिए जिनकी इंकम दो लाख पचास हजार से नीचे हैं, उन्हें इस बजट में कोई लाभ नहीं हुआ और यदि इस स्लैब से ऊपर चलते हैं तो ढाई लाख से पांच लाख वालों को 25 हजार रुपये तक का लाभ हुआ और जिनकी सालाना इंकम पांच लाख से आठ लाख रुपये तक हैं, उन्हें लगभग 55 हजार रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से आपने ऊपर वालों को ज्यादा लाभ दिया और जिनकी इंकम कम थी, उन्हें कम लाभ दिया। यह बात में माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो विसंगति है, इसे दूर करने की जरूरत है।

यदि आप लाभ देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऊपर की इंकम वालों को लाभ कम देना चाहिए और जिनकी इंकम कम है, उन्हें ज्यादा लाभ देना चाहिए। लाभ देते समय यदि आप ऐसा सोचते तो आप ज्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते।

इसके अलावा मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने फाइनैन्स बिल में 44 एबी सैक्शन का संशोधन किया, इसमें कम्पलसरी ऑडिट का प्रावधान है। 1 जून, 1984 से यह सीमा चालीस लाख थी और जिसे आपने बढ़ाकर साठ लाख कर दिया। 26 सालों के बाद यह सीमा बढ़ी, 26 सालों के बाद सरकार को ध्यान आया कि इसमें सीमा बढ़नी चाहिए। वित्त मंत्री जी इंकम टैक्स का जो इंफ्लेशन का फार्मूला है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 1981 का जो इंडैक्स है, उसके आधार पर आईटी डिपार्टमैन्ट इंफ्लेशन का एक फार्मूला तय करता है।

मान लीजिए वर्ष 1981 में 100 इंडेक्स था तो वह 2010 में इन्हीं के फॉर्मूले के आधार पर 652 आता है। अगर उसका इंफ्लेशन रेट जोड़ें तो वह 6.5 परसेंट आती है। यह I.T. की जो पॉलिसी है, इसे ये लांग टर्म कैपिटल गेन इंफ्लेशन का फॉर्मूला कहते हैं। इसके आधार पर यह 6.5 परसेंट आती है। इन्होंने 26 साल बाद इसमें अमेंडमेंट किया और उसे 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया। अगर हम उसे देखें तो यह रेट 1.5 परसेंट आती है। प्राधी है। उसी अपिटमेंट इंफ्लेशन के लिए फॉर्मूला तय करता है, तब तो यह रेट लेता है और जब किसी को छूट देने की बात आती है तो वह अपने फॉर्मूले से ही मुंह मोड़ लेता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंफ्लेशन रेट का जो फॉर्मूला आई.टी. डिपार्टमेंट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत लागू करते हैं, वही फॉर्मूला धारा 44(एबी) में अमेंडमेंट करते समय लागू करना चाहिए। यह जो 60 लाख की सीमा है, यह कम है। उस फॉर्मूले के अनुसार यह सीमा 2.5 करोड़ पड़ती है। यह सीमा 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 करोड़ तो कर दीजिए। यह डिमांड बहुत से ग्रुपों से आ रही है। आपने 26 साल बाद इसके बारे में सोचा, यह अच्छी बात है और मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बारे में सोचते समय आई.टी. डिपार्टमेंट का जो लांग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला है, उसे ध्यान रखना चाहिए था। यह 6.5 परसेंट के अनुसार बढ़नी चाहिए थी। यह बढ़ी नहीं है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसे एक करोड़ करने की व्यवस्था करें, इसे 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की बात करें, जिससे स्मॉल बिजनेसमैन, हम एसएसआई की बात करते हैं, छोटे लघु उद्यमों की बात करते हैं, उन्हें इसमें लाभ मिल सके। मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह बहुत जरूरी है और इसके बारे में बहुत कम

चिंता की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आई.टी. ट्रिब्यूनल है। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो लांग पैंडिंग लिटीगेशन आई.टी. में करीब एक लाख के आसपास हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि क्या ट्रिब्यूनल में मेंबर पूरे हैं, ट्रिब्यूनल की कितनी शाखाएं हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं? अगर ऐसे मामले ज्यादा आ जाते हैं तो जैसा कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम आया हैं। इससे कोर्ट के मामले जल्दी डिस्पोजल होने लगे हैं। क्या आई.टी. ट्रिब्यूनल में भी फास्ट ट्रैक जैसा कोई सिस्टम लागू करेंगे, अगर इसे लागू करेंगे तो एक लाख के आसपास जो पैंडिंग मामले हैं, उनका जल्दी डिस्पोजल होगा और लोगों को सीए के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आई.टी. डिपार्टमेंट में भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज्यूडिशरी ने अपने को जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो यह जो आई.टी. ट्रिब्यूनल है, इसमें जो छोटे बिजनेस मैन है या जो छोटे उद्यमी हैं, जिनके मामले I.T. ट्रिब्यूनल में बहुत लंबे समय से पैंडिंग हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है।

## 18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, how much time more do you want?

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I need five to six minutes more and not more than that.

MR. CHAIRMAN: Please try to complete in two to three minutes. Then we will take up 'Zero hour'.

## ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The time is extended till the hon. Member completes his speech. Shri Meghwal, please try to complete early.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, हिमाचल और उत्तराखण्ड की टैक्स होलीडे की छूट समाप्त कर दी गई है, जबिक जम्मू-कश्मीर की बढ़ा दी गई है। जे एण्ड के में छूट बढ़ाई गई, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखण्ड भी जे एण्ड के की तरह पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसकी भी छूट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इसी के साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोग दुर्गम स्थानों में रहते हैं, डिफकल्टीज़ में रहते हैं, उसी प्रकार से रेगिस्तानी लोग भी डिफकल्टीज़ में रहते हैं। रेगिस्तान में दूर-दूर तक गांव नहीं होते हैं। मैं बीकानेर से आता हूं। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट रेगिस्तान है। यहां निवेश बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी अपील करता हूं कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के लिए कोई

स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का टैक्स होलीडे बढ़ाया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, मैं कई बिज़नेस ऐसोसिएशन्स में रहा हूं और आईएएस आफिसर के तौर पर भी उनमें गया हूं। उनके अधिकतर लोगों की राय है कि आयकर की तीस प्रतिशत की स्लैब को 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इससे रेवैन्यू ज्यादा आएगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, मेरा अंतिम प्वाइंट है कि आपने एसैसमेंट के लिए तो ई-फाइलिंग लागू कर दिया है, लेकिन रिफण्ड के लिए ई-रिफण्ड नहीं किया गया है। आयकर विभाग में रिफण्ड के केसेज बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से आपने एसैसमेंट के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है, उसी प्रकार से ई-रिफण्ड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक स्टडी आयी थी कि रिफण्ड के लिए लोगों को विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए ई-फाइलिंग के साथ-साथ ई-रिफण्ड का सिस्टम लागू करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

\_\_\_\_\_

MR. CHAIRMAN: Now, we will take 'Zero Hour'.

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, India has been a land of diversity. The diversity in its culture, beliefs, rituals, food, clothing and languages is what makes India a unique country. While reasserting our commitment to unity in diversity, we have never hesitated to enrich the diverse aspects of our linguistic and cultural heritage with all possible means as a great democratic nation.

Now, there are 22 Scheduled Languages according to the Eighth Schedule of our Constitution. The Central Government should take necessary steps to promote studies in the major regional languages listed in the Eighth Schedule. The Government should come up with time-bound initiatives to start separate centres for the study of regional languages in universities and Centres of Higher Learning at least in the capital city of our country, New Delhi.

Malayalam being one among the Scheduled Languages is not taught anywhere in New Delhi. Earlier, Delhi University facilitated both research and literary studies in Malayalam language. It is not clear why Delhi University hesitated to carry on such initiatives in the long run.

In Jawaharlal Nehru University, which is considered as one of the best in Asia, there is a Centre for Indian Languages. Apart from Hindi, Urdu and Tamil, other Scheduled Languages including Malayalam are not finding a place in this much celebrated Centre for Indian Languages in JNU. This is a shame to our claims of an enriched linguistic and cultural heritage, which we are proud of.

I would humbly appeal to the Government of India to take necessary steps to facilitate the study of Malayalam and other regional languages in the Centres of Higher Learning in the capital city of India, New Delhi. Thank you.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, Pudukottai district in my parliamentary constituency consists of farmers and agricultural labourers. The total population is nearly 15 lakhs. Most of the people are depending only on agriculture. The total cultivable land is 2,87,475 hectares. Since there is no canal irrigation, they are depending on the rain water and ground water to irrigate their

agricultural lands. They are used to get ground water through tube-wells, for which power supply is very necessary. At present, they are getting power supply only for two hours a day instead of nine hours a day, as announced by the State Government.

Due to insufficient power supply, they are unable to continue their agricultural activities, which is the main lifeline of the population. Moreover, the district is not having any major industries, which will provide employment opportunities to the people. Due to insufficient power supply, people are forced to migrate to the adjacent district for want of a job. Such is the pathetic situation of the agriculturists of Pudukottai district.

I would request the Government, through this august House, to direct the State Government to provide uninterrupted power supply to those agriculturists of Pudukottai district to enable them to continue their agricultural activities.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in 'Zero Hour'.

I want to bring to your kind notice that there is a halt station named Garhjaypur in my constituency, Purulia, West Bengal, which falls under Adra Division of South-Eastern Railway. Garhjaypur is a Block Headquarters also. There are many important institutions such as police station, higher secondary school for boys and higher second school for girls and a college. Besides this, the State Government block level offices are also situated here. Lakhs of people, who are inhabitants of more than 50 villages, use Garhjaypur railway halt station daily for up and down journeys.

In the past, there was a narrow gauge railway line before Independence. Then, this station was a full-fledged station. But when the narrow gauge line was converted to broad gauge line, it was not upgraded as a full-fledged station. Instead, it was degraded to a halt station. Therefore, I request the Government, through you, to declare Garhjaypur Railway halt-station as a full-fledged station, and it should also be made a model station.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, हाउस में हमेशा इस बात की चिन्ता रहती है कि देश की बाहरी और आन्तरिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरों से कैंसे बचाया जाए। मैं अपने देश की खुफिया एजेंसी को बधाई देना चाहता हूं कि उसने कल-परसों, एक आई.एफ.एस. अधिकारी, इस्लामाबाद के दूतावास में जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। उससे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश को हुई है। अगर देखा जाए, तो इसी खुफिया एजेंसी और सूचना की चूक के कारण अपने देश के लिए जो आन्तरिक और बाहरी खतरे हुए हैं, उन से सैकड़ों और हजारों आदिमयों की जानें गई हैं। इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए, सुरक्षा की चूक, चाहे आन्तरिक खतरे हों या बाहरी, हमेशा हुई है। पूर्व में सूचना भी रही है कि यहां पर यह घटना घटने वाली है, फिर भी हम से चूक हुई है। इस्लामाबाद की जो घटना हुई है, उसमें एक आई.एफ.एस. अधिकारी गिरफ्तार की गई हैं। इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई हैं, जिनमें हमारी खुफिया एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए तािक हमें और अधिक सफलता मिल सके।

महोदय, चूंकि आनंद शर्मा जी, हमारे विदेश मंत्री भी रहे हैं और इस समय भी यहां उपस्थित हैं और देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में, जहां-जहां भी, जिन-जिन देशों में भारतीय दूतावास हैं, वहां की खुफिया एजेंसी, इतनी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, तािक जो हमारे बाहरी खतरे हैं, जो बहुत सारी खुफिया जानकारी देने का काम अन्य देशों को करते हैं, उन पर हमारी निगरानी रहनी चाहिए और प्रति माह इसकी हमें समीक्षा करना चाहिए, तािक बाहरी और देश के अंदर होने वाले जो खतरे हैं, उनसे निजात मिले और जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वे न मारे जाएं। इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए और इसकी समीक्षा करते हुए हमें उन जानों को जाने से रोकना चाहिए। इस प्रकार की जो भी एजेंसियां देश के अंदर और बाहर है, उनकी समय-समय पर समीक्षा करते हुए, इन जानों को जाने से हम बचा सकते हैं। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you for giving me this opportunity. Hubli-Dharwad is the second-largest city in the State of Karnataka after Bangalore, and three National Highways (NH) pass through the city. On one of these highways, that is, on National Highway No. 63 there is a Railway level crossing gate that is called Gate No. 1. It is in the midst of the city, which is creating a lot of traffic jam and traffic hazards.

The Railways have proposed to construct a RUB on this NH to avoid it after repeated appeals, requests and agitations. This was also announced in the 2009-2010 Railway Budget, and Rs. 6.5 crore was earmarked for this as the Railways' share. It is around 50 per cent of the cost of the RUB. But since there is no momentum from the Ministry of Surface Transport and nothing is done so far, therefore, I urge both the Ministry of Railways and the Ministry of Surface Transport to take up the work of RUB on Gate No. 1 on NH 63 immediately. Otherwise, the people are going to agitate as there is a lot of traffic hazard, and it is creating a lot of problems as it is within the city. I once again urge both the Ministries to take up the work immediately. Thank you.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you hon. Chairman, Sir, for your kind permission for me to speak during the 'Zero Hour'.

I would like to draw the attention of the Minister of Labour, through you, to a serious fact of non-deposition of money by the owners of 19 tea gardens of Jalpaiguri in West Bengal.

In this connection, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the owners of tea gardens have not deposited the money on account of PF for the last few years. It should be noted here that the PF dues include the money that the employers have deducted from the workers' wages as contribution towards provident fund. They have not deposited that money with the PF Commissioner. It is not understood as to what is preventing the Regional Provident Fund Commissioners of North Bengal from taking appropriate legal action against those owners of the tea gardens.

I would like to know from the Union Minister as to what action has been taken so far against the PF defaulters, that is, the tea garden employers of closed or abandoned tea gardens in Jalpaiguri District of North Bengal area. I have come to know that the PF dues owed to the workers of 19 tea plantations in North Bengal itself comes to over Rs. 168 crore.

I hope you will appreciate the seriousness of the case and will initiate necessary steps so that the workers may get their legal dues without any further delay.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापित महोदय, मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हूं और स्वामी जी को कहूंगी कि मंत्री जी तक यह बात पहुंचायें। हमारे बच्चों ने जो रेलवे की विश्व टेबल टेनिस स्पर्था रिशया में हुई थी, इस विश्व रेलवे टेबल टेनिस चैम्पियनिशप में हमारे यहां की जो टीम गई थी, उन्होंने दो स्वर्ण पदक वहां पर प्राप्त किये हैं। मुझे इसिलए गर्व होता है कि एक स्वर्ण पदक लाने वाला लड़का अर्पित भोपालकर मेरी कांस्टीट्वेंसी इन्दौर का ही है। यही नहीं, जो पूरी दूसरी टीम गई थी, पुरुष युगल में, महिला युगल में और मिक्स डबल में तीनों में कांस्य पदक भी इन लोगों ने जीते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please come to the point. Your notice is regarding assignment of sponsorship for advertisement during the Commonwealth games to a multinational company.

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं उसी पर आ रही हूं। यह एक अच्छी बात है, वे बधाई के पात्र हैं। रेल मंत्रालय उन्हें बधाई तो दे।

लेकिन जो दूसरी बात आती है कि हमारे खिलाड़ी तो अच्छा खेल खेलते हैं, लेकिन यहां कई बार जो व्यवस्थाएं होती हैं, मैं उसका प्रश्न उठाना चाहूंगी। अभी जो जानकारी मिली है, वह थोड़ी चिन्ताजनक इसिलए है कि हमारे यहां जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, उसमें जानकारी यह है कि इन कॉमनवैल्थ गेम्स में एड लाने के लिए, स्पॉन्सरिशप लाने के लिए सिंगापुर की कोई स्पोर्ट्स मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट कम्पनी है, मालूम नहीं कैसे, इस कम्पनी को एक प्रकार से ठेका दिया गया है और ठेका भी ऐसा दिया गया है कि 15 परसेंट या 22 परसेंट कमीशन जो वे स्पॉन्सरिशप लाएंगे, उस पर दिया जायेगा। उसमें भी उन्होंने बाहर से तो स्पॉन्सरिशप नहीं लाई, लेकिन हमारे यहां के जो पी.एस.यूज़. हैं, जैसे एन.टी.पी.सी. ने 50 करोड़ रुपये दिये हैं, सैण्ट्रल बैंक ने 51 करोड़ रुपये दिये हैं, एयर इंडिया ने दिये हैं, इनके ऊपर अगर इनको 15 से 22 परसेंट हम कमीशन देने लग जायें तो यह कहां का औचित्य है, यह किसने इस प्रकार से तय किया? इस कमीशन में वे कितनी स्पॉन्सरिशप बाहर से लाये और पहली बात तो यह है कि 22 प्रतिशत तो जो कमीशन दिया गया है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बात की जांच होनी चाहिए कि हमारे ही पी.एस.यूज़. ओलम्पिक्स में कुछ मदद करें और उसमें किसी बाहर की कम्पनी को कमीशन दें, यह कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पूरे मामले की कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करती हूं।

SHRI B. MAHTAB: Sir, I would like to associate myself with the issue raised by Shrimati Sumitra Mahajan.

MR. CHAIRMAN: Please send a slip to the Table.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आपने शून्य काल में हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

भारत नेपाल सीमा पर बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में जमुनिया घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र में केन्द्रीय सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। यहां पर खुले आम अवैध तस्करी हो रही है। जो सही व्यापारी हैं, उनका सीमा सुरक्षा बल द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें बहुत सताया जाता है और विधिवत् वसूली नहीं होने के कारण अवैध लोगों के प्रवेश की स्वतंत्रता एवं प्रभुत्व वहां बनता जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। वहां नेपाल सीमा से ही जाली नोटों का आवागमन होता रहता है। अधिकतर जो क्रिमनल हैं, वे मर्डर करने के बाद नेपाल सीमा में घुस जाते हैं, यह भी सोच का विषय है और इसे रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार को जो सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हो रही है, इस पर निगरानी करने की आवश्यकता है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): महोदय, आपने शून्यकाल में अतिआवश्यक लोकमहत्व के मामले को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नरेगा के तहत भारत सरकार साल में सौ दिन मजदूरों को काम देने की योजना को पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है। इसके लिए मजदूरों को जॉब कार्ड भी वितरण किए गए हैं। नरेगा शुरू होने से खेती के लिए किसानों को खेती के समय मजदूर मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इसमें से साठ रूपए किसानों को दिए जाएं और चालीस रूपए मजदूर को सीधे-सीधे मिले। उस साठ रूपए से किसान सिंचाई हेतु बिजली का बिल भी अदा करेगा और अपनी तरफ से और पैसा मिलाकर मजदूरों का भुगतान भी करेगा। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। इसके लिए सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार को पेट्रोल से प्रति लीटर एक रूपया और डीजल से पचास पैसे राजस्व मिलता है। इस तरह मजदूरों को साल के 365 दिन काम मिलता रहेगा और सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु मजदूर भी समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। मजदूरों को अपने गृह स्थान पर 365 दिन काम मिलने लगेगा। महंगाई भी कम होगी और किसान समय पर खेती करा सकेगा। किसानों की आत्महत्या रूकेगी और हर कृषि क्षेत्र का समान रूप से विकास होगा तथा राष्ट्र भी आत्म निर्मर होगा।

अतः केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि यह विषय काफी गंभीर है और इस मामले को सरकार संज्ञान में लेकर नरेगा में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करे।

श्री जगदानंद सिंह (बद्सर): सभापित महोदय, बिहार बाढ़, सुखाड़, तूफान को झेलने के बाद आगजनी का शिकार है। गरीबी के कारण ग्रामीण आवास आज भी मुख्यतः फूस के बने हुए हैं। गंगा के दियारे में तो सत्तर-अस्सी फीसदी आवास झोपड़ी के बने हैं। आग लगने के बाद गांव के गांव पूर्णतया जल जाते हैं, तथा पूरी आबादी गृहविहीन हो जाती है। इस वर्ष गंगा के किनारे बसी आबादी समय से पूर्व भयानक तिपश का शिकार है। अकेले बक्सर, कैमूर, रोहताश में सैकड़ों गांव आगजनी के शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग गृहविहीन हो गए हैं तथा खिलहान में रखा अनाज जल जाने के कारण लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। राज्य सरकार के द्वारा आग से पीड़ित परिवारों को सहायता देने में लापरवाही बरतने के कारण केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल घर बनाने तथा खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित कर लोगों की जान माल की हिफाजत करे। यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन की सभी शर्तें लागू होनी चाहिए।

महोदय, बारिश का समय दो माह में आने वाला है। सिर पर छप्पर नहीं है और किसानों का अनाज जल जाने के कारण उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। आने वाली खेती के लिए उनके पास पूंजी नहीं है। बहुत भायानक स्थिति उस इलाके की है। बिहार की यह स्थिति है, चाहे वह मध्य बिहार हो या उत्तर बिहार के कोसी के इलाके के लोग हों, आगजनी के शिकार गांवों में हजारों लोग बहुत पीड़ित हैं। तत्काल वहां हस्तेक्षप कर केंद्र सरकार सहायता करे, इसकी मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman, Sir, I am a Member of Parliament from the area called KBK, which comprises undivided districts of Kalahandi, Bolangir and Koraput. These areas, if you remember, were subject of a lot of news items way back in the eighties when a child was said to have been sold for a mere ten or fifteen rupees. This area is probably one of the most poor and backward regions of the country. In fact, a study done by the Rajiv Gandhi Foundation has listed them as amongst the the top ten most backward Districts of the country. Poverty levels are over 87 per cent. More than 68 per cent of the villages in these areas have over 50 per cent population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Human indicators are at the lowest in these areas. The year 1995 onwards the KBK Long-Yelm Action Plan was put into place which was followed up by a Revised Long-Term Action Plan, as a result of which now poverty levels have dropped by almost 24 per cent

from 87 per cent to almost 62 per cent. Ninety-nine per cent of the funds allocated for this programme have been utilized and spent.

Mr. Chairman, Sir, the UPA Government has put a lot of focus on developing backward regions of the country. Bihar has got special packages, Bundelkhand has got special packages, and I support that. Other areas such as those should get these packages. However, it is extremely important that the KBK region gets the package which has been asked for by the State Government. The State Government of Orissa has put up an eight-year perspective action plan to the Planning Commission for approval, to the tune of Rs.4,550 crore. I would urge the Government to ensure speedy approval of this action plan.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, St. Thomas Mount Cantonment Board is currently running two high schools in which about 2000 students are studying including 1000 girl students. The quality of education in these schools is in doldrums since 20 posts of teachers are vacant for nearly a decade. Neither the Cantonment Board nor the State Government is interested in filling up the vacancies of teachers which has put a question mark on the education of those children.

If one goes back into the history, in 2001, the then CEO of the Cantonment Board had appointed seven teachers in violation of the guidelines of the Government of Tamil Nadu, which is the funding agency. Due to this reason, the State Government did not approve those irregular appointments and stopped paying them. Since then the Cantonment Board started paying their salaries amounting to more than one crore rupees. Due to this conflict between the Cantonment Board and the Government of Tamil Nadu, the children who are studying in these schools are suffering a lot and they do not have teachers to teach.

Under these circumstances, I would request the hon. Union Minister of Defence to come to the rescue of those children by settling the issue amicably. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (सावरकांठा): सभापित महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में चिकित्सा कालेजों की व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डा. केतन देसाई को दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा है और छापे के दौरान 1800 करोड़ रुपये नकद एवं डेढ़ टन सोना मिला है जो साबित करता है कि ...(व्यवधान) \* गलत कालेजों एवं अयोग्य डाक्टरों को बनाने का सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मेडिकल काउंसिल ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी की बहुत तारीफ की और स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेडिकल काउंसिल की काफी प्रशंसा की थी और बताया था कि काउंसिल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मेडिकल काउंसिल के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, माननीय सदस्य सीधा-सीधा मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman, Sir, an allegation against a Minister should not go on record.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : मैं एलीगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं।...(व्यवधान)

-

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Allegation against a Minister will not go on record but the information given by the hon. Member will go on record. Allegation against a Minister may be deleted.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, hon. Member Dr. Jyoti Mirdha had already raised this issue in the morning. How can the same subject be raised by him again? Let him associate himself, if he wants.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: सभापित महोदय, यह केवल इन्फोर्मेशन है। ...(<u>व्यवधान</u>) उनकी जुगलबंदी देखने लायक थी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can associate with the other hon. Member, who has already raised this issue.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : सभापति महोदय, मेरी क्वेनल दो लाइन बाकी है। ...(व्यवधान)

मैं एलीगेशन नहीं कर रहा हूं। मेरा इरादा भी ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी पर एलीगेशन करूं। ...(व्यवधान) जो भी प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल से नये कालेज खोलने का आता था, उसे आंख बंद करके मंजूर कर दिया जाता था। देसाई पर आरोप पहले भी लगे थे और एनडीए शासन में उसे हटा भी दिया गया था। लेकिन बाद में वे दोबारा अध्यक्ष बन गये। इस तरह हमारे देश के डाक्टरों को बनाने के लिए जिन गलत कालेजों को मान्यता डॉक्टर केतन देसाई ने दी है, उसकी जांच की जाये और भ्रष्ट आचरण के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): सभापति महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने को एसोसियेट करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापित महोदय, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को सरकारी सहायता देने के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूचिबहार और दीनाजपुर जिले के कई ब्लाकों में भयंकर रूप से आंधी, तूफान और ओले पड़े। उन ओलों का वजन आधा किलो से एक किलो के लगभग था। इस घटना के कारण वहां बहुत बर्बादी हुई है। वहां 20 से 25 हजार घर बिल्कुल टूट गये हैं और लगभग 50 हजार से ज्यादा घर टूटने के कगार पर हैं। वहां सौ से ज्यादा आदमी मर गये हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। वहां लगभग 26 हजार एकड़ खेती बर्बाद हो गयी है। वहां की असली फसल चाय है। चाय बागान के खेत भी काफी नष्ट हो गये हैं। इन क्षेत्रों में जो बर्बादी हुई, उसके लिए राज्य सरकार ने कुछ सहायता दी है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र में सरकारी सहायता दे। सबसे मुसीबत की बात यह है

कि जब हम गांव में विजिट करने जाते हैं, तो गांव के पंचायत, एमएलए कुछ तिरपाल वगैरह दे देते हैं देते हैं लेकिन एमपी केवल मुंह दिखाकर चले आते हैं। हम लोग उन लोगों को कुछ दे नहीं सकते हैं। इसलिये इस संबंध में कुछ प्रावधान होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा आने से एमपी भी उन लोगों की कुछ सहायता कर सकें। एमपीलैड फंड के पैसे से उन्हें कुछ तिरपाल आदि दी जाये। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पीड़ित लोगों को जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार से मदद दी जाये।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस विषय पर बोलना चाहती हूं, उसके बारे में माननीय स्पीकर महोदया ने कल शोक प्रस्ताव रखा था। हरियाणा के हिसार जिले के मिदपुर गांव में में जो घिनौनी हरकत हुई। मैं 25 अप्रैल को वहां गयी थी। जिन लोगों के साथ वह घटना घटी, मैं उन लोगों से जाकर मिली। वह विकिटम जहां रुके हैं, जिन्हें जलाया गया है, एक लड़की का नाम सुमन जिसे पोलियो था, उसे बाहर दरवाजे में कुंडी लगाकर जलाया गया था। वह लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाबा ताराचंद को भी जलाया गया। दोनों की मौत हो गयी। हमने देखा कि यह घटना टोटली कास्टिज्म पर हुई। दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। हम जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन में सबको इक्विल राइट्स हैं। लेकिन देखते हैं कि अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। जब वहां घटना घट रही थी तब तहसीलदार और स्टेशन हाउस आफिसर्स मौजूद थे, लेकिन वे उस घटना को रोक नहीं पाये और वह घटना घटी। मैं वहां गयी और एसपी, डीएम से मिली। मैंने उनसे बात की, मैं उनकी सारी फैमिली को मिली। जो 18 घर जले हुए थे, मैंने उनको देखा। वे लोग बोल रहे हैं कि अभी इनिशियली एक-एक लाख रूपए दिए जाएंगे, लेकिन एक लाख रूपए ज्यादा नहीं हैं, इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उनको दस से बारह लाख रूपए दिए जाएं और सुमन, जिसकी मृत्यु हुई, उसके परिवार को नौकरी दी जाए। जिन लोगों ने यह काम किया है और जो खाप पंचायत है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए क्योंकि वे लोग कुछ काम नहीं करते हैं और जब दलितों पर अत्याचार होता है, तो वे लोग उसे और बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि इस तरह घटना दुवारा न घटे इसके लिए व्यवस्था करे। वहां जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस घटना को अनफार्चुनेट बोला है, उनको इस घटना को कंडेम करना चाहिए था और उधर जाना चाहिए था। चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आप सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में तीन क्षेत्र हैं - जम्मू,

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आप सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में तीन क्षेत्र हैं - जम्मू, कश्मीर और लद्माख। उन तीनों की अपनी-अपनी आइडेण्टिटी है, कल्चर है, रहन-सहन है, हर चीज अलग है। जब भी कोई चीज स्टेट को गवर्नमेंट आफ इंडिया से दी जाती है, तो अगर उसको सीरियसली ठीक तरीके से न देखा जाए, तीनों को ध्यान में न रखा जाए, तो वहां एकदम झगड़ा पैदा हो जाता है। झगड़ा

पैदा करने के लिए कश्मीर में हुर्रियत वाले और दूसरे लोग बैठे हैं, जम्मू में हमारे बीजेपी के कुछ लोग बैठे हैं, इन दोनों को आदत है हमारा नुकसान करने की। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर तीन-चार महीने बंद रहा, बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद एक गलती हुई, यूनिवर्सिटी का मसला बना। एक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की बात हुई और दूसरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई। जब सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज आईं, दोनों गलती से कश्मीर में चली गयी। जब तैनात करने की बात हुई, तो उन्होंने वहां वीसी भी तैनात कर दिए। इससे जम्मू में एक मसला बन गया, बनना जरूरी भी था। उसके बाद जब भारत सरकार को यह बात ध्यान में आई, मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा पहले ध्यान आना चाहिए, तो उन्होंने उसको सीरियसली लेते हुए, जम्मू में यूनिवर्सिटी दे दी। उसके लिए यहां से आर्डिनेंस जारी किया, पिछले दिनों यहां बिल लाए और वह पास हो गया। उसके बाद कश्मीर में वीसी बन गया, टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में भी कश्मीर का ही वीसी बन गया। वहां टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का बन गया, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का भी बन गया और जो वहां दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसका भी वीसी वहां का ही आदमी बन गया। अच्छी बात है, बनना चाहिए, वे काबिल हैं। लेकिन जम्मू में नया पंगा खड़ा हो गया, कल जम्मू बंद था। मुझे इससे बहुत अफसोस होता है। सरकार को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि यह मसला हम क्यों दूसरे लोगों के हाथ में देते हैं। जम्मू में जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी दी गयी है, उसमें अभी तक वीसी तय नहीं हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों का इंटरव्यु हो रहा है। किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह, पंजाब में यूनिवर्सिटी बनी, छत्तीसगढ़ में युनिवर्सिटी बनी, यहां तक कि कश्मीर में बनी, तो अपने-अपने इलाकों से, वहीं के सीनियर प्रोफेसरों को वहां एडॉप्ट किया गया और वे वहां लग गए। यह बहुत अच्छी बात है। अब जम्मू को देखिए। वहां पहले से जो यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी दिल्ली से आदमी आया, वह बन गया। दूसरी एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी के लिए भी वीसी बाहर से आया, इसी तरह वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी के लिए भी आदमी बाहर से आया। इससे जम्मू के लोगों को कहने के लिए मसला बन गया है कि क्या जम्मू के लिए सारी दुनिया नालायक है। यह एक सेंसिटिव इश्यू है, इसीलिए मैं इस मामले को यहां उठा रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is not the case in that University only. The situation in all the Central Universities is like that.

चौधरी लाल सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ होता है, वैसा ही जम्मू के साथ होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों को यूनाइटेड रहने की जरूरत है। इनमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ें, लेकिन सीरियसनेस रहनी चाहिए। सरकार जब भी कोई चीज देती है, तो सीरियसली सोचकर करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay, it is enough. You have to make your point only in two minutes. This is not a debate. You have to say what you want the Government to do. But you are discussing the issue now.

चौधरी लाल सिंह : मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वहां पर जम्मू का ही व्यक्ति लगना चाहिए।

श्री रामकिश्न (चन्दोली): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सूखा पिछले साल पड़ा और राहत की रेवड़ियां अब बंटने वाली हैं। रेवड़ियों की इस बंदरबांट में उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है, जबकि चुनाव साल होने के नाते बिहार ने बाजी मार ली है। उन राज्यों को भी यूपी से अधिक धन दिया गया, जिन्होंने खुद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। सूखा राहत के लिए गठित चित्रार समिति ने राहत पैकेज पर अपनी मोहर लगा दी है। वर्ष 2009 के पड़े सूखे की बहुत बड़ी त्रास्दी घोषित की गई है, जिसमें देश के 15 राज्यों में 352 जिले सूखे की चपेट में आ गए। इन राज्यों ने 72,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसमें से मात्र 4800 करोड़ रुपए ही इन राज्यों को देने का काम अब तक हुआ है। खास तौर से उत्तर प्रदेश को 515 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इतनी कम राशि और उस पर उत्तर प्रदेश के 58 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं। उन 58 जिलों की हालत यह है कि वहां खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई और पूरी तरह से खरीफ तथा रबी की फसल बर्बाद हो गई है। समूचे पूर्वांचल में खरीफ की फसलें सुखे की भेंट चढ गईं। देश के 59.3 लाख हेक्टेयर खेतों में धान की रोपाई नहीं हो सकी, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के 20 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। इसके मुकाबले चुनावी संवेदना को देखते हुए बिहार को 1200 करोड़ रुपए और जिन राज्यों ने अपने आपको सूखाग्रस्त घोषित किया था, उन्हें ज्यादा पैसा दिया गया। हरियाणा को, पंजाब को और जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी केन्द्र सरकार ने ज्यादा पैसा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत सामग्री देने के नाम पर पैसा नहीं दिया गया।

सभापित महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार भी राहत का पैसा जनपद चंदौली, जौनपुर आदि में दिया था, वह वापस ले लिया है। यह सरकार भी पैसा न दे और प्रदेश सरकार जो पैसा मिला, वह भी काट दे तो मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां के किसानों को सिंचाई के लिए, ट्यूबवैल्स के लिए, नहरों के लिए पैसा दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के, जनपद चंदौली, वाराणसी के किसानों की खेती बचाई जा सके। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take you seat.

श्री रामिकशुन: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। केन्द्र और राज्य सरकार के झगड़े में उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है और उसकी हालत यह है कि न केन्द्र मदद कर रही है, न ही प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot allow any controversies to be raised here. Nothing will go on record.

(Interruptions) ... \*

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

## 18.43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 29, 2010/Vaisakha 9, 1932(Saka).

<sup>\*</sup> Not recorded